सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग

पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका

(EVM एवं VVPAT के उपयोग हेतु)

अक्टूबर, 2018

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

www.rajteachers.com

सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1—8
2	मतदान दल एवं प्रशिक्षण	9—10
3	वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री को प्राप्त करना	11—14
4	फोटोयुक्त मतदाता सूची	15
5	ईवीएम और वीवीपेट एक परिचय	16—29
6	मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था	30—37
7	मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था	38—39
8	मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य और नियत कार्य	40—46
9	मतदान केन्द्र में प्रवेश व बैठक व्यवस्था के नियम	47—55
10	मतदान से पूर्व तैयारियॉ	56—58
11	कन्ट्रोल यूनिट को तैयार करना	59—60
12	मॉक पोल का संचालन	61—67
13	कन्ट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना	68—69
14	कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपेट को बंद और सील करना	70—79
15	मतदान का प्रारंभ	80—82
16	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सुरक्षा के उपाय	83—84
17	मतदान केन्द्र में उसके इर्द—गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन	85—87
18	चुनौति के मामले में निर्वाचन की पहचान, सत्यापन और प्रक्रिया	88—94
19	मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना	95—100
20	मत डालना और मतदान प्रक्रिया	101—105
21	मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना	106
22	दृष्टिबाधित तथा अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान	107—108
23	मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता	109
24	चुनाव ड्यूटी में लगे लोकसेवकों द्वारा मतदान	110—111
25	प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) द्वारा मतदान	112
26	निविदत्त मत	113—114
27	बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना	115—119
28	मतदान की समाप्ति	120—122
29	रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा	123—124
30	मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन एवं वीवीपैट को मुहर बन्द किया जाना	125—126
31	निर्वाचन से संबंधित पत्रादि को मुहरबन्द किया जाना	127—130
32	डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रो पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन संबंधी पत्रादि को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना	131—132
33	पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	133—141

अनुलग्नक सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अनुलग्नक 1	142—150
2	अनुलग्नक 2	151—160
3	अनुलग्नक 3	161—167
4	अनुलग्नक 4	168—169
5	अनुलग्नक 5	170—173
6	अनुलग्नक 6	174
7	अनुलग्नक 7	175
8	अनुलग्नक 8	176
9	अनुलग्नक 7	177
10	अनुलग्नक 10	178
11	अनुलग्नक 11	179—181
12	अनुलग्नक 12	182—185
13	अनुलग्नक 13	186
14	अनुलग्नक 14	187—188
15	अनुलग्नक 15	189
16	अनुलग्नक 16	190
17	अनुलग्नक 17	191
18	अनुलग्नक 18	192—193
19	अनुलग्नक 19	194—197
20	अनुलग्नक 20	198—200

www.rajteachers.com

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1.1 इस पुस्तिका का उद्देश्य एक पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को सर्वोत्तम तरीके से करने के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करना है। हालांकि, यह हैंडबुक न तो सभी पहलुओं में एक संपूर्ण सारांश है और न ही चुनाव के आचरण से संबंधित चुनाव कानून के विभिन्न प्रावधानों के लिए एक वैकल्पिक संदर्भ है। इसलिए, जहां भी आवश्यक हो, आपको उन कानूनी प्रावधानों का संदर्भ लेना चाहिए जिन्हें अनुलग्नक 1 और 2 में पुनः उल्लेखित किया गया है।

1.1.2 आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 और धारा 28 ए के प्रावधानों के तहत पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको किसी भी चुनाव के लिए नामित अन्य अधिकारियों के साथ, अधिसूचना की तारीख से परिणाम घोषित करने की तिथि तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। तदनुसार, ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, आप मतदान केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। मतदान के संचालन के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। आपको मतदान केंद्र के प्रभारी के रूप में मतदान कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, साथ ही आप मतदान केंद्र में होने वाली सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना आपका प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आप चुनाव के संचालन के संबंध में कानूनी प्रक्रिया और आयोग के प्रासंगिक आदेशों और दिशानिर्देशों का पूर्ण गहनता से अध्ययन कर लें ।

1.1.3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता सत्यापनयोग्य पेपर ऑडिट ट्रेल [Voter Verifiable Paper Audit Trail] वीवीपैट अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपयोग की जायेगी [निर्देश 51/8 / वीवीपैट / 2017–ईएमएस दिनांक 1610.2017, 17.10.2017 और 05.12. 2017 के अनुसार]। मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के रूप में ईवीएम और वीवीपैट द्वारा मतदान के संचालन के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं पर नवीनतम जानकारी होना वीवीपैट के साथ ईवीएम के संचालन के प्रत्येक चरण से खुद को परिचित होना अति आवश्यक है । अतः आपको स्वयं वीवीपैट का उपयोग करके वोट रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। वीवीपैट के साथ ईवीएम के उपयोग पर हाथ से Hands on प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। कानून या नियमों या अपर्याप्त जानकारी, मामूली गलती या चूक या मशीन का गलत ढंग से उपयोग मतदान को बाधित कर सकता है ।

www.rajteachers.com

1.2.1 ईवीएम और वीवीपैट का निर्माण दो केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है। ईवीएम के दो मॉडल हैं – एम 2 मॉडल और एम 3 मॉडल। वीवीपैट के दो मॉडल हैं– 1. वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) के साथ 2. वीवीपैट (VSDU) के बिना। दूसरे मॉडल का उपयोग एम 3 मॉडल ईवीएम के साथ किया जाता है। राजस्थान में विधान सभा आम चुनाव, 2018 एम–3 मॉडल ईवीएम के साथ किया जा रहा है जिसमें वीवीपैट बिना VSDU के प्रयोग में ली जायेगी।

1.2.2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) 7.5 वोल्ट बैटरी पर चलती है और इसे कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छेड़छाड़ रहित, त्रुटि मुक्त और संचालित करने में आसान है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो इकाइयां हैं, अर्थात् कंट्रोल यूनिट (CU) और बैलट यूनिट (BU)। मशीन की दोनों यूनिट्स को दो अलग–अलग बॉक्स में आपूर्ति की जाती है जो आसानी से पोर्टेबल होते हैं। बैटरी हटाए जाने पर भी मशीन में दर्ज की जाने वाली मतदान जानकारी इसकी स्मृति में बरकरार रहती है।

1.2.3 वीवीपैट 22.5 वोल्ट बैटरी पर काम करती है, और अब हर मतदान केंद्र में सभी चुनावों में उपयोग की जाती है। वीवीपैट पेपर स्लिप्स के प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए गया थर्मल पेपर रोल केवल 1500 पेपर स्लिप्स प्रिंट करता है,जिनमें से लगभग 100 पेपर स्लिप्स मॉक पोल के दौरान मुद्रित किया जाता है। इसलिए, किसी भी मतदान केंद्र पर आवंटित मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1400 रखी गई है।
(51/8/वीवीपैट/ 2017–ईएमएस दिनांक 17.10.2017)

1.2.4 चुनाव (संशोधन) नियम, 2013 में नियम 49(L) में, प्रावधान जोड़ा गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भाग में मतदान के समय ईसीआई द्वारा अनुमोदित इस तरह के डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर को मतदान मशीन से जोड़ा जा सकता है जो मतदाता द्वारा दिये गये मत का एक पेपर ट्रेल प्रिंट करने के लिए सक्षम हो।

1.2.5 उन मतदाताओं के हित में जो मैदान में किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट न देने का विकल्प इस्तेमाल करना चाहते हैं, डाक मतपत्र, ईवीएम मतपत्र, निविदत्त मतपत्र और ब्रेल मतपत्र सभी में मतपत्र पर अंतिम उम्मीदवार के नाम और विवरण वाले पैनल के बाद, अंतिम पैनल के रूप में एक पैनल होगा जिसमें 'उपरोक्त में कोई नहीं' [none of the above](NOTA), शब्द लिखा गया हो जिसे उन शब्दों की भांति ही लिखा जायेगा जिनका उपयोग उम्मीदवारों के नामों के मामले में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में किया गया है । पैनल का आकार भी उम्मीदवारों के पैनल के समान होगा।

1.2.6 बैलट यूनिट पर एक डिस्प्ले पैनल है जिसमें मतपत्र के प्रदर्शन के प्रावधान है । जिस पर क्रमशः उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवारों की तस्वीर, नाम और उनको प्रदत्त प्रतीकों के चित्र प्रदर्शित होते हैं । प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के समक्ष एक नीला बटन है। इस नीले बटन को दबाकर, मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट रिकॉर्ड कर

www.rajteachers.com

सकता है। बटन के साथ, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक एल.ई.डी. भी है। वोट दर्ज होने पर यह बत्ती लाल चमक जाती है साथ ही एक बीप ध्वनि भी सुनाई देती है। एक बैलट यूनिट में सोलह बटन हैं। अंतिम बटन नोटा के लिए होगा। एम 2 ईवीएम में, अधिकतम चार बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है जबकि एम 3 ईवीएम में, चौबीस बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है।

1.2.7 एक कन्ट्रोल यूनिट एम 2 ईवीएम में अधिकतम 63 उम्मीदवारों और एम 3 ईवीएम में 383 उम्मीदवारों द्वारा मतदान किए गए वोट रिकॉर्ड कर सकती है।
इस उद्देश्य के लिए, एम 2 ईवीएम में एक कन्ट्रोल यूनिट से चार बैलेट यूनिट तथा एम 3 ईवीएम में एक कन्ट्रोल यूनिट से 24 बैलट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं । एम 3 ईवीएम में निम्न प्रमुख भाग हैं–

i–प्रदर्शन अनुभाग

कन्ट्रोल यूनिट के शीर्ष पर, मशीन में दर्ज की गई जानकारी और डेटा प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले सेक्शन है, जिसमें उम्मीदवारों की संख्या, मतदान की कुल संख्या, प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान किए गए वोट आदि प्रदर्शित होते हैं।

ii–अभ्यर्थी सेट अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग के नीचे, बैटरी सेक्शन है, जो मशीन चलाता है। बैटरी सेक्शन के दाहिने तरफ, एक और सेक्शन है जिसमें चुनाव विशेष में लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के लिए मशीन स्थापित करने के लिए एक बटन है। इस बटन को 'cand' कहा जाता है। दो सेक्शन वाले कन्ट्रोल यूनिट के इस पूरे खंड को 'अभ्यर्थी सेट अनुभाग 'कहा जाता है।

iii–परिणाम अनुभाग'

अभ्यर्थी सेट अनुभाग के नीचे कन्ट्रोल यूनिट का 'परिणाम अनुभाग' है। इस खंड में (i) बाईं ओर 'CLOSE' बटन है, (ii) मध्य में दो बटन – 'Result' और 'Print' बटन हैं। प्रिंट बटन विस्तृत परिणाम के प्रिंट आउट के लिए है (इस उद्देश्य के लिए कन्ट्रोल यूनिट से एक विशेष गैजेट संलग्न किया जाता है) और रिजल्ट बटन से डिस्प्ले पैनल में परिणाम देखा जा सकता है (iii) मशीन में दर्ज डेटा को साफ करने के लिए, दाईं तरफ 'Clear' बटन है यह बटन कन्ट्रोल यूनिट मे संचित डेटा को साफ करने के लिए है।

iv–मतपत्र अनुभाग'

कन्ट्रोल यूनिट के निचले भाग में, दो बटन होते हैं – दाहिनी ओर 'BALLOT' बटन और बाईं ओर 'TOTAL' बटन। 'BALLOT' बटन दबाकर, मतपत्र यूनिट वोट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है और 'कुल' बटन दबाकर, उस चरण तक दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या का पता लगाया जा सकता है। इस खंड को कन्ट्रोल यूनिट के 'मतपत्र अनुभाग' के रूप में जाना जाता है।

www.rajteachers.com

1.3 कानूनी प्रावधान

1.3.1 पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से संम्बधित कानून के प्रावधानों का विवरण अनुलग्नक 1 और 2 में दिया गया है ।

1.4 कर्त्तव्यों के प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू

1.4.1 इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश और निर्देश निहित हैं। आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू आपके मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए हैं।

1.4.2 आपको वीवीपैट के साथ ईवीएम द्वारा मतदान के आचरण के लिए निर्धारित नवीनतम नियमों और प्रक्रियाओं के साथ पूरी तरह से परिचित होना चाहिए।

1.4.3 आपको वीवीपैट के साथ ईवीएम के संचालन और विभिन्न बटनों और उसके द्वारा प्रदान किए गए स्विच के कार्यों के साथ पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। (यह उपरोक्त पैरा 2 के तहत विवरण में वर्णित है)।

1.4.4 आपको आयोग के सभी प्रासंगिक निर्देशों की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिये ।

1.4.5 आपको किसी भी प्रशिक्षण कक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगें तो आप विभिन्न निर्देशों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने से चूक सकते हैं ।

1.4.6 चुनाव सामग्री एकत्र करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री के साथ आपूर्ति की गई सूची के अनुसार सभी आइटम आपको सौंप दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं (1) वीवीपैट के साथ ईवीएम, (2) निविदित मतपत्र, (3) ब्रेल बैलेट (4) मतदाता पंजीकरण रजिस्टर (फॉर्म 17ए), (5) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियां (6) फॉर्म 17 सी और (7) पिंक पेपर सील, हरी पेपर सील, स्ट्रिप सील, विशेष टैग, एड्रेस टैग, वैधानिक लिफाफे, गैर वैधानिक लिफाफे, सीलिंग मोम और अमिट स्याही, एएसडी, एआईएस और सीएसवी सूची, काले लिफाफे, प्लास्टिक बॉक्स।

1.4.7 मतदान केंद्र पर पहुंचते ही आपको मतदान केंद्र की स्थापना के लिए निर्देशानुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी हैं– मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं की कतार का विनियमन, बाहर हस्तक्षेप से मुक्त मतदान सुनिश्चित करना, आदि। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मतदान केंद्र में सीपीएफ या पुलिस व्यवस्था है या नहीं। साथ ही, क्या मतदान केंद्र में माइक्रो–ऑब्जर्वर और डिजिटल कैमरा/वेब कास्टिंग, वीडियो कैमरा आदि की व्यवस्था की जानी है अथवा नहीं।

1.4.8 मतदान शुरू होने से पहले, वीवीपैट के साथ ईवीएम को मतदान एजेंटों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो मतदान केंद्र में मौजूद हैं ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके कि इसमें कोई भी वोट पहले ही दर्ज नहीं किया गया है और यह कि मशीन सही काम करने की स्थिति में है। इन उद्देश्यों के लिए, एक मॉक पोल अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे यह

www.rajteachers.com

सुनिश्चत करते हुए कि प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ समान रूप से कम से तीन वोट डाले जाएं।

1.4.9 आयोग के निर्देशों के अनुसार, यदि मतदान में कोई मॉक पोल नहीं कराया है, तो उस मतदान केंद्र में मतदान नहीं कराया जायेगा।

1.4.10 मॉक पोल आयोजित करने के बाद, इस तरह के मॉक पोल में दर्ज वोटों को मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट (CU) से clear किया जाये ताकि मॉक पोल से संबंधित कोई भी डेटा मशीन में न रहे और वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप्स भी बाहर निकाला जाना चाहिए, ताकि मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाए । मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट को हरे रंग के पेपर सील (एस), विशेष टैग और स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग से निर्देशानुसार सुरक्षित किया जाना चाहिए। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से भी सील कर दिया जाना चाहिए। सीलिंग की प्रक्रिया अध्याय 13 और 14 में विस्तार से समझाई गई है।

1.4.11 चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयानुसार मतदान शुरू होना चाहिए। मतदान शुरू करने से पहले, उम्मीदवारों या उनके एजेंट और मतदान अधिकारियों जो मतदान केन्द्र में मौजूद हैं, को मतदान की गोपनीयता के रख–रखाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए और उनके नोटिस में लाया जाना चाहिए।

1.4.12 मतदान के शुरू होने पर, आपको मतदान केंद्र में मौजूद सभी के समक्ष इस प्रकार घोषणा को पढ़ना होगा और घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा और ऐसे मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा जो कि उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यदि कोई मतदान एजेंट अपने हस्ताक्षर करने से मना करता है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदान एजेंट के नाम रिकॉर्ड मे उल्लेख करना चाहिए और मतदान मशीन के प्रदर्शन के बारे में निर्धारित फॉर्म में घोषणा करना चाहिए। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति और मतदाताओं के पंजीकरण रजिस्टर को भी उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों समक्ष प्रदर्शित कर हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिये।

1.4.13 आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मतदाता जिनको मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, उन सभी को सभी सामान्य और उप–चुनावों में मतदान के समय पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता के ईपीआईसी की अनुपस्थिति में, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदाता स्थापित की जाएगी, जिसमें मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता स्लिप्स शामिल हैं। इसके अलावा, यदि कोई भी मतदाता एक EPIC प्रस्तुत करता है जिसे किसी अन्य विधानसभा के पहचान ERO द्वारा जारी किया गया है ऐसे कार्डों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम मिल जाए।

www.rajteachers.com

1.4.14 एक मतदाता की पहचान मतदाता सूची में प्रविष्टि, मतदाता फोटो पहचान पत्र, फोटो युक्त मतदाता सूची मे मतदाता के फोटो के द्वारा प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित की जानी चाहिए ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के संदर्भ में समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं जिसके संदर्भ में मतदाता की पहचान सत्यापित की जा सकती है।

एक मतदाता द्वारा की गई अनौपचारिक पहचान पर्ची को उसकी पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

1.4.15 मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज (ओं) की सहायता से एक मतदाता की पहचान की जाये इसके बाद दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा अमिट स्याही लगाई जानी चाहिए। अमिट स्याही लगाने की विधि अध्याय 8 में समझाई गई है)

1.4.16 मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में दिए गए क्रम संख्या की (नाम नहीं) मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17 ए) में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

1.4.17 मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति देने से पूर्व उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17ए) पर प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि मतदाता मतदाता रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगाने से इंकार कर देता है, तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदाता रजिस्टर के 'टिप्पणियां' कॉलम में 'वोट से इनकार' लिखा जाएगा। आपको ऐसी प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करना होगा।
यदि फॉर्म 17 ए में एक मतदाता को विधिवत् दर्ज किया गया है और नियम 49L के उप–नियम (1) के तहत आवश्यक रूप से उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ले ली गई है, और वह अपना वोट रिकॉर्ड न करने का फैसला करता है, तो 17 ए में एक टिप्पणी 'वोट से इनकार'/मत देने से मना कर दिया' की जायेगी। आपके द्वारा फॉर्म 17 ए में दी गई टिप्पणी के बाद मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त की जाएगी। ऐसे मामले में मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17ए) के कॉलम 1 में मतदाता के सीरियल नंबर या किसी भी मतदाता में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं होगा। यदि कन्ट्रोल यूनिट पर ''बैलेट'' बटन पहले से ही मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट पर मतदान जारी करने के लिए दबाया गया है और वह मतदान करने से इंकार कर देता है, तो पीठासीन अधिकारी/तीसरे मतदान अधिकारी, जो भी कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी हैं, को चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए सीधे अगले मतदाता को निर्देशित करें। एक विकल्प यह भी है कि नियंत्रण युनिट प्रभारी यूनिट के पीछे स्विच को एक बार ऑन करके पुनः ऑफ करे, बैलट बटन दबाएं और अगले मतदाता को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करें।

1.4.18 जब मतदान केन्द्र पर अंतिम मतदाता मतदान करने से इंकार कर दे तथा CU पर ''BALLOT'' बटन को दबा कर मत जारी कर दिया गया हो तो पीठासीन अधिकारी/तीसरे मतदान अधिकारी, जो भी कन्ट्रोल यूनिट (CU) के प्रभारी होंगे वे कन्ट्रोल यूनिट (CU) के

www.rajteachers.com

पिछले हिस्से में स्थित पावर स्विच को ऑफ' करें, वीवीपैट को कन्ट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करें, कन्ट्रोल यूनिट (CU) से मतपत्र यूनिट (BU) और वीवीपैट को डिस्कनेक्ट करने के बाद 'पावर' स्विच को फिर से 'आन' करें, अब कन्ट्रोल यूनिट 'Busy lamp' बंद हो जाएगा मतदान बंद करने के लिए 'Close' बटन क्रियाशील हो जाएगा। 'Close' बटन दबायें मतदान समाप्त करें।

1.4.19— मतदाताओं के रजिस्टर 17A पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त करने के बाद बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जायेगी, तथा उसे एक मतदाता की पर्ची (निर्धारित रूप में) जारी की जाएगी जिसमें क्रम संख्या एवं मतदाता संबंधित प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर के अनुसार लिखी जायेगी।

1.4.20— मतदाताओं को मतदाता की पर्ची के आधार पर वोटिंग मशीन में अपने वोट रिकॉर्ड करने की (मतदाताओं के पंजीकरण रजिस्टर 17ए में की गई प्रविष्टि के क्रमानुसार) अनुमति दी जाएगी।

1.4.21— मतदाता वीवीपैट ड्राप बॉक्स में मुद्रित पेपर पर्ची कट कर गिरने से पूर्व पारदर्शी खिड़की के माध्यम से देखने में सक्षम होंगे। मुद्रित पेपर पर्ची पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और प्रतीक दिखाई देता है।

1.4.22— यदि मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम प्रतीत होती है किन्तु मतदाता सूची में उसके नाम को शामिल करने के तथ्य से संतुष्ट हैं, तो आपको उनकी उम्र के बारे में उनके द्वारा एक घोषणा अनुलग्नक 7 में प्राप्त करनी चाहिए।

1.4.23— पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका यह कर्तव्य है कि मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रासंगिक घटनाओं को पीठासीन अधिकारी की डायरी के निर्धारित प्रारूप में उल्लेख करें।

1.4.24— यदि आपको संदेह हो कि वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में मतपत्र यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही है या वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश करने वाले एक मतदाता ने यूनिट के साथ छेड़छाड़ की है अन्यथा हस्तक्षेप किया है, ब्लू बटन पर सेल—टेप या मैच स्टिक या च्यूइंग गम फिक्सिंग की है या अनावश्यक लंबी अवधि के लिए अंदर ही बना हुआ है, इस तरह के मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतपत्र यूनिट से किसी भी तरह से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया गया है वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश करने के लिए आपको नियम 49 क्यू के तहत अधिकार है। मतदान केंद्र में एक या दो या अधिक मतदान एजेंटों को आपके साथ आने की अनुमति भी देनी चाहिए। अकेले वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश न करें।

1.4.25— यदि कोई घटना मतदान केंद्र में होती है और आपके द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है, लेकिन किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में आयोग गंभीर दृष्टिकोण ले सकता है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

1.4.26— मतदान के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए आपको मतदान केंद्र में कार्यवाही को नियंत्रित करना होगा। इस उद्देश्य के लिए आपको सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है, आपको सदैव दृढ़ और निष्पक्ष होना चाहिए।

1.4.27— आपको 'TOTAL' बटन दबाकर किसी विशेष घंटे तक मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या को समय—समय पर सत्यापित करना होगा।

1.4.28— चुनाव आयोग द्वारा मतदान के समापन के लिए तय किए गए घंटे में आपको मतदान बंद करना होगा, भले ही चुनाव शुरू होने में किसी भी कारण से देरी हो। किन्तु मतदान

www.rajteachers.com

समय समापन से पूर्व मतदान केंद्र में मौजूद सभी मतदाताओं को वोट देने की इजाजत दी जाएगी, भले ही कुछ और समय के लिए मतदान जारी रखना पड़े। सभी मतदाताओं ने अपना वोट डाला है और कोई भी नहीं छोड़ा गया है यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतदान समय समापन के बाद कोई भी मतदाता कतार में शामिल नहीं हो, इस उद्देश्य के लिए, आपको आपके द्वारा हस्ताक्षरित क्रमांकित पर्ची कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से पर्ची के वितरण को शुरू करके उपस्थित सभी मतदाताओं को वितरित करनी चाहिए।

1.4.29– मतदान समाप्ति बाद आपको फॉर्म 17 सी के भाग 1 में 'रिकॉर्ड किए गए वोटों का मतपत्र लेखा' तैयार करना होगा तथा उस फॉर्म में निर्दिष्ट कॉलम में मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा। मतदान केंद्र में मौजूद प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान एजेंट को दर्ज वोटों के ऐसे लेखा की अधिकृत प्रतियां दी जानी चाहिए। आपको आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म में उम्मीदवारों के एजेंटों को ऐसी प्रतियां प्रदान करने के बारे में भी घोषणा भी करने की आवश्यकता है।

1.4.30– मतदान के बंद होने के बाद, वीवीपैट और सभी चुनाव पत्रों (पेपर्स) के साथ मतदान मशीन को निर्धारित तरीके से सील कर दिया जाना चाहिए। सीलिंग के दौरान मतदान केंद्र में उपस्थित उम्मीदवार या उनके एजेंट भी होंगे।

आपको वोटिंग मशीन और वीवीपैट और चुनाव पत्रों की सीलिंग और सुरक्षा के बारे में सावधानीपूर्वक निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो।

1.4.31– मतदान मशीन और वीवीपैट और चुनाव पत्रों के लिफाफे जिम्मेदार अधिकारी को सुरक्षित रूप से मुहरबंद सौंपने की आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

www.rajteachers.com

अध्याय – 2

मतदान दल एवं प्रशिक्षण

2.1 मतदान दल

2.1.1 आम तौर पर, मतदान दल में पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी शामिल होंगे। वीवीपैट, स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) के साथ वीवीपैट प्रदान किए जाने पर एक अतिरिक्त मतदानकर्मी मुहैया कराया जाएगा। मतदान दल की नियुक्ति करते समय, आपके जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी किसी भी अपरिहार्य कारण से मतदान केंद्र पर कर्तव्य हेतु सक्षम नहीं होने पर पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए मतदान अधिकारियों में से एक को अधिकृत करेंगे।
2.1.2 एक साथ चुनाव में मतदान के संचालन के लिए, टीम में पीठासीन अधिकारी और पांच मतदान अधिकारी शामिल होंगे।

2.2 मतदान दल प्रशिक्षण

2.2.1 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपके और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था करेगें। आप और मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सभी संदेहों को स्पष्ट कर लेना चाहिए।

2.2.2 प्रशिक्षण कक्षाओं/अभ्यासों को हल्के ढंग से न लें। यहां तक कि यदि आपने कुछ पूर्व चुनावों में पीठासीन अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर के रूप में काम किया था, जहां वीवीपैट के साथ ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, तो भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/रिहर्सल के दौरान प्रशिक्षण कक्षाओं/रिहर्सल के दौरान भाग लेना चाहिए, जिनमें आप वीवीपैट और कुछ नए तथ्यों/निर्देश/कानून के प्रावधान के बारे में जान सकते हैं। चुनाव कानून और प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित की जा रही है अतः यह आवश्यक है कि आप कानून, नियमों, निर्देशों आदि के नवीनतम प्रावधानों के बारे में खुद को अद्यतन रखें। इसके अलावा, यदि आपको कोई कानून और प्रक्रिया याद नहीं है तो भी आपकी याददाश्त को ताजा करना हमेशा आवश्यक है। प्रशिक्षण कक्षाओं के आखिर तक आपको वीवीपैट के साथ ईवीएम के संचालन में, ग्रीन पेपर सील, विशेष टैग, स्ट्रिप सील, सभी सीलिंग प्रक्रिया और मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक फॉमर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए।

2.3 डाक मत पत्र के लिए आवेदन

2.3.1 आप और आपके मतदान अधिकारी की ड्यूटी उस निर्वाचन क्षेत्र में हो सकती है जिसमें आप मतदाता हैं या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में आपको पोस्ट किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपको दो प्रतियों में पीठासीन अधिकारी के रूप में

www.rajteachers.com

नियुक्त करने का आदेश जारी करेगा और इस आदेश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपको पर्याप्त संख्या में फॉर्म 12 और 12 ए भेज देगा ताकि आप एवं मतदान अधिकारी डाक मतपत्र या चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें।
यदि आप में से कोई भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता है जिसमें आपको चुनाव कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया गया है, तो आप रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12 ए में एक चुनाव डयूटी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अधिकारी के लिए, जो कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्र में निवार्चन हेतु नियुक्त होगें उन्हें फॉर्म 12 में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में व्यवस्था प्रशिक्षण सत्रों में की जाएगी।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार डाक मतपत्र आपको जारी करने के बाद, आप केवल डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, भले ही आप वास्तव में किसी भी कारण से चुनाव डयूटी के लिए तैनात नहीं हैं।

2.3.2 प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान, जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्र में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप मतदाता संख्या देखकर उनके विवरण को नोट कर सकें, जो आपको पोस्टल बैलोट पेपर के लिए अपने आवेदनों में प्रस्तुत करना होगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 3
वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री को प्राप्त करना

3.1 मतदान सामग्री

3.1.1 पीठासीन अधिकारी को मतदान के एक दिन पूर्व या मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान से पूर्व सभी चुनाव सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। मतदान केंद्र के लिए जाने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि वह सभी सामग्री प्राप्त कर ली है।

3.2 ईवीएम और वीवीपैट की जाँच

3.2.1 जाँच करें कि कन्ट्रोल यूनिट (सीयू), बैलेट यूनिट (बीयू) और (वीवीपैट) वही हैं जो आपके मतदान केंद्र के लिए आवण्टित हैं। इसकी जांच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इन मशीनों पर लगाये गए एड्रेस टैग से की जा सकती है, जिन पर मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की क्रम संख्या एवं मशीन का नंबर लिखा होता है।

3.2.2 जाँच करें कि कन्ट्रोल यूनिट का 'उम्मीदवार सेट खण्ड' व 'बैटरी खण्ड' विधिवत् रूप से सीलबंद है और एड्रेस टैग सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है।

3.2.3 जाँच करें कि कंट्रोल यूनिट (सीयू) में स्थापित बैटरी पूरी तरह चालू है। इसके पावर स्विच को ऑन करके इसकी जाँच की सकती है। इसकी जांच करके पॉवर स्विच 'बंद' किया जाना चाहिए।

3.2.4 **ध्यान रखें कि मतदान पार्टी को किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र पर रवानगी के समय पर तथा मॉक चुनाव से पहले** वीवीपैट **परीक्षण करने के लिए निर्देश नहीं है, उन्हें जारी किए गए वीवीपैट पहले ही जाँच और परीक्षण किये हुए हैं।** (51/8 / वीवीपैट / 2017–ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017)

3.2.5 जांच करें कि आपको नियत संख्या में बैलेट यूनिट (बीयू) दी गयी हैं और उनमे मतपत्र स्क्रीन पर कागज का नियत मतपत्र लगा है। बैलेट यूनिट्स की संख्या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी।

3.2.6 **M2 ईवीएम के बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच स्थिति की जाँच करें:–** चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 2 से 15 के बीच है, तो केवल एक ही बैलेट यूनिट दी जाएगी और बैलेट यूनिट के दाईं ओर शीर्ष पर स्लाइड स्विच की स्थिति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा '1' निर्धारित की जाएगी। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 16 और 31 के बीच है, तो आपको दो बैलेट यूनिट्स दी जाएगी। पहले बैलेट यूनिट जिसमें उपरोक्त स्लाइड स्विच की स्थिति '1' है उसमे क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र पर शामिल होंगे सेट किया होगा। दूसरी बैलेट यूनिट में क्रम संख्या 17 से (31 तक) उम्मीदवारों के नामों वाला मतपत्र लगा होगा और स्लाइड स्विच की स्थिति '2 'पर सेट की जाएगी। इसी तरह, तीन बैलेट यूनिट्स दी जाएँगी। यदि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 33 और 47 के बीच है। अगर

www.rajteachers.com

उम्मीदवारों की संख्या 47 से अधिक है और 63 तक है तो वहाँ इस तरह के चार इकाइयों का प्रयोग होगा। तृतीय बैलेट यूनिट के मतपत्र में क्रम संख्या 33 से 47 तक के उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे और इसका स्लाइड स्विच स्थिति '3' पर सेट कर दिया जाएगा। चौथे बैलेट यूनिट में मतपत्र में क्रम संख्या 49 से 63 तक के उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे और इसका स्लाइड स्विच स्थिति '4' पर सेट कर दिया जाएगा। स्लाइड स्विच 1, 2, 3 और 4 है। स्विच '1', '2', '3' या '4' स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसा ऊपर बताया गया है। स्विच की स्थिति को बैलेट यूनिट के दाईं ओर शीर्ष पर छोटी सी खिड़की के माध्यम से देखा जा सकता है।

3.2.7 **M3** ईवीएम **के बैलेट यूनिट में** Thumbwheel **सेटिंग की जाँच करें:** Thumbwheel स्विच विंडो बैलेट यूनिट के शीर्ष दाईं ओर है और इसमें दो thumbwheels होते हैं। बैलेट यूनिट के अंदर दांया thumbwheel खिड़की के माध्यम से '0', '1', '2', '3',....'9' अंक प्रकट करने के लिए संचालित किया जा सकता है। बाँया thumbwheel खिड़की के माध्यम से '0', '1' व '2' प्रकट करने के लिए, संचालित किया जा सकता। जब केवल एक ही बैलेट यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है तो दांये thumbwheel पर संख्या 1 और बाये thumbwheel पर संख्या 0 प्रदर्शित की जायेगी। जब दूसरा बैलेट यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है तो दाये thumbwheel पर संख्या 2 और बाये thumbwheel पर संख्या 0 प्रदर्शित की जायेगी। चौबीसवी बैलेट यूनिट को इस्तेमाल करने के लिए उसके दाये thumbwheel पर संख्या 4 और बाये thumbwheel पर संख्या 2 प्रदर्शित की जायेगी। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 2 से 15 के बीच है, तो केवल एक ही बैलेट यूनिट काम में ली जाएगी और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बैलेट यूनिट के दाईं ओर शीर्ष स्थान पर thumbwheel से '01' निर्धारित किया गया है, खिड़की के माध्यम से दिखाई देगा। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 16 और 31 के बीच है, तो आपको दो बैलेट यूनिट्स प्रदान की जाएगी। पहले बैलेट यूनिट जिसमें उपरोक्त thumbwheel की स्थिति '01 'होगी तथा उसमे क्रम संख्या 1 से 16 तक के उम्मीदवारों वाला मतपत्र लगा होगा। दूसरी बैलेट यूनिट में 17 से उम्मीदवारों के नामों वाला मतपत्र (31 तक) लगा होगा और thumbwheel की स्थिति '02 'पर सेट होगी। इसी तरह, उम्मीवारों की संख्या 33 से 47 के बीच होने पर तीन बैलेट यूनिट्स तथा 47 से 63 तक के लिए चार बैलेट यूनिट्स प्रदान की जाएँगी। तृतीय बैलेट यूनिट में मतपत्र क्रम संख्या 33 से 47 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला लगा होगा एवं उसके thumbwheel की स्थिति '03' पर सेट कर दिया जाएगा। चौथे बैलेट यूनिट में मतपत्र क्रम संख्या 49 से 63 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला लगा होगा एवं उसके thumbwheel की स्थिति '04 'पर सेट कर दिया जाएगा। पाँचवे बैलेट यूनिट में मतपत्र क्रम संख्या 65 से 79 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला लगा होगा एवं उसके thumbwheel की स्थिति '05 'पर सेट कर दिया जाएगा। इस तरह, चौबीसवें बैलेट यूनिट में मतपत्र क्रम संख्या 368 से 383 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला लगा होगा एवं उसके thumbwheel की स्थिति 24 पर सेट कर दिया जाएगा। नोट–– एम 3 ईवीएम में, 24 बैलेट यूनिट्स को कन्ट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है।

www.rajteachers.com

3.2.8 आपको स्लाइड स्विच या thumbwheel के फिक्सिंग में कोई विसंगति मिल जाए, उसे तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी के ध्यान में लावे। लेकिन **किसी भी मामले में, आप या आपके मतदान अधिकारी द्वारा स्लाइड स्विच/thumbwheel के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।**

3.2.9 यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान के लिए बैलेट यूनिट में लगा मतपत्र ठीक ढंग से संरेखित होकर लगा हो और प्रत्येक उम्मीदवार का नाम, प्रतीक उसके बटन और लैंप एक साथ कतार में हों।

3.2.10 जाँच करें कि उम्मीदवारों की नीले बटन जिनका सफेद कवर उतार दिया है, बैलेट यूनिट पर दिखाई दे रहे हैं तथा वे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या के बराबर हैं, और शेष बटन, यदि कोई हो उन्हें तो सफेद कवर से बंद किया गया है।

3.2.11 जाँच करें कि प्रत्येक बैलेट यूनिट विधिवत् सील है और इसके दो स्थानों पर शीर्ष और नीचे के भाग में पते के टैग मजबूती से रिटर्निंग अधिकारी की सील के साथ जुड़े हैं ।

3.3 मतदान सामग्री की जाँच

3.3.1 जाँच करें कि किट में आपको अमिट स्याही की 10 सीसी की दो शीशियाँ प्रदान की गयी हैं और प्रत्येक में स्याही की पर्याप्त मात्रा है। आजकल अमिट स्याही एक रेखा के रूप में, बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून के ऊपरी भाग से अंगुली के पहले युग्म तक लगाई जाती है। साथ ही देख लें कि स्टांप पैड सूखे नहीं हो।

3.3.2 जाँच लें कि संबंधित भाग की मतदाता सूची की तीन प्रतियां (एक साथ चुनाव हो तो पांच प्रतियां) पूर्ण हैं और हर मामले में समान हैं और विशेष रूप से–

3.3.3 आपको दिया गया प्रासंगिक हिस्सा उस क्षेत्र से संबंधित है जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और यह कि प्रत्येक प्रतिलिपि में पूरकसूचियाँ लगी हुई है।

3.3.4 अनुपूरक के अनुसार हटाये गए नाम या अन्य त्रुटियों के नामों और सुधारों को सभी प्रतियों में विधिवत् शामिल किया गया है।

3.3.5 मतदाता सूची की प्रत्येक कार्यकारी प्रतियों में सभी पृष्ठों को क्रमशः नंबर 1 से क्रमबद्ध किया गया है।

3.3.6 मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या को स्याही या अन्य के द्वारा संशोधित नहीं किया गया हैं और उन्हें कोई नई संख्या द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

3.3.7 मतदाता सूची की चिह्नित प्रति (मतदाता सूची की प्रति 'मतदाताओं के नामों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रति) में डाक मतपत्र पत्र एवं ईडीसी जारी करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले चिन्ह के अलावा कोई टिप्पणी नहीं हो (जैसे' पीबी 'ईडीसी')। पूरक सूची में यदि कोई नाम विलोपन हो तो मूल सूची में संबंधित मतदाता के बॉक्स पर ''डिलीटेड'' शब्द छपा हुआ दिखाई देगा।

3.3.8 मतदाता सूचियाँ एक AERO और एक अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होंगी।

www.rajteachers.com

3.3.9 मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के शीर्ष पर RO/ARO द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी लगा होता है।

3.3.10 जांचें कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के साथ उन मतदाताओं की रेफरल फोटो पत्रक, जिनके EPIC फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो कवरेज बढ़ाने के लिए किए गए, EPIC अभियान के दौरान तैयार किए गए थे लेकिन फोटो को मतदाता सूची में मुद्रित नहीं किया जा सका, ऐसे मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केंद्र में सुविधा के लिए आपको दिया गया है। रेफरल फोटो शीट में क्रम संख्या, मतदाता का नाम, संबंधी का नाम और मतदाता की टिकट आकार की तस्वीर होगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी संदेह के मामले में, उन्हें रेफरल फोटो शीट भी दिखाया जा सकता है (यदि उनके द्वारा पूछा जाता है) ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके।

3.3.11 जांच करें, कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के साथ अनुपस्थित मतदाताओ की सूची, स्थानांतरित मतदाताओ की सूची (यदि कोई हो तो) आपको दी गई है जो मतदाताओं की पहचान करने के लिए मतदान केंद्र में काम आएगी।

3.3.12 जांचें कि, आपको प्रदान किए गए निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हैं जिसमें आपको मतदान करवाना है और वे किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं हैं। आपको यह भी जांचना चाहिए कि उनके सीरियल नंबर आपको दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं।

3.3.13 यदि आपको कोई भी वोटिंग मशीन या मतदान सामग्री दोषपूर्ण लगती है, तो आपको तुरंत मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण प्रभारी या रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में इस तरह के दोष को तुरंत लाया जाना चाहिए।

3.3.14 यह भी जांचें कि उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों के नमूने के हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी आपको भी दी गई हैं। यह मतदान केंद्र में मतदान एजेंट की नियुक्ति पत्र में उम्मीदवार/उसके चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर की वास्तविकता की पुष्टि करने में आपकी मदद करेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय–4

फोटोयुक्त मतदाता सूची

4.1 फोटोयुक्त मतदाता सूची

4.1.1– फोटोयुक्त मतदाता सूची अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। मतदान के दिन प्रतिरूपण रोकने के लिए यह एक दृष्टिकोण के साथ किया गया है।

4.1.2– फोटोयुक्त मतदाता सूची में सभी सूचनाओं के अलावा मतदाताओं की फोटो शामिल हैं। यह चुनाव के दिन मतदान केंद्र में मतदाता की पहचान के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाता है ।

4.1.3– आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता की पहचान के लिए EPIC का उपयोग किया जाता है। EPIC की अनुपस्थिति में, पहचान फोटो सहित किसी भी वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से स्थापित की जायेगी जिसमें आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची शामिल है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक चुनाव के लिए आयोग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाता है।

4.1.4– जहां तक मतदाता की पहचान के लिए EPIC के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक मतदाता EPIC (जिसे दूसरे चुनाव पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है) लेकर किसी दूसरे मतदान केंद्र जहां उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है मतदान हेतु उपस्थित है तो ऐसे मामलों में मतदाता की बाएँ तर्जनी की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता ने किसी अन्य मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग तो नहीं कर लिया है।

4.1.5– चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि विदेश में रह रहें मतदाताओं की पहचान मतदान केंद्र में मतदान के समय उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

www.rajteachers.com

अध्याय – 5

ईवीएम और वीवीपीएटी एक परिचय

5.1 **ईवीएम के लिए परिचय**

5.1.1 **एक ईवीएम में दो इकाइयां होती हैं, कंट्रोल यूनिट (सीयू) और बैलेट यूनिट (बीयू) एक** BU **नोटा सहित** 16 **उम्मीदवारों के लिए उपयोग में ली जा सकती है ।** CU **को** BU **से जोड़ने के लिए** 5 **मीटर लम्बी केबल होती है**

5.1.2 **एम** 2 **ईवीएम**: 2006–10**से पूर्व की ईवीएम को एम** 2 **ईवीएम कहा जाता है। एम** 2 **ईवीएम को** 4 BU **को एक साथ जोड़ कर अधिकतम** 64 **उम्मीदवारों (नोटा सहित) के लिए उपयोग में लिया जा सकता है**

5.1.3 **एम** 3 **ईवीएम**: 2013 **के बाद की ईवीएम को एम** 3 **ईवीएम कहा जाता है। एम**3 **ईवीएम में**, 24 BU **को अधिकतम** 384 **उम्मीदवार** (NOTA **सहित)।के लिए उपयोग में लिया जा सकता है इस हेतु** 5**वीं**, 9**वीं**, 13**वीं**, 17**वींऔर** 21**वीं** BU **में बैटरी लगाने का प्रावधानहै।** BU **के दायें शीर्ष किनारे पर लगे थम्ब व्हील स्विच की सहायता से** BU **संख्या** 1 **से** 24 **तक सेट की जा सकती है।** CU **के प्रदर्शन पैनल में** 12 **कैरेक्टर के** 2 **डिस्प्ले पंक्तियाँ हैं। एम** 3 **ईवीएम में**, **उम्मीदवार सेट अनुभाग बैटरी अनुभाग से अलग किया गया है।**

5.1.4 **बीईएल**, **बैंगलोर और ईसीआईएल**, **हैदराबाद दोनों द्वारा निर्मित** ईवीएम **की बनावट और विशेषताएं लगभग सामान हैं दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए** 1 **से** 16 **तक के अंक ब्रेल लिपि में** BU **के नीले बटन के पास अंकित हैं।**

www.rajteachers.com

5.1.5 **परिणाम खंड के बाएँ ओर क्लोज बटन है जिसे काले ढक्कन से बंद किया गया है। परिणाम खंड के अन्दर के ढक्कन में दो पीले बटन क्रमश: रिजल्ट और प्रिंट के लिए है इस ढक्कन को खोले बिना ये दोनों कार्य (परिणाम और प्रिंट)संभव हैं| इस हेतु इनके ऊपर के छिद्रों पर लगी एक ग्रीन पेपर सील को चाकू अदि से तोडा जाता है।**

5.2 **एम** 2 **ईवीएम प्रदर्शन**

5.2.1 **एम** 2 **ईवीएम डिस्प्ले पैनल दो पंक्तियों पर डेटा प्रदर्शित करता है जिसमें प्रत्येक** में 12 **करैक्टर होते है| एम** 2 ईवीएम **के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित विभिन्न डिस्प्ले और उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं |**

5.2.2 "LINK ERROR-1" **पहले बीयू के** 'LINK ERROR' **को इंगित करता है, यानी, इंटरकनेक्टिंग केबल** ठीक से नहीं लगी है या जब केवल एक BU का उपयोग किया जाता है उस समय स्लाइड स्विच स्थिति 1 पर सेट नहीं किया गया है या जब एक से अधिक BU का उपयोग किया जाता है तो वे BU उचित क्रम में नहीं जोड़ी गई हैं |

5.2.3 "PERSS ERROR -1" **पहली बैलेट यूनिट में कि`सी भी उम्मीदवार का बटनदबा है या जाम है |**

5.2.4 "ERROR " CU **उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।**

5.2.5 "INVALID" **नियंत्रण इकाई के बटन को दबाने का क्रम गलत है |**

5.2.6 "CU –ERROR " **इंगित करता है कि** CU **को बदला जाना है।**

5.2.7 "BU -1 ERROR " **बैलेट यूनिट** -1 **को बदलना है।**

5.2.8 "CLOCK ERROR " **रीयल टाइम क्लॉक** (RTC) **खराब है।**

5.2.9 "END " **क्लीयर या रिजल्ट बटन दबाने पर प्रदर्शन समाप्ति के अंत में प्रदर्शित सूचना**

5.2.10 "FULL " ईवीएम **में** 2000 **मत डाले जा चुके हैं** (M-3 ईवीएम **डाले जा सकने वाले अधिकतम मतों की संख्या**)

5.2.11 "CANDIDATES 64" **इंगित करता है कि मशीन** 64 **उम्मीदवारों के लिए सेट है। उम्मीदवारों की संख्या** 02 **से** 64 (NOTA **सहित**) **तक हो सकती है |**

www.rajteachers.com

5.2.12 "TOTAL POLLED VOTE 115 " **इंगित करता है कि मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या** 115 **है।**

5.2.13 "CANDIDATE -05 VOTE 512" **इंगित करता है कि उम्मीदवार संख्या** 5 **ने** 512 **मत प्राप्त किये हैं|**

5.2.14 "----------------" **इंगित करता है कि पावर पैक कमजोर है।**

5.2.15 “CHANGE BATTERY” बैटरी बदलें

5.2.16 "BATTERY HIGH" **इंगित करता है कि बैटरी की क्षमता अधिक है।**

5.2.17 "BATTERY MEDIUM " **इंगित करता है कि बैटरी की क्षमता मध्यम है।**

5.2.18 "BATTERY LOW" **इंगित करता है कि बैटरी की क्षमता कम है।**

5.2.19 "DTE 16-07-2018 TME09-10-25" **तिथि और समय इंगित करता है।**

5.2.20 "SL NO –H 00005" **नियंत्रण इकाई की क्रम संख्या को प्रदर्शित करता है जो** CU **के पीछे भी लिखी होती है**

5.2.21 "COMPUTING RESULT" **इंगित करता है कि परिणाम गणना की जा रही है।**

5.2.22 "PST 07-00-00 PET 18-50-10" **मतदान शुरू करने का समय** और मतदान समाप्ति का समय प्रदर्शित करता है

5.2.23 "POLL RESULT PDT 16-07-18" **मतदान के परिणाम और** मतदान की **तारीख को इंगित करता है।**

5.2.24 "PRINTING" **संकेत करता है कि प्रिंटिंग प्रगति पर है।**

5.2.25 “DELETING POLLED VOTE” **सीयू से मतदान किए गए वोट को हटाया जा रहा है**

5.2.26 **जब** CU का **पावर स्विच 'ऑन' किया जाता है तो** CU **के प्रदर्शन खंड पर बीप सुनाई देगी और** CU **पर हरा बल्ब जलने लगता है तत्पश्चात क्रमागत रूप से निम्न डिस्प्ले प्रदर्शित होगा**

www.rajteachers.com

EVM IS ON
ECI

DTE 16 - 06 - 18
TME 08 - 10 - 25

SL NO – H00005

CANDIDATES
10

BATTERY
HIGH

5.2.27 **जब** CLEAR बटन दबा कर ईवीएम में सभी उम्मीदवारों को मतों की संख्या शून्य की जाती है तो क्रमागत रूप से निम्न डिस्प्ले प्रदर्शित होगा

www.rajteachers.com

DELETING
POLLED VOTES

CANDIDATES
10

TOTAL POLLED
VOTES 0

CANDIDATE - 01
VOTES 0

CANDIDATE - 02
VOTES 0

CANDIDATE - 10
VOTES 0

END

www.rajteachers.com

5.2.28 'TOTAL' **बटन दबाये जाने पर** CU **के प्रदर्शन खंड में निम्न सूचनाएं प्रदर्शित होंगी**

BATTERY
HIGH

DTE 16 - 06 - 18
TME 11 - 00 - 25

CANDIDATES
10

TOTAL POLLED
VOTES 115

5.2.29 **ईवीएम में मतदान समाप्ति के समय क्लोज बटन दबाने पर प्रदर्शित डिस्प्ले निम्नानुसार है**

CLOSING

DTE 16 - 06 - 18
TME 18 - 10 - 25

SL NO – H00005

CANDIDATES
10

TOTAL POLLED
VOTES 1150

POLL
CLOSED

www.rajteachers.com

5.3 **एम** 3 **ईवीएम प्रदर्शन**

5.3.1 **एम** 3 **ईवीएम** के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित विभिन्न डिस्प्ले और उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं

5.3.2 "POWER ON LED NOT OK " CU **के प्रदर्शन खंड की** LED **खराब है**

5.3.3 "BUZZER NOT OK" CU **का बजर ठीक नहीं है।**

5.3.4 "BUSY LED NOT OK " **सीयू का बिजी एलईडी ठीक नहीं है।**

5.3.5 "DIGIT 2 NOT OK " **कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले खराब है|**

5.3.6**।** "**CHANGE BATTERY**" **CU की बैटरी बदलें|**

5.3.7 "**BU** 01 KEY06**NOT OK**" **BUकी उम्मीदवार 6 का बटन खराब है|**

5.3.8 "**BU**01**READY LED NOT OK**" BU 1**का LED ठीक नहीं है**

5.3.9 "BU 05**WITHOUT BATTERY**" **BU 05 में बैटरी नहीं है (इसी प्रकार प्रदर्शन होगा यदि 9वीं 13वीं 17वीं या 21वीं BU में बैटरी नहीं है**

5.3.10 "**BU 05 CHANGE** BATTERY**" BU 05 की बैटरी बदलें**

5.3.11 "**SELF CHECKING IN PROGRESS" CU की स्वयं की जांच जारी है**

5.3.12 "DTE 16-07-18 TME 09-10-25" **DD-MM-YY प्रारूप में तिथि और HH-MM-SS प्रारूप में समय को प्रदर्शित करता है**

5.3.13 "**SL**NUM BCUAA00001 ' **CU की कर्म संख्या को प्रदर्शित करता है जो CU के पीछे मेटल टैग पर भी लिखा होता है**

5.3.14 "**CANDIDATE** 10" **यह** ईवीएम **मशीन** 10 **उम्मीदवारों के लिएसाईट है।उम्मीदवारों की संख्या** 02 **से** 384 (NOTA **सहित**) **तक साईट की जा सकती है**

5.3.15 "**BATTERY HIGH** 95**%" बैटरी की वर्तमान क्षमता 95%** '**उच्च**' **है**

5.3.16 "**BATTERY MEDIUM** 73**%**" **बैटरी की क्षमता** 73% '**मध्यम**' **है**

5.3.17 "**BATTERY LOW** 45**%**" **बैटरी की क्षमता** 45% '**कम**' **है**

www.rajteachers.com

5.3.18 "**BATTERY** MARG 26**%**" **बैटरी की क्षमता** 26% '**मार्जिनल**'**है ।**

5.3.19 "**CHANGE BATTERY**" **बैटरी बदलें**

5.3.20 "**DISCOVERING UNITS "CU इससे जुड़ी इकाइयों को खोज रही है।**

5.3.21 "**DISCOVER BU** 01" **एक BU कंट्रोल यूनिट से जुडी है।**

5.3.22 "**DISCOVER** BU01 BU02" **कंट्रोल यूनिट से दो BU जुड़े हैं ।**

5.3.23 "**BU** 01**GN 0**1**TESTING** " **कंट्रोल यूनिट BU को प्रमाणित कर रही है ।**

5.3.24 "**BU01 GN** 1 OK "**कंट्रोल यूनिट के साथ एक BU प्रमाणित है ।**

5.3.25 "BU01 GN1 NOT OK" **कंट्रोल यूनिट के साथ बीयू** 01 **प्रमाणित नहीं है** (**संदेश सीयू पर कोई भी बटन दबाने पर ब्लिंक होगा**)

5.3.26 "BU01 NOT RESPONDING" **इंगित करता है कि** BU 01 **के साथ संचार नहीं है**

5.3.27**।** "BU NOT CONNECTED" **कंट्रोल यूनिट के साथ BU नही जुडी है (CU में बैलेट बटन दबाने पर या क्लियर बटन दबाने पर**

5.3.28 "NO UNITS CONNECTED" **इंगित करता है कि सीयू के साथ कोई भी इकाई जुड़ी नहीं है।**

5.3.29 'INCORRECT NUMBER OF BU' **यह प्रदर्शित करता है कि सीयू में क्लियर या बैलेट बटन दबाया जाता है तो उस समय कंट्रोल यूनिट से जुडी** BU **की संख्या कंट्रोल यूनिट में सेट** BU **की संख्याओं से भिन्न है**

5.3.30 'EVM IS READY' ईवीएम **मतदान हेतु तैयार है**

5.3.31 'PRESSED ERROR BU01' BU **का कोई नीला बटन दबा हुआ है**

5.3.32 'DISCONNECT BU02' **कंट्रोल यूनिट में सेट किये गए उम्मीदवारों की संख्या से अधिक** BU **कंट्रोल यूनिट से जुडी है** (**जैसे उम्मीदवार** 5 **हैं और** 2 BU **जुडी हैं**)

5.3.33 'BU02 NOT CONNECTED' **कंट्रोल यूनिट में सेट उम्मीदवारों की संख्या तुलना में जुडी** BU **की संख्या कम है**

www.rajteachers.com

5.3.34 'PADU NOT CONNECTED' **परिणाम प्राप्त करने के बाद बिना प्रिंटर को जोड़े प्रिंट बटन दबाये जाने पर प्रदर्शित डिस्प्ले**

5.3.35 "INVALID" **नियंत्रण इकाई पर एक बटन इंगित करता है अनुक्रम से बाहर दबाया गया है।**

5.3.36 "**FULL**" **इंगित करता है कि अधिकतम संख्या में वोट** (2000) **जिसके लिए मशीन**

डिजाइन किया गया है मतदान हो चुका है

5.3.37 "**PRINTING** " **मशीन से प्रिंटिंग जारी है**

5.3.38 **'CLOCK ERROR** " **इंगित करता है कि** RTC **में समय और तारीख ठीक नहीं है।**

5.3.39 "INOPERATIVE" **इंगित करता है कि नियंत्रण इकाई का आगे उपयोग नहीं किया जा सकता है।**

5.3.40 " ELECTION EXCEEDED" **इंगित करता है कि पहले वोट के बाद से ईवीएम में तारीख बदल गई है**

5.3.41 "TOTAL POLLED VOTES 50" **इंगित करता है कि मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या** 50 **है।**

5.3.42 "CANDIDATE 05 VOTES 512" **इंगित करता है कि उम्मीदवार संख्या** 5 **ने** 512 **मत प्राप्त किये हैं**

5.3.43 "CONNECT ANY SLVE UNIT". **परिणाम बटन के दबाने पर कोई स्लेव यूनिट जुडी नहीं है तो प्रदर्शित डिस्प्ले**

5.3.44 "COMPUTING RESULT" **इंगित करता है कि परिणाम गणना की जा रही है।**

5.3.45 "PTE 07-13-59 PET 18-30-52" **मतदान शुरू करने का समय और मतदान अंत समय इंगित करता है।**

5.3.46 "POLL RESULT PDT 16-06-18" **मतदान के परिणाम और तारीख को इंगित करता है।**

5.3.47 "DELETING POLLED VOTES" **सीयू मतदान किए गए वोट को हटा रही है।**

www.rajteachers.com

5.3.48 **जब नियंत्रण इकाई का पावर स्विच** '**ऑन**' **किया जाता है, तो यह** CU **के डिस्प्ले खंड पर एक बीप की आवाज के साथ कंट्रोल यूनिट में हरा बल्ब जल उठेगा और निम्नलिखित डिस्प्ले प्रदर्शित होंगे**

EVM IS ON
ECI

SELF CHECK IN
PROGRESS

DTE 16 - 06 - 18
TME 08 - 10 - 25

SL NUM
BCUAA00001

CANDIDATES
10

BATTERY HIGH 95
PERCENT

DISCOVERING
UNITS

DISCOVERED BU01

BU01 GN1
TESTING

BU01 GN1 OK

EVM IS
READY

www.rajteachers.com

5.3.49 **समय-समय पर मतदान के समय डाले गए कुल वोट की संख्या प्राप्त करने के लिए** 'TOTAL' **बटन दबाया जाता है तो निम्न डिस्प्ले दिखाई देता है**

BATTERY HIGH 95 PERCENT
DTE 16 - 06 - 18 TME 11 - 00 - 25
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 115

5.3.50 **जब मतदान समाप्ति के लिए** CLOSE **बटन दबाया जाता है तो निम्न डिस्प्ले प्रदर्शित होता है**

CLOSING
DTE 16 - 06 - 18 TME 18 - 10 - 25
SL NUM BCUAA00001
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 1150
POLL CLOSED

www.rajteachers.com

5.4 वीवीपैट

5.4.1 वीवीपैट **ईवीएम से जुडा एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो मतदाताओं को उनके द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए किये गए मतदान को सत्यापित करता है । जब वोट डाला जाता है, तो वीवीपीएटी प्रिंटर में एक पर्ची मुद्रित होती है जिसमें उम्मीदवार का क्रम संख्या, नाम और प्रतीक होते हैं यह पर्ची** 7 **सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से** देखी **जा सकती है । उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपीएटी के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।**

5.4.2 वीवीपैट **दो प्रकार के हैं एक VSDU के साथ दूसरा VSDU के बिना**

दूसरी प्रकार का वीवीपैट **M3 प्रकार का** वीवीपैट **कहलाता है इस** वीवीपैट **की सभी त्रुटियाँ कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होती है**

5.4.3 वीवीपैट **22.5 वोल्ट की बैटरी पर चलता है। कंट्रोल यूनिट और VSDU को पीठासीन अधिकारी की टेबल पर और BU व** वीवीपैट **को मतदान कम्पार्टमेंट में एक साथ रखते हैं**

5.4.4 M 2 **प्रकार के** वीवीपैट **के बोक्स में निम्न सामग्री होती है**

5.4.4.1 **सीयू के लिए कनेक्टिंग केबल के साथ** वीवीपैट **इकाई।**

5.4.4.2 **कनेक्टिंग केबल के साथ वीएसडीयू।**

5.4.4.3 **बैटरी पैक**

www.rajteachers.com

5.4.4.4 **पेपर रोल**

5.4.5 VSDU : **वीएसडीयू एक अलग इकाई है जो** वीवीपैट **की त्रुटियों को प्रदर्शित करती है यह एक** 5 **मीटर लम्बी केबल से जुदा होता है जिसे** वीवीपैट **से जोड़ा जाता है वीएसडीयू की तस्वीर नीचे दी गई है**:

5.4.6 **एम** 2 वीवीपैट **कनेक्शन**: **वीएसडीयू की काली हरी केबल को** वीवीपैट **के वीएसडीयू इंटरफ़ेस से जोड़ते हैं और बीयू की केबल को** वीवीपैट **के** BU **इंटरफेस से जोड़ा जाता है**

5.4.7 **वीवीपीएटी से जुडी केबल को नियंत्रण इकाई से जोड़ा जाना है**

www.rajteachers.com

<u>उपरोक्त चित्र में M 3 इ.वी.एम. को दर्शाया गया है।</u>

M 3 इ.वी.एम. को जोड़ने के लिये बी.यु. की केबल को वीवीपैट के पीछे कनेक्टर से जोड़ा जाता है एवं वीवीपैट की केबल को सी.यु. में कनेक्टर से जोड़ा जाता है।

5.4.5 M 3 **प्रकार के** वीवीपैट **के बोक्स में निम्न सामग्री होती है**

5.4.5.1 **सीयू के लिए कनेक्टिंग केबल के साथ** वीवीपैट **इकाई।**

5.4.5.2 **बैटरी पैक**

5.4.5.3 **पेपर रोल**

www.rajteachers.com

अध्याय – 6

मतदान केन्द्रों की स्थापना

6.1 मतदान केन्द्र पर आगमन

6.1.1 आपको अपनी पार्टी के साथ रिटर्निंग अधिकारी या सेक्टर अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र पर पहुंचना है। यदि आप मतदान केन्द्र पर चुनाव के दिन पूर्व में दिए गए समय पर नहीं पहुंच सकते तो आप एक दिन पूर्व केन्द्र पर पहुंच सकते है तथा मतदान केन्द्र पर ही सो सकते हैं। इस अवस्था में आप ईवीएम तथा वीवीपैट को नहीं खोलने के प्रति सचेत रहें। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय नागरिकों द्वारा आवभगत स्वीकार नहीं करें। किसी भी अवस्था में आप जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पूर्णतः पालन करें।

6.2 मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति

6.2.1 किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि आप के मतदान केन्द्र पर नियुक्त कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे या कार्य करने में असमर्थ रहता है तो पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार है तथा इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जानी चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा या उनकी ओर से नियुक्त किया हो या उनके लिए चुनाव में कार्य कर रहा हो।

6.3 एकल चुनाव की अवस्था में मतदान केन्द्र की स्थापना

6.3.1 जहां मतदान केन्द्र की स्थापना करनी है वहां पहुंचने पर निर्धारित भवन का निरीक्षण करें तथा मतदान केन्द्र की स्थापना की योजना बनाएं। यदि मतदान केन्द्र पहले से स्थापित हो तो मतदान केन्द्र का निरीक्षण करें। (आदर्श मतदान केन्द्र की रूपरेखा जहां एक चुनाव की व्यवस्था में मतदान दल मे तीन अधिकारी हो नीचे चित्र में दी गई है।) यदि आवश्यक हो तो आप वास्तविक रूपरेखा में आंशिक सुधार कर सकते है लेकिन यह सुनिश्चित करें कि–

6.3.1.1 मतदाताओं को मतदान केन्द्र के बाहर इंतजार करने के लिए पर्याप्त जगह हो।

6.3.1.2 पुरूष और महिलाओं को उपलब्धता के अनुसार अलग–अलग पर्याप्त जगह हो।

6.3.1.3 मतदाताओं को प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग–अलग द्वार हो।

6.3.1.4 यदि मतदान कक्ष में केवल एक ही द्वार हो तो बांस एवं रस्सी की सहायता से उसके मध्य में प्रवेश और निकासी की अलग–अलग व्यवस्था की जा सकती है।

www.rajteachers.com

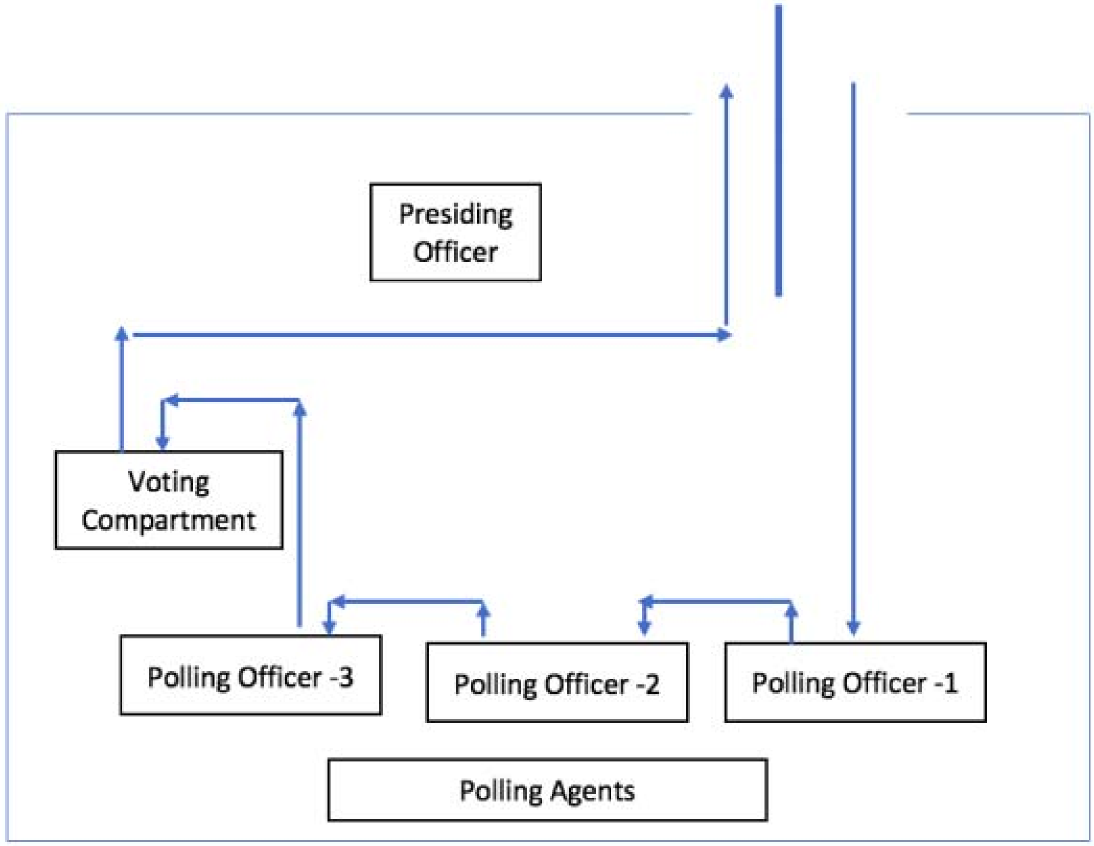

6.3.2 यह सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब/ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर अथवा सामने स्थापित नहीं हों (अत्यधिक लाईट के कारण वीवीपैट में त्रुटि आ सकती है)। वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार व्यवस्थित हों कि –

6.3.2.1 वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो।

6.3.2.2 वोटिंग कंपार्टमेंट के सामने अथवा ऊपर सीधी लाईट की व्यवस्था न हो।

6.3.2.3 मतदान की गोपनीयता भंग न हो।

6.3.2.4 वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की/दरवाजे के निकट ना हों।

6.3.3 मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश से लेकर निकासी तक सुगम आवागमन रहे तथा मतदान केन्द्र के अंदर अव्यवस्थित आवागमन ना हो।

6.3.4 मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार बिठाया जाए कि वह मतदाताओं का मतदान केन्द्र में प्रवेश करते समय चेहरा देख सके तथा उसकी प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान करते

www.rajteachers.com

समय यदि आवश्यक हो तो चुनौती दे सके। यह पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी जहां कंट्रोल यूनिट रखी गई हैं, की सभी गतिविधियों को आसानी से देख सकें और वह मतदाता के पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी की सीट से वोटिंग कंपार्टमेंट में मत देने हेतु प्रवेश और मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र के निकासी तक की गतिविधियों को देख सके लेकिन वह ऐसे स्थान पर नहीं बैठें कि मतदाता द्वारा किस बटन को दबाकर मत दिया जा रहा है, को देखने का अवसर पा सके।

6.3.5 मतदान अधिकारियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार हो कि मतदाता द्वारा बटन दबाकर किसे मत दिया जा रहा है, यह ना देखा जा सकें।

6.3.6 वोटिंग कंपार्टमेंट, कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। **वीवीपैट** व कंट्रोल यूनिट को जोडने वाली केबल लगभग 5 मीटर की होती है इसलिए वोटिंग कंपार्टमेंट को उचित दूरी पर रखा जाए व केबल इस प्रकार व्यवस्थित हो कि वह मतदाताओं के मार्ग में बाधा ना डाले। उसे केबल के ऊपर से ना जाना पडें लेकिन पूरी केबल नजर आनी चाहिए तथा यह कपडें या टेबल के नीचे छिपनी नहीं चाहिए। बैलट यूनिट व **वीवीपैट** को वोटिंग कंपार्टमेंट में इस प्रकार रखा जाए कि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। **वीवीपैट** को प्रथम बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखा जाए।

6.3.7 यह सुनिश्चित कर लें कि वोटिंग कंपार्टमेंट स्टील ग्रे रंग का Flex बोर्ड का बना हो जो अपारदर्शी तथा पुनः प्रयोज्य (reusable) हो। वोटिंग कंपार्टमेंट तीन तह (fold)का हो। यदि एक बैलेट यूनिट हो तो प्रत्येक तह 24''x 24''x 30'' (length x width x height) के आकार का हो। यदि मतदान के समय एक से अधिक बैलेट यूनिट काम में ली जा रही हो तो वोटिंग कंपार्टमेंट की चौड़ाई प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए 12'' बढ जाएगी। इसे दरवाजे या खिडकी से उचित दूरी पर रखा जाना चाहिए।

6.4 एक से अधिक चुनाव होने पर मतदान केन्द्रों की स्थापना

6.4.1 एक से अधिक चुनाव (लोकसभा तथा विधानसभा के साथ साथ) होने पर जहां दो ईवीएम के सेट काम में लिए जा रहे हैं मतदान केन्द्र का ले आउट नीचे दर्शाए अनुसार होगा। ले आउट में मतदाताओं के प्रवेश व निकासी के लिए केवल एक दरवाजा दिखाया है यदि मतदान केन्द्र में दो दरवाजे हो तो पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था होनी चाहिए।

www.rajteachers.com

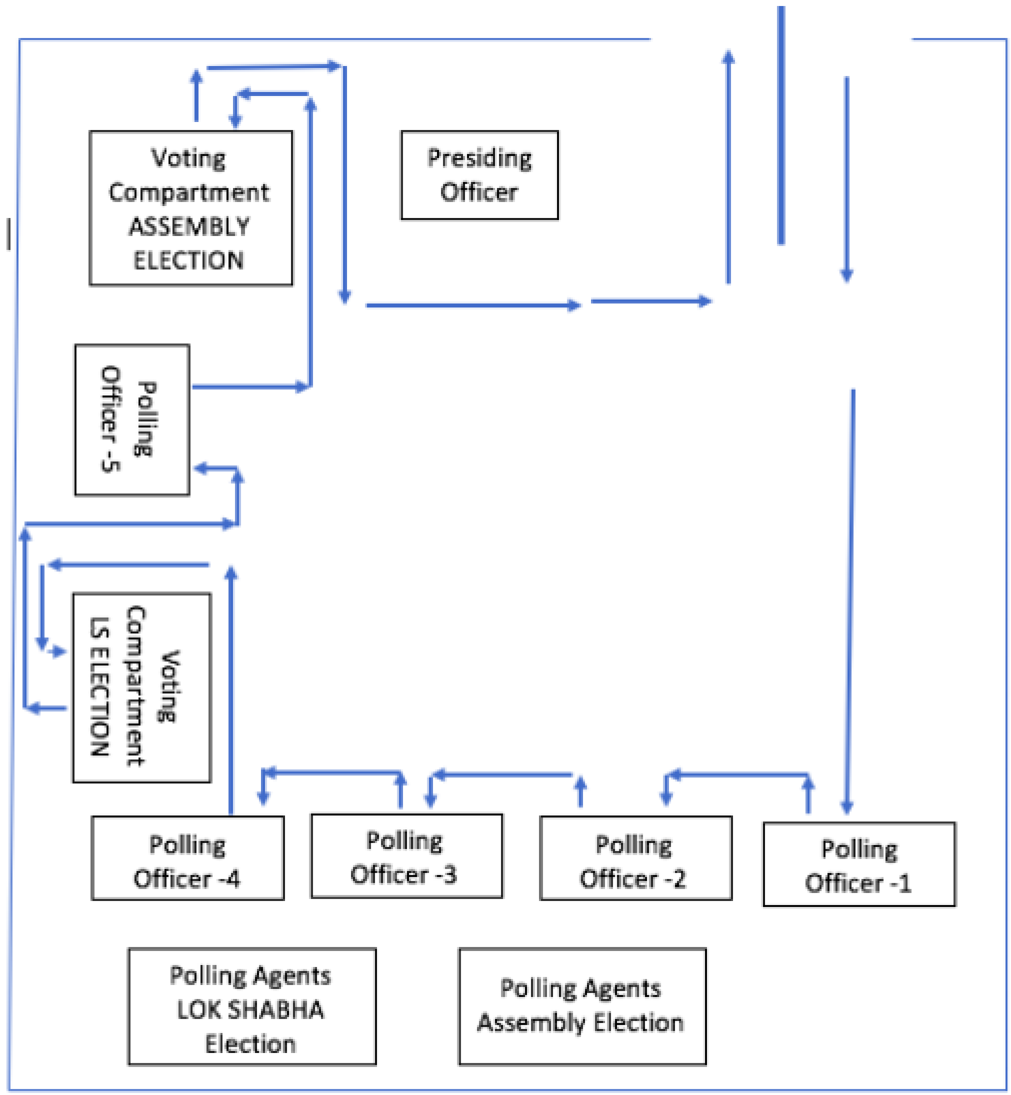

6.4.2 दो अलग–अलग वोटिंग कंपार्टमेंट होंगे एक जिसमें लोकसभा चुनाव की बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट हो तथा दूसरा जिसमें विधानसभा चुनाव की बैलेट यूनिट तथा वीवीपेट हो। प्रत्येक वोटिंग कंपार्टमेंट में मोटे अक्षरों में वोटिंग कंपार्टमेंट–'लोकसभा चुनाव' तथा वोटिंग कंपार्टमेंट– 'विधानसभा चुनाव' चिपका हुआ होना चाहिए।

6.4.3 मतदाता द्वारा मत की गोपनीयता बनी रही अतः इस हेतु बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अन्दर रखा जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट तीन तरफ से ढका हुआ होगा। वोटिंग कंपार्टमेंट व वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अन्दर एक मेज पर इस प्रकार रखा जाएगा जिससे मतदाता को अपना मत अंकित करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। वोटिंग कंपार्टमेंट, कंट्रोल यूनिट से उचित दूरी पर स्थापित होना चाहिए। वीवीपैट तथा कंट्रोल यूनिट को जोडने वाली केबल इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए ताकि वह मतदान केन्द्र में आने

www.rajteachers.com

वाले मतदाता के आवागमन को बाधित न करे, न ही मतदाता उसके ऊपर पैर रखकर गुजरे या ना उसका पैर उसमें उलझे लेकिन पूरी केबल नजर आनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में यह कपडे या टेबल के नीचे छिपनी नहीं चाहिए। यह केबल वोटिंग कंपार्टमेंट के पश्च भाग के नीचे छिद्र में से निकालनी है। तथापि वोटिंग कंपार्टमेंट के पश्च भाग के नीचे स्थित यह छिद्र इतना बड़ा न हो कि मत की गोपनीयता भंग हो। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलट यूनिट तथा वीवीपैट को भी इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि मत की गोपनीयता भंग न हो। इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वोटिंग कंपार्टमेंट मतदान केन्द्र की किसी खिड़की या दरवाजे के पास न हो। वीवीपैट को प्रथम बैलट यूनिट के बाई ओर रखा जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वोटिंग कंपार्टमेंट स्टील ग्रे रंग का flex बोर्ड का बना हो जो अपारदर्शी तथा पुनः प्रयोज्य (reusable) हो। वोटिंग कंपार्टमेंट तीन तह (fold) का हो। यदि एक बैलेट यूनिट हो तो प्रत्येक तह 24''x 24''x 30'' (length x width x height) के आकार का हो। यदि मतदान के समय एक से अधिक बैलेट यूनिट काम में ली जा रही हो तो वोटिंग कंपार्टमेंट की चौड़ाई प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए 12'' बढ जाएगी। इसे दरवाजे या खिडकी से उचित दूरी पर रखा जाना चाहिए लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रकाश की पर्याप्त सुविधा हो। ताकि मतदाता बैलट यूनिट को पढ़ /देख सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वीवीपैट को सीधे प्रकाश के नीचे न रखा जाए।

6.5 अन्य सावधानियॉ

6.5.1 यदि आपके मतदान केन्द्र पर बड़ी संख्या में पर्दानशीन महिला मतदाता है तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने तथा बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाने के लिए महिला मतदान अधिकारी की अलग से व्यवस्था की जाए। साथ ही ऐसे मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनकी निजता तथा मर्यादा को उचित सम्मान देते हुए अलग से एक ओर enclosure की व्यवस्था की जाए। यह enclosure बनाने के लिए स्थानीय जगह से उपलब्ध सस्ती युक्ति यथा चारपाई या चादर का उपयोग किया जा सकता है।

6.5.2 यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन मतदान केन्द्रों पर आने वाले मतदाताओं को अपने–अपने मतदान केन्द्रों की स्पष्टता हो तथा वे अपने मतदान केन्द्रों पर बिना उलझन पहुंच सके। प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने उनके संगत मतदाताओं के इंतजार करने के लिए पृथक–पृथक स्पष्ट एवं समुचित व्यवस्था हो।

6.5.3 यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन/निजी संस्थान में है तो इसके 100 मीटर त्रिज्या का परिधि क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए। इस भवन/संस्थान के मालिक से संबंधित

www.rajteachers.com

किसी भी व्यक्ति (चौकीदार/गार्ड या कोई अन्य) जो सशस्त्र हो या बिना शस्त्र, को मतदान केन्द्र पर या 200 मीटर त्रिज्या के परिधि क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान केन्द्र एवं 200 मीटर त्रिज्या के परिधि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी आपके नियंत्रण के पुलिस कर्मियों की होगी।

6.5.4 मतदान समाप्ति तक राजनैतिक दलों के चिन्ह, नेताओं के फोटो या चुनाव संबंधी स्लोगन्स (नारे) प्रदर्शित नहीं किये जांएगे। यदि वे पूर्व से ही प्रदर्शित है तो उन्हें हटाया जाएगा।

6.5.5 मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के अन्दर भोजन नहीं बनाया जाए तथा न ही किसी भी कारण के लिए आग जलाई जाए।

6.6 नोटिस–डिस्प्ले (सूचना प्रदर्शन)

6.6.1 प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए–

6.6.1.1 एक नोटिस जिस पर मतदान क्षेत्र तथा उस मतदान केन्द्र पर आने वाले मतदाताओं का उल्लेख हो।

6.6.1.2 प्रारूप 7 क में चुनाव लड रहे प्रत्याशियों की सूची।

6.6.2 नोटिस की भाषा तथा चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों के नामों का क्रम तथा नाम चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों की सूची के समान होने चाहिये।

6.7 एक साथ (साथ–साथ) होने वाले चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया

6.7.1 मतदान केन्द्र में प्रवेश के बाद मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान उसके EPIC (Electoral photo identity card) या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये अन्य दस्तावेजों के आधार पर करेगा।

6.7.2 उसके पश्चात मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी सर्वप्रथम मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगाएगा तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाएगा। यदि मतदाता अपने अंगूठे का निशान लगाता है तो मतदान अधिकारी मतदाता के अंगूठे पर लगी अतिरिक्त (Pad Ink) स्याही को मेज पर रखे गीले कपड़े से साफ करने को कहेगा।

6.7.3 जब द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगा रहा है तथा उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता रजिस्टर में लगवा रहा हो तब तृतीय

www.rajteachers.com

मतदान अधिकारी (जो द्वितीय मतदान अधिकारी के साथ बैठा है) दो समान मतदाता पर्ची तैयार करेगा– एक सफेद कागज पर दूसरी गुलाबी कागज पर तथा मतदाता की बाईं तर्जनी की जांच करेगा कि अमिट स्याही से निशान सही प्रकार से लगाया है तथा अमिट स्याही मिटाई तो नहीं है तब दोनों मतदाता पर्ची, मतदाता को देकर चतुर्थ मतदान अधिकारी अथवा कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी के पास भेजेगा।

6.7.4 लोकसभाके लिए मतदान :– मतदाता, दोनों मतदाता पर्ची लेकर जो उसे क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सक्षम बनाती है, चतुर्थ मतदान अधिकारी जो लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है के पास जाएगा। वह सफेद मतदाता पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी को देगा। चतुर्थ मतदान अधिकारी इस संतुष्टि के बाद कि इस मतदाता के मतदान की बारी है, लोकसभा चुनाव हेतु कंट्रोल यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदाता को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा तथा यह करते हुए चतुर्थ मतदान अधिकारी मतदाता को यह भी बताएगा कि लोकसभा हेतु मतदान करने के पश्चात उसे गुलाबी मतदाता पर्ची को लेकर पंचम मतदान अधिकारी के पास विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हेतु जाना है।

6.7.5 मतदाता लोकसभा चुनाव हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपनी पसन्द के प्रत्याशी के पक्ष में बैलट यूनिट का नीला बटन दबाकर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करेगा।

6.7.6 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान– लोकसभा चुनाव हेतु मतदान करने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मतदाता पंचम मतदान अधिकारी जो विधानसभा चुनाव हेतु कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है, के पास जाए। मतदाता से गुलाबी मतदाता पर्ची लेने के बाद तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि इस मतदाता के मतदान की बारी है, पंचम मतदान अधिकारी विधानसभा चुनाव के लिए कंट्रोल यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदाता को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। पंचम मतदान अधिकारी भी मतदाता की बाई तर्जनी का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही का निशान मिटा तो नहीं है।

6.8 हैल्प–डेस्क

6.8.1 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, DEO (District Election Officer) द्वारा हैल्प–डेस्क ड्यूटी के लिए नियुक्त BLO (Booth Level Officer) को मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं के लिए सुविधाजनक स्थान पर पर्याप्त पृथक–पृथक बैठक व्यवस्था हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। यथा संभव मतदान केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर हैल्प डेस्क बनाई जानी चाहिए ताकि मतदाता का ध्यान हैल्प डेस्क पर प्रवेश के समय जाए जिससे उन्हें

www.rajteachers.com

आवश्यक सहायता प्राप्त हो जाए। एक प्रदर्शन पट्ट “HELP DESK” Booth level officer, ps No. – भी हैल्प डेस्क पर लगाया जाए।

6.9 सेक्टर अधिकारी

6.9.1 भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबन्धन के लिए प्रत्येक 10 से 12 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की है। आपके मतदान केन्द्र पर नियुक्त सेक्टर अधिकारी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा उनके सम्पक्र मोबाइल नम्बर भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध करा दिये जांएगे।

www.rajteachers.com

अध्याय – 7

मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था

7.1 चुनाव के दौरान आयोग चुनाव के सुचारू संचालन के लिए केन्द्रीय पुलिस बल तैनात करता है। भारत निर्वाचन आयोग स्थानीय राज्य पुलिस (सभी रूपों सहित) और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को भी चुनाव के समय नियुक्त करता है, ये सभी उद्देश्यों के लिए आयोग के नियंत्रण में रहते है। आयोग चुनाव के सुचारू संचालन के लिए इस बल की सेवा का उपयोग करता है।

7.2 आयोग के नियमानुसार जहां मतदान केन्द्रों पर सी.पी.एफ जवान नियुक्त किया जाता है, उन्हें मतदान केन्द्र के बाहर स्थिर बल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

7.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश 2003 के सी0ए. न. 9228 के अनुसार मतदान केन्द्र पर तैनात CPF जवानों में से एक CPF जवान को मतदान केन्द्र के प्रवेशद्वार पर रखा जायेगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न कर सके तथा मतदान पार्टी और बाहरी व्यक्ति द्वारा मतदान प्रक्रिया में अनियमितता नहीं की जा सके। यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि CPF जवान मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करें।

7.4 मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर तैनात जवान विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं पर नजर रखेगा।

7.4.1 मतदान केन्द्र के अन्दर पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं है।

7.4.2 जब मतदान केन्द्र में वोटर उपस्थित नहीं हो तो मतदान पार्टी और मतदान एजेन्ट कोई वोट डालने का प्रयास नहीं करेंगे।

7.4.3 पीठासीन अधिकारी या मतदान पार्टी का कोई सदस्य किसी भी वोटर के साथ वोटिंग कंपाटमेंट में नहीं जायेगा।

7.4.4 मतदान अभिकर्ता और मतदान अधिकारी किसी भी वोटर को धमकी नहीं देंगे और न ही धमकी भरा इशारा करेंगे।

7.4.5 मतदान केन्द्र के अन्दर कोई हथियार नहीं ले जाया जायेगा।

7.4.6 न ही कठोरता करेगा।

www.rajteachers.com

7.5 मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात CPF जवान चुनाव प्रक्रिया में कोई उल्लंघन और असामान्य देखता है तो वह प्रक्रिया में रूकावट नही डालेगा परन्तु CPF पार्टी के इंचार्ज को या पर्यवेक्षक को इसकी रिपोर्ट करेगा। CPF पार्टी इंचार्ज इसकी लिखित में रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक को सूचना देगा ताकि आगे आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

7.6 एक भवन में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हो, वहां पर यदि CPF जवानों की आधी टुकडी लगी हो तो मतदान केन्द्र के गेट पर तैनात जवान को एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर जाकर देखने के लिए कहा जायेगा कि मतदान केन्द्र में क्या चल रहा है। अनियमितता पाये जाने की स्थिति में CPF पार्टी के इंचार्ज या पर्यवेक्षक को रिपोर्ट की जानी चाहिए।

7.7 रिटर्निंग अधिकारी/पर्यवेक्षक को यदि CPF पार्टी से विपरीत रिपोर्ट मिलती है तो वह इस प्रकार की घटना की रिपोर्ट आगे के निर्देशों के लिए आयोग को करेगा।

7.8 यह स्पष्ट है कि केवल उन्हीं मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर CPF जवान नियुक्त किया जायेगा जहां CPF पार्टी तैनात हो।

7.9 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्र पर तैनात CPF जवान मतदान के लिए आने वाले मतदाता की पहचान की जांच नहीं करेगा। यह पहचान की जिम्मेदारी मतदान पार्टी की है।

7.10 आयोग के निर्देश के अनुसार CPF जवान को मतदान केन्द्र के अन्दर नहीं लगाया जा सकता।

7.11 मतदान की समाप्ति पर, मत युक्त ईवीएम को मतदान अधिकारी CPF जवानों की टुकडी के साथ कलेक्शन सेन्टर पर जमा करायेंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षक के अग्रिम परामर्श से विवरण तैयार किया जायेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 8

मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य और नियत कार्य

8.1 एकल चुनाव पर मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

8.1.1 प्रथम मतदान अधिकारी – प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा, मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आयेगा, और वह इसकी पहचान के प्रति संतुष्ट होगा। प्रत्येक चुनाव पर आयोग मतदाता की पहचान से संबंधित विषयों पर आदेश जारी करता है। पीठासीन अधिकारी आदेशों का अध्ययन करें। मतदाता EPIC अथवा पहचान का अन्य दस्तावेज जो आयोग के आदेशों में उल्लेखित हो, प्रस्तुत करें।

8.1.2 द्वितीय मतदान अधिकारी – द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भारसाधक होगा, प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान हो जाने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बांए हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा, कि इस पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है, और मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून एवं चमडी के युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

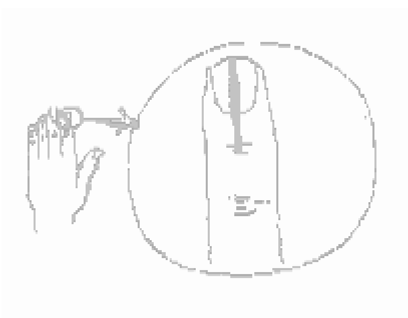

8.1.3 द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17 क का प्रभारी होगा, वह जो भी मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु आएगा, उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद, वह इस रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा, इसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करेगा, जिसमें रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की क्रम संख्या अंकित करेगा, और लघु हस्ताक्षर करेगा (यह सम्पूर्ण प्रक्रिया अध्याय 19 वर्णित है) और यह भी ध्यान रखेगा कि अमिट स्याही सूख गई हो।

8.1.4 तृतीय मतदान अधिकारी– तृतीय मतदान अधिकारी मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, वह द्वितीय मतदान अधिकारी के पास बैठेगा और दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची के आधार पर ही मतदान के लिए कंपार्टमेंट में आगे बढ़ने की

www.rajteachers.com

अनुमति देगा, और मतदाता को उस पर्ची में दर्शायी गई सीरियल नंबर के हिसाब से सावधानी से भेजेगा। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंट्रोल यूनिट के बैलट बटन के दबाने से पहले अमिट स्याही का निशान मतदाता की अंगुली पर बरकरार रहे, वह मतदान कंपार्टमेंट में रखी बैलट यूनिट को कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाकर मत जारी करेगा, जैसा कि अध्याय 20 में विस्तार से बताया गया है। मतदान के कंपार्टमेंट में जाने के लिए मतदाता को अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अभी भी स्पष्ट अमिट स्याही लगी हुई है। यदि अमिट स्याही हटा दी गई है तो वह पुनः लगाएगा।

8.1.5 जहां मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या कम हो वहाँ तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य पीठासीन अधिकारी स्वयं भी कर सकता है इस प्रकार पोलिंग पार्टियों के गठन में एक और आर्थिक लाभ की व्यवस्था बनेगी।

8.1.6 किसी भी विशेष जिला निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर्मचारियों की कमी की स्थिति में पोलिंग पार्टियों में एक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारी के रूप में तीन मतदान अधिकारी शामिल हो सकते हैं जो कि आवश्यक मानक है। उस स्थिति में मतदाता की पहचान के बाद मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाने का कार्य भी प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा और द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्ट करेगा और हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा तथा कंट्रोल यूनिट में मत जारी करेगा इस प्रकार के मतदान केन्द्रों पर मतदाता पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी, द्वितीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट में मत जारी करेगा और मतदान कंपार्टमेंट में क्रम से भेजेगा इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां मतदान अधिकारियों की संख्या दो तक सीमित है वहाँ इस बारे में अग्रिम रूप से लिखित में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाना चाहिए, तथा मतदान अधिकारियों और उम्मीदवारों के कर्तव्य को स्पष्ट करना चाहिए।

8.1.7 चतुर्थ मतदान अधिकारी (VSDU के प्रभार में यदि M2 वीवीपैट का उपयोग किया जाता है) पोलिंग पार्टियों का गठन करते समय M-2 वीवीपैट with VSDU को संभालने के लिए एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की आवश्यकता होगी, इस मतदान अधिकारी द्वारा VSDU संभाली जाएगी और सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार VSDU की त्रुटियों के संदेशों को देखेगा और नोट करेगा, यदि कोई VSDU में त्रुटि प्रदर्शित होती है, तो पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचना देगा, (51/18/ वीवीपैट /2017 ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017) M3 वीवीपैट के मामले में कोई अतिरिक्त मतदान अधिकारी के रूप में M-3 वीवीपैट संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। **राजस्थान विधान सभा चुनाव, 2018 में M3 मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है अतः मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी**

www.rajteachers.com

होंगे। जहां M3 वीवीपैट होगी वहां अतिरिक्त मतदान अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही वीवीपैट की त्रुटियों को प्रदर्शित करेगा जिससे VSDU की आवश्यकता नहीं होगी।

8.2 एक साथ चुनाव में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

8.2.1 प्रथम मतदान अधिकारी– प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति, और निर्वाचक की पहचान का प्रभारी होगा।

8.2.2 द्वितीय मतदान अधिकारी– यह अमिट स्याही और मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

8.2.3 तृतीय मतदान अधिकारी– मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा।

8.2.4 चतुर्थ मतदान अधिकारी– यह लोकसभा चुनाव में कंट्रोल यूनिट प्रभारी होगा।

8.2.5 पंचम मतदान अधिकारी– वह राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे।

8.2.6 चतुर्थ और पंचम मतदान अधिकारियों के कर्तव्य– ऐसा लगता है कि चौथे और पांचवें मतदान अधिकारियों को एक बहुत ही आसान काम दिया गया है। इसके विपरीत, एक साथ चुनाव की सफलता उनकी सतर्कता पर निर्भर करती है। उनकी ड्यूटी न केवल वोटिंग मशीन को सक्रिय करने के लिए 'बैलेट बटन' दबाने की, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाता पर्ची में दिए गए समान क्रम में प्रत्येक मतदाता अपने क्रम से वोट दें। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखनी पड़ती है कि जब वे किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो मतदाता सही वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते है और तदनुसार वोट देते है। अज्ञानता या अन्यथा, यदि कोई मतदाता यह सुनिश्चित नहीं करता कि कहां जाना है और वोट देने की अनुमति देने के बाद क्या करना है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सही प्रक्रिया का पालन करें, इन दो मतदान अधिकारियों का कर्तव्य है। विशेष रूप से, मतदान के पहले घंटे के दौरान, जब आम तौर पर बहुत सारी भीड़ होती है तो उन्हें अपने को शांत रखना चाहिए और मतदान प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़े यह सुनिश्चित करना चाहिए। जब भी कोई राहत (Gap) हो और मतदान के प्रत्येक घंटे के बाद, उन्हें मतदाता रजिस्टर में दिखाए गए मतदाताओं की कुल संख्या का मिलान कन्ट्रोल यूनिट से करना चाहिए।

8.3 पीठासीन अधिकारी के कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का प्रभारी है उसके कर्त्तव्य संक्षिप्त में है।

www.rajteachers.com

8.3.1 विनिर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र स्थापित करें। संबंधित वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू और वीवीपैट रखें। किसी भी मामले में मतपत्र यूनिट्स या कन्ट्रोल यूनिट या वीवीपैट को नीचे फर्श पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसे टेबल पर रखा जाना चाहिए।

8.3.2 मतपत्र यूनिट्स और वीवीपैट को अपने संबंधित कन्ट्रोल यूनिट से कनेक्ट करें।

8.3.3 सीयू के पावर बटन को स्विच ऑन करें।

8.3.4 उम्मीदवारों/एजेंटों को मतदान के वास्तविक प्रारंभ के लिए निर्धारित समय से पहले दिखाएं कि मतदान मशीने क्लियर हैं और इसमें कोई वोट नहीं है।

8.3.5 मतदान एजेंटो को यह प्रदर्शित करने के लिए मॉक पोल का संचालन करें कि वीवीपैट के साथ ईवीएम सही काम करने की स्थिति में है; सीयू का परिणाम और वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गिनती समान है।

8.3.6 सीयू से मॉक पोल परिणाम साफ करें और रिक्त ड्रॉप बॉक्स को सत्यापित करें।

8.3.7 मॉक पोल के प्रमाण पत्र तैयार करें। (अनुलग्नक 14)

8.3.8 आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आयोग के निर्देशों के अनुसार, **मतदान केंद्र पर मॉक पोल करना आवश्यक है, अन्यथा उस मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं होगा।**

8.3.9 सुनिश्चित करें कि बैलेट यूनिट्स और वीवीपैट को उनके संबंधित कन्ट्रोल यूनिट्स से जोड़ने के लिए केबल इस तरह रखा गया कि केबल सभी के लिए दृश्यमान है। यह सुनिश्चित करे कि केबल मतदाताओं के पैरों में नहीं आए। मतदान केंद्र और कनेक्टिंग केबल की पूरी लंबाई सभी के लिए दृश्यमान है और छिपी नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केबल मतदाता कंपार्टमेंट के नीचे ढीली ना रहें।

8.3.10 सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सभी सदस्य चुनाव शुरू होने के नियत समय से पूर्व मतदान केंद्र पहुंच जाये, सभी सामग्रियों और रिकॉर्ड को सही जगह रखें ताकि चुनाव नियत समय पर प्रारंभ हो सके।

8.3.11 मतदान दल के किसी भी सदस्य या किसी अन्य मतदान एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर या बाहर घूमने से रोकें और उन्हें आवंटित सीटों में बैठे रहने को कहे।

8.3.12 मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय पर ही वास्तविक मतदान शुरू करे।

8.3.13 मतदान की प्रगति के दौरान, मतदाताओं के क्रम पर एक नजदीकी नजर रखें और ध्यान रखें कि मतदान किये बिना कोई मतदाता केंद्र से बाहर ना चले जाए।

www.rajteachers.com

8.3.14 सुनिश्चित करें कि चुनाव के पहले घंटे के दौरान जब मतदान आम तौर पर तेज होता है, मतदान दल का कोई भी सदस्य उसे आवंटित कर्तव्यों में कोई भी शिथिलता ना बरते।

8.3.15 सुनिश्चित करें कि एक साथ चुनाव में, संसदीय चुनाव के लिए फॉर्म 17 सी की प्रतियां केवल संसद निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के मतदान एजेंटो को दी जाती हैं और विधानसभा चुनाव के लिए फॉर्म 17 सी की प्रतियां केवल विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के एजेंट को दी जाती है।

8.3.16 नियमित अंतराल पर मतपत्र यूनिटयों और वीवीपैट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता ने किसी तरह से छेडछाड़ तो नहीं की है। मतदान के करीब तय समय पर मतदाताओं को पहले से ही कतार में खड़े होने की अनुमति दे।

8.4 मतदान समाप्ति

8.4.1 पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित मतदान अवधि के अंत में मतदान विधिवत् बंद करे। अंतिम मतदाता के उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार मतदान करने के बाद उसे कन्ट्रोल यूनिट पर बंद (Close) बटन दबाना होगा। निर्धारित प्रपत्र सावधानीपूर्वक एवं विधिवत् भरने के पश्चात वीवीपैट एवं बैलट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से सावधानीपूर्वक पृथक करके संबंधित बॉक्स में रखकर सील कर सुनिश्चित करें।

8.4.2 एक साथ चुनाव के मामले में अलग–अलग कागजात तैयार करके सील करना चाहिए।

8.4.3 एक साथ चुनाव की स्थिति में पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित चुनाव की पहचान का स्टीकर संबंधित कैरिंग बॉक्स के बाहर चिपका हुआ है। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलट यूनिट कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट उनके संबंधित कैरिंग बॉक्स मे संबंधित चुनाव के अनुसार रख दिए गए हैं साथ ही उन पर सही रंग का एड्रेस टैग (सफेद लोकसभा चुनाव के लिए तथा गुलाबी विधानसभा चुनाव के लिए) लगा दिए गए है।

8.4.4 पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर ले कि सील की गई सभी यूनिट्स एवं रिकॉर्ड को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिया गया है।

8.5 माइक्रो ऑब्जर्वर

8.5.1 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के तहत माइक्रो ऑब्जर्वर एक स्पेशल जॉब प्रोफाइल है। इन्हें दिए मतदान केंद्र पर होने वाली संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से देखना है तथा संबंधित विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

www.rajteachers.com

चिन्हित किए गए भय ग्रस्त क्षेत्रों (Vulnerable) में स्थित मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जाता है।

8.6 मतदाता सहायता केंद्र

8.6.1 प्रत्येक मतदान केंद्र अथवा भवन में मतदान केन्द्र की संख्या के अनुसार मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाता है जिसका उद्देश्य मतदाता को अपना मतदान केंद्र ढूंढने एवं निर्वाचक नामावली में क्रमांक ढूंढने में सहायता करना है इसके लिए भाग संख्या के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर (वर्णानुक्रम) में निर्वाचक नामावली होती है।

8.6.2 इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर (वर्णानुक्रम) वाली सूची को और भागों में विभाजित नहीं किया होता है प्रायः यह सूची अंग्रेजी भाषा में होती है। एक से अधिक मतदान केंद्र वाले भवन में अलग–अलग मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को मतदाता के क्रमांक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचक नामावली की एक प्रति (चिन्हित प्रति के अतिरिक्त अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उपलब्ध करवाई जाती है।)

8.6.3 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक मतदाता सहायता केंद्र के लिए एक टीम गठित की जाती है जो केवल मतदान दिवस के लिए होती है। इस टीम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती है।

8.6.4 मतदाता सहायता केंद्र की स्थापना भवन में इस प्रकार की जाती है कि मतदाता अपनी भाग संख्या एवं क्रम संख्या की सूचना आसानी से प्राप्त कर सकें।

8.7 डिजिटल कैमरा मैन

8.7.1 उच्चतम न्यायालय के (दिनांक 11.01.2005 की सिविल अपील संख्या 9228 सन 2003 जनक सिंह VS रामदास राय एवं अन्य) सुझाव के अनुसार पोलिंग स्टेशन में डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग शुरू किया गया है। यह ध्यान रखा जाए कि वोट की गोपनीयता भंग ना हो।

8.7.2 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पोलिंग स्टेशनों पर डिजिटल कैमरामैन को नियुक्त किया जावेगा।

8.7.3 मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता का उसके प्रवेश के समय उसके EPIC/OTHER DOCUMENT के साथ 17 क रजिस्टर के क्रमानुसार फोटो खींचना है। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वोटिंग कंपार्टमेंट क्षेत्र में फोटोग्राफी नहीं हों।

www.rajteachers.com

8.7.4 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी फोटोग्राफी की जानी है–

8.7.4.1 मॉक पोल, पोल प्रारंभ से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपैट के सील करने की प्रक्रिया

8.7.4.2 वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति (न्यूनतम 3 फोटो जिनमें कंपार्टमेंट का पिछला भाग भी आवें) यह फोटो मतदान प्रारंभ होने से पूर्व के होने चाहिए।

8.7.4.3 पोलिंग एजेंट की उपस्थिति का फोटो।

8.7.4.4 चुनौती देने वाले/ टेंडर वोट वाले/ASD सूची के अनुसार Missing वोटर का फोटो

8.7.4.5 चुनाव समाप्ति के समय मतदाता लाइन एवं अंतिम मतदाता का फोटो।

8.7.4.6 सेक्टर आफिसर, प्रेक्षक एवं अन्य निर्वाचन अधिकारियों के निरीक्षण के समय

8.7.5 मतदान समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफर निम्न घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा

''मैंने दिनांक .... को मतदान केंद्र संख्या .... पर वोट देने वाले प्रत्येक मतदाता की फोटो खींची है तथा इस कैमरे में कुल फोटोग्राफ .... हैं''।

www.rajteachers.com

अध्याय – 9

मतदान केंद्र में प्रवेश व बैठक व्यवस्था के नियम

9.1 मतदान केंद्र में प्रवेश करने हेतु पात्रता

9.1.1 मतदान केंद्र पर अपने मतदाताओं के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति ही मतदाता केंद्र पर प्रवेश पा सकते हैं–

9.1.1.1 मतदान अधिकारी

9.1.1.2 प्रत्येक उम्मीदवार, निर्वाचन एजेंट (Election Agent) और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत् नियुक्त मतदान अभिकर्त्ता (Polling Agent)

9.1.1.3 निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत पत्रकार

9.1.1.4 निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं सरकारी कर्मचारी जिन्हें चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किया हों।

9.1.1.5 संवेदनशील मतदान केंद्र पर आवश्यकता पडने पर माइक्रो ऑब्जर्वर, विडियोग्राफर/फोटोग्राफर एवं वेबकास्टिंग के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

9.1.1.6 मतदाता की गोदी में यदि कोई बच्चा हों।

9.1.1.7 ऐसे मतदाता जिन्हें आंखों से दिखाई ना देता हों और जो शारीरिक रूप से दुर्बल हों उन्हें सहारा देकर लाने वाला व्यक्ति

9.1.1.8 समय–समय पर ऐसे व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है जो कि मतदाताओं की पहचान में और अन्य चुनावी प्रक्रिया में मदद करते हों।

9.1.2 चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के लिये निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी किया जायेगा। अगर आवश्यकता पडे, तो उम्मीदवार से पहचान पत्र दिखाने की मांग की जा सकती है। इसी प्रकार चुनाव एजेंट से भी नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी को दिखाने या जमा कराने के लिये कहा जा सकता है। यह फोटो प्रति निर्वाचन अधिकारी से सत्यापित होनी आवश्यक है। एजेंट को फोटो भी साथ रखनी होगी।

9.1.3 आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब निम्नांकित वाक्य कहा जा रहा है तो उसका अर्थ पुलिस अधिकारी नही है।

www.rajteachers.com

''मतदान के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी ऐसे अधिकारी (सादा कपडो में भी हो सकते है तथा ड्रेस कोड के साथ भी) को मतदान केन्द्र में आने के लिए अधिकृत नही करना चाहिए मगर कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उन्हे आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है। मतदान केन्द्र पर बिना वजह उनकी उपस्थिति होने पर उम्मीदवार/पार्टी द्वारा तय एजेंट अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।''

9.1.4 इसी प्रकार मतदाता की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी, उम्मीदवार और उसके ऐजेंट को भी मतदान केन्द्र के अन्दर आने की अनुमति नही है। इसमें सिर्फ उन मतदाताओं को ही छूट है जिन्हे जेड+ सुरक्षा मिली हुई है। इसके लिये भी यह जरूरी है कि वे सादा कपडो मे हो और हथियार छुपे हुए हो।

9.1.5 आपको यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये कि ''मतदान के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी'' में किसी भी रूप में मंत्रियो, राज्यमंत्रियो, उपमंत्रियो को शामिल नही किया गया है (राज्य व केन्द्र के)। जिन मंत्रियो, राज्य मंत्रियो एवं उपमंत्रियो को राज्य के खर्च पर सुरक्षा दी गई है उन्हे किसी भी परिस्थिति में मतदान ऐजेंट नही बनाया जा सकता (निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश अनुसार)

9.1.6 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मंत्री और सरकारी अधिकारी के साथ आने वाले सुरक्षा अधिकारियो को मतदान केन्द्र के अन्दर आने की अनुमति नही है। वे मतदान केन्द्र के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर सकते है और किसी भी परिस्थिति में चुनाव प्रक्रिया में दखल नही दे सकते।

9.1.7 मतदान के सुचारू संचालन एवं संपादन के लिये मतदान केन्द्र में व्यक्तियों का प्रवेश उपरोक्त दिशा निर्देशो के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर चुनाव प्रक्रिया विकृत हो सकती है। आप एक समय में मतदान केन्द्र के अन्दर सिर्फ 3–4 मतदाताओ को आने की अनुमति दें।

9.1.8 अगर आपको मतदान केन्द्र में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति पर थोडा सा भी संशय हो या उसकी साख पर शक हो, आप उसकी गहराई से जांच–पडताल करने के लिये अधिकृत है। अगर वह व्यक्ति समस्त अधिकारिक दस्तावेज के साथ भी उपस्थित हुआ है तो भी संशय होने पर जांच की जा सकती है

9.1.9 आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पूर्णतया निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करने के लिये बाध्य है। आप किन्ही भी परिस्थितियों में अपने शीर्ष अधिकारियो, मंत्रियो, नेताओ के आदेशो का पालन नहीं करेगें ना ही उन्हे किसी भी प्रकार का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उन्हें मतदान केन्द्र में के लिये अधिकारिक पत्र के बिना प्रवेश नही दिया जाना चाहिये।

www.rajteachers.com

9.1.10 अगर आप चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिये किसी स्थानीय अधिकारी या महिला सहायक की मदद लेते है तो उन्हे मतदान केन्द्र के बाहर ही बैठाना चाहिये। उन्हें मतदान केन्द्र के अन्दर तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब उन्हे किसी मतदाता की पहचान करनी हो या चुनाव सम्बंधी कोई आवश्यक कार्य हो। किसी भी व्यक्ति को किन्ही भी परिस्थितियो में मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाता को शब्दो या हावभाव से प्रभावित करने का अधिकार नही है।

9.2 CPF कार्मिक

9.2.1 CPF कार्मिक मतदान केन्द्र पर संचालित मतदान प्रक्रियाओ पर अध्याय–7 में उल्लेखित प्रक्रियाओ के आधार पर नजर रखेगा।

9.3 मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना

9.3.1 उम्मीदवार द्वारा नियुक्त मतदान एजेंट सामान्यतया उसी क्षेत्र का निवासी होगा एवं उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होगा। कभी यह भी संभव है कि वह उसी चुनाव क्षेत्र के किसी पड़ौस वाले मतदान केंद्र का मतदाता हो। उन एजेंट के पास हर हालत में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिये।

9.3.2 अगर किन्हीं परिस्थितियों में उम्मीदवार द्वारा नियुक्त मतदान एजेंट के पास अपना पहचान पत्र नहीं है तो मतदान अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें या व्यवस्था करें कि उसका पहचान पत्र जारी हो। यह पहचान पत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से लिखित निवेदन के पश्चात जारी किया जा सकता है। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रियाओं के सुलभ संचालन और तुरन्त पहचान के लिये सभी मतदान एजेंट अपने पहचान पत्रों की जांच एवं प्रदर्शन करे।

9.3.3 प्रत्येक मतदान एजेंट को आपके समक्ष फॉर्म 10 को प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर उम्मीदवार या चुनाव एजेंट उसे नियुक्त करेगा। यह जांच लें कि नियुक्ति आपके मतदान केंद्र की ही हो। मतदान एजेंट आपके केंद्र का ही है। इसकी पुष्टि हो जाने के पश्चात वह सभी दस्तावेजों को पूरा करेगा और घोषणा पत्र पर आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा, नियुक्ति पत्र आपको देगा। इन सभी नियुक्ति पत्रों को संरक्षित कर ले और चुनाव के अंत में इनको सभी दस्तावेजों के साथ निर्वाचन अधिकारी को लिफाफे में डालकर भेज दें।

9.3.4 मतदाता एजेंट ने जो फॉर्म 10 के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया है उसकी यथार्थता पर यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूना हस्ताक्षर से तुलना कर लेनी चाहिये।

www.rajteachers.com

9.4 मतदाता एजेंट की उपस्थिति

9.4.1 मतदान एजेंट को चुनाव प्रारम्भ होने के कम से कम 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाना चाहिये जिससे कि वे उस समय वहां मौजूद रहें जब आप प्रारम्भिक तैयारी कर रहे हों। प्रारम्भिक तैयारियों का कोई भाग यदि किसी देर से आने वाले से चूक जाता है तो उन्हें पुनः करने की आवश्यकता नहीं है।

9.4.2 मतदान एजेंट की नियुक्ति के लिये कानून ने कोई समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया है। यदि कोई एजेंट देर से भी आता है तो उसे केंद्र की आगे की कार्यवाही में हिस्सेदार बनने देना चाहिये।

9.4.3 सभी मतदान केन्द्रो पर मतदान ऐजेंट या रिलिविंग ऐजेंट का मूवमेंट रजिस्टर बनाना चाहिये जिसमें मतदान ऐजेंट अपने आने का समय तथा केन्द्र छोडने का समय इंगित करते हुये हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी चुनाव के पश्चात इस शीट को अन्य दस्तावेजो के साथ ईवीएम रिसेप्शन पर जमा करेगा।

मतदान एजेंट/रिलीविंग एजेंट मूवमेंट शीट अनुलग्नक 17 (464/INST/2014/EPS deted 5th may 2014) पर उपलब्ध है।

9.4.4 रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी/पुलिस अधिकारी/ सेक्टर अधिकारी के फोन न0 मतदान केन्द्र पर लिख कर प्रदर्शित करने होंगे जिससे कि यदि मदतान एजेंट को किसी भी तरह की शिकायत हो तो वे उन्हे तुरन्त हस्तक्षेप करने के लिये बुला सके।

9.5 मतदान एजेंट के लिये पास

9.5.1 प्रत्येक उम्मीदवार हर मतदान केन्द्र पर एक मतदान एजेंट व दो रिलिवर एजेंट को नियुक्त कर सकता है। फिर भी एक निश्चित समय पर केवल एक मतदान एजेंट ही केन्द्र के अन्दर आ सकता है। प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक एजेंट को एक अनुमति पत्र या पास जारी करेगे जिसके आधार पर जब भी आवश्यक हो बाहर जा व अन्दर आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मतदान एजेन्ट अपने साथ निर्वाचक नामावली को बाहर नही ले जाये। एजेंट को केन्द्र से बाहर 3.00 बजे के बाद शौचालय आदि हेतु अनुमति दी जा सकती है। ऐसे समय मे यह ध्यान रखना जरूरी है कि एजेंट का कोई विकल्प वहां मौजूद है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव के प्रारम्भ में ही एजेंट को यह स्पष्ट कर दे कि उन्हें चुनाव समाप्ति तक मतदान केन्द्र में ही रहना है और ईवीएम मशीन को सील करने के बाद उसके घोषणा पत्र आदि पर हस्ताक्षर करेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुसार मतदान एजेंट को मोबाईल, कार्डलेस फोन या वायरलेस सेट ले जाने की अनुमति नही है। किसी भी परिस्थिति में चुनाव एजेंट को मतदान केन्द्र के बाहर ऐसी पर्ची भेजने की अनुमति नही है

www.rajteachers.com

जिससे मतदाताओं की क्रम संख्या जाहिर होती है (इस पर्ची से यह पता चलता है कि वोट डाला गया है या नही)। (464/INST/2014/EPS deted 5th may 2014)

9.6 मतदान केन्द्र पर मतदान एजेंट की बैठक व्यवस्था

9.6.1 मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिये कि मतदान एजेंट वोटर के चेहरे को प्रवेश करते समय देख सके और जरूरत हो तो उसकी पहचान को चैलेंज कर सके। मतदान केन्द्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया को, वोटिगं कम्पार्टमेन्ट में उनकी गतिविधियो को तथा वोट रिकार्ड होने पश्चात उनके प्रस्थान को देख सके। लेकिन किसी भी हालत में उनके बैठने की जगह ऐसी नहीं होनी चाहिये जहां से वे वोटर को वोट देते समय देख सकें, यह वोटिंग की गोपनीयता के साथ समझौता होगा। इसके लिये एजेंट को चुनाव अधिकारी के ठीक पीछे चिन्हित निर्वाचन नामावली देकर बैठाना बेहतर रहेगा। जहां कही भी यह प्रवेश द्वार की स्थिति के कारण संभव ना हो सके तो एजेंट को चुनाव अधिकारी के ठीक सामने बैठाया जा सकता है।

9.6.2 ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर्याप्त जगह नही है, छोटा है और जहां के चुनावी क्षेत्र में असामान्य रूप से अधिक उम्मीदवार हों और अधिक एजेंट की उपस्थिति हो, ऐसी स्थिति में जब एजेंट समायोजित नही हो पा रहे हो, तब पर्यवेक्षक से उचित सलाह ली जा सकती है तथा पर्यवेक्षक से सहमति प्राप्त की जा सकती है।

9.6.3 निर्वाचन आयोग के नये निर्देशो के अनुसार मतदान केन्द्र पर मतदान एजेंट को बैठाने का क्रम को निम्न प्राथमिकताओ की श्रेणी में रख सकते है

9.6.3.1 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार

9.6.3.2 राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी का उम्मीदवार

9.6.3.3 अन्य राज्य की मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पार्टी के उम्मीदवार जिनको आरक्षित प्रतीक की अनुमति मिल चुकी है।

9.6.3.4 अमान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टी का उम्मीदवार

9.6.3.5 निर्दलीय उम्मीदवार

9.7 मतदान केंद्र पर धूम्रपान निषिद्ध है

मतदान केंद्र पर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। इसलिये आप यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी केंद्र के अन्दर धूम्रपान ना करें। यदि किसी एजेंट की धूम्रपान करने की इच्छा रखता हो तो उसे बिना किसी विस्थापन के बाहर भेजा जा सकता है।

www.rajteachers.com

9.8 केंद्र पर प्रेस प्रतिनिधि– विडियोग्राफर व फोटोग्राफर के सुविधा प्रबंधन

9.8.1 चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोग्राफी के आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जा चुके है और जहां तक संभव हो सके अतिसंवेदनशील व संवेदनशील मतकेन्द्रों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की सलाह के सम्मान में, पर्यवेक्षक की परामर्श के साथ, चुनावी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करने के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये जा चुके है। इसमें वोट की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। मतलब वोटर द्वारा वोट देने की रिकॉर्डिंग ना हो यह सुनिश्चित करना चाहिये। किसी भी मीडिया व्यक्ति या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफी या विडियोग्राफी मतदान केंद्र पर स्वीकृत नहीं है। **9.8.2** इसी तरह से मतदान केंद्र के बाहर लाईन में खड़ी वोटर की भीड़ की फोटोग्राफी करने में कोई आपत्ति नहीं हैं और शांति और व्यवस्था के अधीन हों। फिर भी उसे किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र के अंदर वास्तविक चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटिंग कंपार्टमेंट या वोट डालते हुए वोटर की फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी के साथ वोटर को स्वयं का वोट देते समय वोटिंग मशीन की बैलट यूनिट की फोटोग्राफ नहीं लेने देनी चाहिये।

9.8.3 ना तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और ना ही निर्वाचन अधिकारी को इतना अधिकार है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर आने दे जो उस क्षेत्र का वोटर नहीं है या उसकी चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

9.9 निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के सुविधा प्रबन्ध

9.9.1 आयोग द्वारा चुनाव में अपने **पर्यवेक्षक** की नियुक्त की जाती है। वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के सांविधिक प्राधिकारी होते है।

9.9.2 चुनाव वाले दिन के दौरान **पर्यवेक्षक** मतदान केंद्र का मुआयना कर सकते है। यह भी संभव है कि वह अपने चुनाव क्षेत्र के मुआयने का प्रारंभ आपके मतदान केंद्र से करें और वह उस समय भी उपस्थित रह सकता है जब आप चुनाव प्रारंभ करने से पहले के कार्यो को संपादित कर रहे हो। आपसे यह अपेक्षित है कि आप उन्हें आदर व शिष्टाचार के साथ वे सभी सूचनायें प्रस्तुत करें जो उन्हें निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आप उन्हें उन अतिरिक्त सूचनाओं को भी उपलब्ध करवायें जो नियमित जानकारियों से अलग हो। आपसे अपेक्षित है कि आप पर्यवेक्षक को मतदान केंद्र पर अनुपस्थित, स्थानान्तरित व मृत वोटर (ASD list)की सूची उपलब्ध करवाये। पर्यवेक्षक को पहले ही बताया जा चुका है व निर्देशित किया जा चुका है कि वे मतदान केंद्र का सिर्फ निरीक्षण करें, किसी तरह के निर्देश ना दें। फिर भी यदि पर्यवेक्षक ऐसा कोई सुझाव देते है जिससे वोटर के लिये अधिक सुविधाजनक हों और चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाया जा सके। आपको ऐसे सुझावों पर विचार करना चाहिये। इसी समय यदि आप को विशेष समस्या से जूझ रहे है या मतदान

www.rajteachers.com

केंद्र पर कोई परेशानी महसूस कर रहे है तो आप उन्हें ध्यान दिलाने के लिये स्वतंत्र है। हो सकता है कि वह आपकी उस समस्या के समाधान में मदद करें और निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में उस समस्या को लाकर उसे खत्म कर दें या किसी संबंधित अधिकारी को उपचारात्मक कार्यवाही के लिये कहे।

9.9.3 पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बैज को पहनेगे व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियुक्ति पत्र व अधिकार पत्र को साथ में रखेगे। आप पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जो 'Visit sheet' दी जाती है उस पर पर्यवेक्षक को हस्ताक्षर करने के लिये निवेदन करेगें। चुनाव के पश्चात आप पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ उसे भी जमा करवा देगें।

9.9.4 ये संभव नही होता कि पर्यवेक्षक प्रत्येक मतदान केन्द्र का मुआयना कर सके जो उनके चुनावी क्षैत्र में है या पूरे समय उपस्थित रहे। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा यह तय किया गया है कि मतदान केन्द्रो पर जहां कही आवश्यकता हो माइक्रो पर्यवेक्षक को तैनात किया जाये जिनके द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन किया जायें जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके। ये माइक्रो पर्यवेक्षक सामान्य पर्यवेक्षक के सीधे नियंत्रण में व परिवीक्षण में होगें। माइक्रो पर्यवेक्षक से अपेक्षित है तो वे चुनाव से एक घंटे पहले मतलब 7 बजे मतदान केन्द्र पर पहुंच जाये तथा पूरे दिन मतदान केन्द्र पर तैनात रहे। उसे चुनाव से पहले की तैयारी का आकलन करते रहना है तथा पूरे दिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान तय फोरमेट में मुख्य बिन्दु को नोट करते रहना है। पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के निर्देशो के अनुसार माइक्रो पर्यवेक्षक कार्य नही करेगें न वे उन्हे किसी तरह के निर्देश देगे। उनका कार्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से हो इसका आकलन करना है जिस भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो वहां प्रति मतदान केन्द्र पर एक माइक्रो पर्यवेक्षक के स्थान पर एक ही माइक्रो पर्यवेक्षक होगा। माइक्रो पर्यवेक्षक उसी campus में थोडे–थोडे अंतराल में मतदान केन्द्रों का मुआयना करता रहेगा। सामान्य पर्यवेक्षक अपने चुनावी क्षेत्र में माइक्रो पर्यवेक्षक की जरूरत को जानने के लिये उनसे निकट सम्पक्र में रहेगा। प्रत्येक माइक्रो पर्यवेक्षक के पास एक फोटो पास व (464/INST/2014/EPS deted 9th April 2014) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र होगा जो मतदान केन्द्र पर उसकी उपस्थिति को सुनिशिचित करेगा।

9.9.5 चुनाव वाले दिन माइक्रो पर्यवेक्षक प्रेक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित को विशेष रूप से निरीक्षण करेगा।

9.9.5.1 नकली मतदान प्रक्रिया (Mock Poll)

9.9.5.2 मतदान एजेंट की उपस्थिति व ECI के निर्देशो की अनुपालना

www.rajteachers.com

9.9.5.3 प्रवेश पास सिस्टम व मतदान केन्द्र पर पहुंच की अनुपालना

9.9.5.4 ECI के निर्देशो के अनुसार मतदाता की सही पहचान

9.9.5.5. अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत वोटर (ASD) होने पर पालन की जा रही प्रक्रिया

9.9.5.6 अमिट स्याही का प्रयोग

9.9.5.7 रजिस्टर 17ए में विशिष्ट वोटर को नोट करना

9.9.5.8 वोटिंग की गोपनीयता

9.9.5.9 मतदाता एजेंट का आचार–व्यवहार, उसकी शिकायते आदि

9.9.6 मतदान के दौरान, यदि माइक्रो पर्यवेक्षक महसूस करता है कि चुनाव किसी कारण खराब/बाधित हो रहा है, तो वह तुरन्त इसकी सूचना सामान्य पर्यवेक्षक को उपलब्ध सम्प्रेषण के साधन जैसे फोन या वायरलेस या किसी भी अन्य साधन द्वारा करवायेगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संग्रहण केन्द्र के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करेगा व व्यक्तिगत रूप से दिन भर की रिपोर्ट को लिफाफे में देगा तथा दिन भर मे जो मुख्य रूप से घटित हुआ है, उसका संक्षिप्त विवरण बतायेगे।

पर्यवेक्षक रिपोर्ट देखने के पश्चात अगर जरूरत महसूस करे तो माइक्रो पर्यवेक्षक को आगे जांच करने के लिये बुला सकते है। 17–ए रजिस्टर की जांच के साथ इस रिपोर्ट पर इस बात के लिये विचार किया जायेगा कि चुनाव पुनः हो या मतदान स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो।

9.10 अतिरिक्त सूचना रिपोर्ट

9.10.1 पीठासीन अधिकारी निर्धारित फोरमेट में एक अतिरिक्त 16 बिन्दुओं की रिपोर्ट तैयार करेगे और मतदान केन्द्र पर चुनाव के बंद होने तक कोई भी घटना या प्रसंग हो, उनकी रिपोर्ट चुनाव क्षेत्र के पर्यवेक्षकया निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। आप 16 बिन्दुओ की रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज भी संग्रहण केन्द्र पर जमा करवायेंगें। (16 बिन्दुओ का निर्धारित प्रारूप Annexure में है)

याद रहे यदि आप 16 बिन्दुओ वाली रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजो को संग्रहण केन्द्र पर जमा नही करवाते है तो आपको पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य से कार्यमुक्त नही किया जायेगा।

www.rajteachers.com

9.11 मतदान केन्द्र पर बैज (Badge) आदि का पहनना

9.11.1 कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र पर या 100 मीटर के अन्दर बैज या प्रतीक आदि या उम्मीदवार का नाम या राजनीतिक नेता या उनके प्रतीक या चित्रमय प्रस्तुति को धारण नही करेगा क्योकि यह किसी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार माना जा सकता है।

9.11.2 चुनाव वाले दिन मतदान केन्द्र पर किसी भी राजनैतिक पार्टी के नाम, प्रतीक नारे वाली टोपी, शॉल आदि को पहनकर अन्दर आने की अनुमति नही है।

9.11.3 फिर भी मतदाता एजेंट अपनी तुरन्त पहचान के लिये अपने ऊपर उम्मीदवार के नाम वाला बैज लगा सकते है।

10. मतदान प्रारम्भ से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपैट को व्यवस्थित करना

www.rajteachers.com

अध्याय – 10

मतदान से पूर्व तैयारियॉ

10.1.1 आपके मतदान केन्द्र पर ईवीएम और वीवीपैट को भेजने से पहले रिटर्निंग अधिकारी इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड रहे उम्मीदवार को संख्या के आधार पर इन्हे सेट कर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को गुलाबी रंग की स्ट्रिप (पिंक पेपर सील) के द्वारा सील करेगें ताकि यह दर्शाया जा सके कि इनसे छेडछाड नही की गई है। ईवीएम और वीवीपैट को प्रयोग करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर की गई तैयारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य तैयारियां मतदान केंद्र पर भी किया जाना आवश्यक है। ये तैयारियॉ पीठासीन अधिकारी के द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष मतदान प्रारंभ होने से पहले की जानी है।

10.1.2 आपको ये प्रारंभिक तैयारियां वास्तविक मतदान शुरू करने के लिए निर्धारित समय से लगभग एक घंटा पहले ही प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि मतदान शुरू होने से पहले ही ये पूरी हो जाएं। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तब भी इन तैयारियों में देरी नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही अभिकर्ता उपस्थित है तो आप मॉक पोल शुरू करने के लिए 15 मिनट इंतजार कर सकते है। यदि बाद में कोई मतदान अभिकर्ता आ जाए तो आपको ये तैयारियां दोहरानी नहीं है। ध्यान रहें, मॉक पोल की सुनिश्चितता न होना पीठासीन अधिकारी के स्तर पर अथवा ईवीएम और वीवीपैट के स्तर पर किसी समस्या को इंगित करता है जिसमें रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

10.2 बैलट यूनिट की तैयारी

10.2.1 बैलट यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर ही सभी तरह से तैयार होती है। मतदान केंद्र पर इसमें कोई अन्य तैयारी की आवश्यकता नहीं होती सिवाय इसके कि परस्पर जुड़ने वाली (Interconnected)केबल को वीवीपैट से संलग्न करना है।

जब तक बैलट यूनिट आपके अधिकार में है तब तक आप यह सुनिश्चित करें कि गुलाबी कागज की स्ट्रिप क्षतिग्रस्त न हों।

10.2.2 जब ईवीएम और वीवीपैट आपको अन्य मतदान सामग्री के साथ सुपुर्द किया जाए तो आप अध्याय 3 के अनुच्छेद 2 के अनुसार सभी चीजें जांच ले। जैसा कि निर्देशित है आपको जांच लेना चाहिए कि आपको आवश्यक संख्या में बैलट यूनिटें मिल गई हैं, कि इन सभी बैलट यूनिटों पर उपयुक्त तरीके से बैलेट पेपर चिपका दिया गया है, और उपयुक्त तरीके से

www.rajteachers.com

बैलेट पेपर स्क्रीन पर व्यवस्थित भी किया हुआ है, कि प्रत्येक यूनिट पर स्लाइड स्वीच/थम्ब व्हील स्वीच उपयुक्त स्थिति में व्यवस्थित है, कि प्रत्येक यूनिट सही तरीके से सील्ड है और प्रत्येक यूनिट पर ऊपर और नीचे दोनों जगह एड्रेस टैग लगे है।

10.3 बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को जोड़ना

10.3.1 जहां चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 15 से अधिक है वहां उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर एक से अधिक बैलेट यूनिट्स काम में ली जाएगी। ऐसी सभी बैलेट यूनिट्स जो एक ही मतदान केंद्र पर काम में लेनी है वो उपयुक्त तरीके से परस्पर जुड़ी होनी चाहिए और केवल प्रथम बैलेट यूनिट ही वीवीपैट से जुडी होती है।

10.3.2 M2 ईवीएम में बैलेट यूनिट्स इस तरह से जुडी हो कि द्वितीय बैलेट यूनिट, अर्थात् वह बैलेट यूनिट जसमें स्लाइड स्वीच 2 पर सैट है, प्रथम बैलेट यूनिट जिसमें स्लाईड स्वीच 1 पर सैट है से जुडी हो। जहां 3 बैलेट यूनिट प्रयुक्त की जाती है वहां तीसरी बैलेट यूनिट दूसरी यूनिट से और दूसरी बैलेट यूनिट पहली से जुडी हो। जहां सभी 4 बैलेट यूनिट्स प्रयुक्त की जानी है वहां चौथी यूनिट तीसरी से, तीसरी दूसरे से और इसी प्रकार अन्य यूनिट्स भी जुडी हो।

निम्न आरेख में M2 ईवीएम की चार यूनिट्स परस्पर सम्बद्व कर दर्शाया गया है–

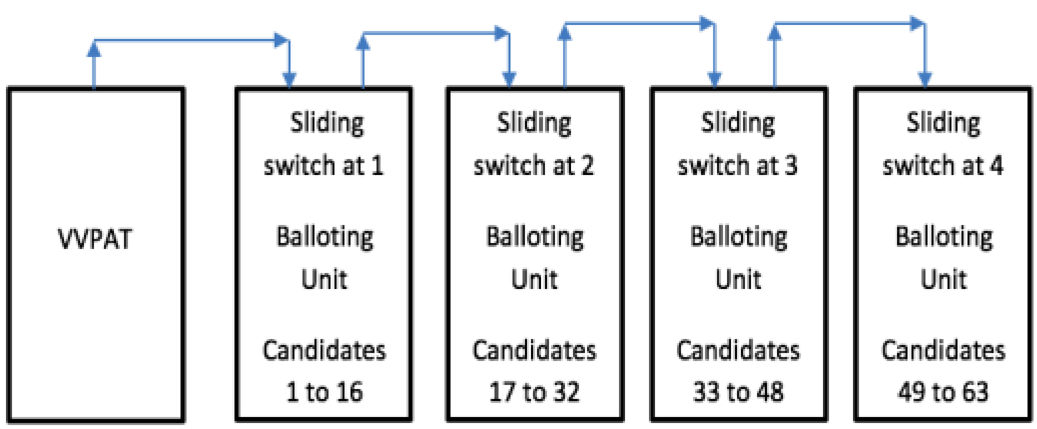

10.3.3 M3 ईवीएम में बैलेट यूनिट्स इस तरह से जुडी हो कि दूसरी बैलेट यूनिट, अर्थात् वह बैलेट यूनिट जिसमें थंब व्हील की स्थिति 2 हो वह पहली यूनिट जिसमें थंब व्हील की स्थिति एक हो से जुडा होना चाहिए। जहां तीन बैलेट यूनिट्स काम में लेनी है वहां तीसरी बैलेट यूनिट दूसरी से और दूसरी यूनिट पहली से जुडी होती है। जहां चार बैलेट यूनिट्स

www.rajteachers.com

काम में लेनी है वहां चौथी यूनिट तीसरी से, तीसरी यूनिट दूसरी से और अन्य भी इसी अनुसार जुडी होती है।

चार M3 बैलेट यूनिटयों को परस्पर सम्बद्व करने का आरेख निम्नानुसार है–

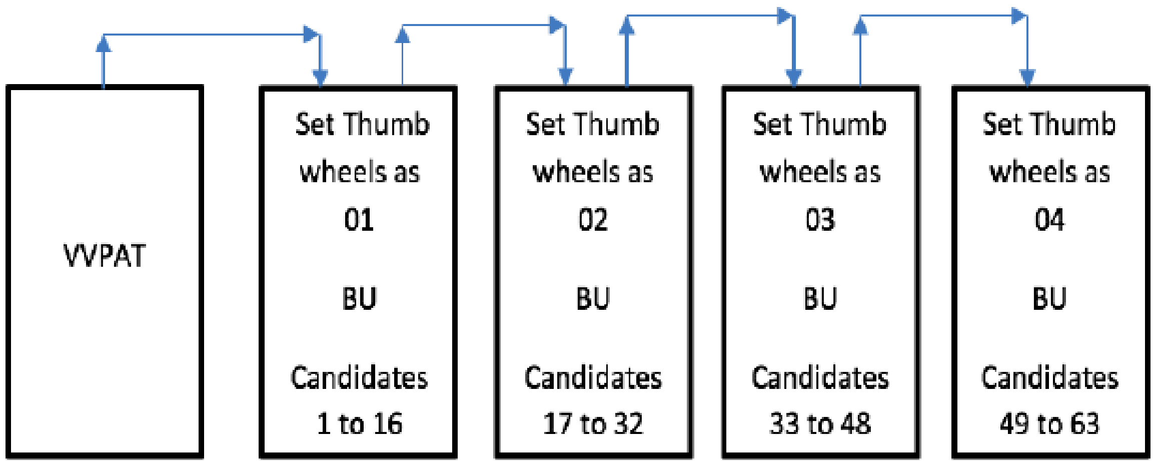

10.3.4 बैलेट यूनिट के पीछे के भाग मे दूसरी बैलेट यूनिट को जोडने के लिये एक साकेट होता है। दूसरी बैलेट यूनिट को जोडने वाली केबल का जोड उपरोक्त वर्णित प्रथम बैलेट यूनिट के साकेट के साथ जोडा जायेगा। उसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट को जोडने वाली केबल का प्लग दूसरी बैलेट यूनिट के साकेट के साथ जुडेगा और चौथी बैलेट यूनिट को तीसरी बैलेट यूनिट के साकेट से जोडा जायेगा।

10.3.5 जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रथम बैलेट यूनिट, वीवीपैट के साथ जोडी जायेगी। वीवीपैट के पिछले ऊपरी भाग में प्रथम बैलेट यूनिट को जोडने वाली केबल के प्लग के लिये एक साकेट होता है।

10.3.6 कन्ट्रोल यूनिट के पीछे ऊपरी भाग में बैटरी को चालू बन्द करने वाला एक पावर स्वीच होता है जिसके चालू करते ही वोटिगं मशीन चालू हो जाती है और दोनो कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट यूनिट को जो ऊपर वर्णित तरीके से जुडी हुई है Power (शक्ति) की आपूर्ति करती है।

10.3.7 नोट–M2 ईवीएम में जब एक से अधिक बैलेट यूनिट प्रयुक्त होती है तो ऊपर वर्णित क्रम में ही आपस में जुडेगी। किसी भी प्रकार का बैलेट यूनिट का गलत जुडाव मशीन को निष्क्रिय कर देगा और कन्ट्रोल यूनिट की किसी बटन को दबाने पर कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खण्ड में LE (linking Error) प्रदर्शित करेगा। LE को दूर (Remove) करने के लिये बैलेट यूनिट को ठीक क्रमानुसार जोडना पडेगा।

अध्याय – 11

कन्ट्रोल यूनिट को तैयार करना

11.1 कण्ट्रोल यूनिट की जाँच करना

11.1.1 कण्ट्रोल यूनिट की सुर्पुदगी प्राप्त करते समय आपको अध्याय 3 के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार उसकी जाँच उचित प्रकार से कर लेनी चाहिए।

11.1.2 आपको यह जाँच अवश्य करनी है कि कण्ट्रोल यूनिट का "केण्डिडेट सेट सेक्शन" उचित प्रकार से सील किया हुआ है तथा एड्रेस टेग दृढ़तापूर्वक उसके साथ सम्बद्ध किया हुआ है एवं बैटरी खण्ड में स्थापित की गयी बैटरी पूर्णतया काम कर रही है।

11.2 कण्ट्रोल यूनिट को तैयार करना

11.2.1 मतदान केन्द्र पर ईवीएम तथा वीवीपैट की सुपुर्दगी किये जाने से पूर्व उनमें बैटरी स्थापित किये जाने तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कण्ट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट में नियत किये जाने की कतिपय तैयारियाँ रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर की जानी हैं। रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर की गयी तैयारियों के अलावा कण्ट्रोल यूनिट को मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाये जाने से पूर्व कुछ तैयारियाँ उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी की जानी आवश्यक है।

11.2.2 वास्तविक मतदान हेतु कण्ट्रोल यूनिट को तैयार किये जाने की विधि अध्याय 12 से 14 में वर्णित की गयी है।

11.3 कण्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट (बैलेट यूनिट) तथा वीवीपैट को संयोजित करना

11.3.1 सर्वप्रथम वीवीपैट से सम्बद्ध केबल के प्लग को कण्ट्रोल यूनिट के पिछले(ऊपरी) हिस्से में इस प्रयोजनार्थ दिये गये खण्ड मे मौजूद सॉकेट से संयोजित करना है। तत्पश्चात बैलेट यूनिट से सम्बद्ध केबल के प्लग को वीवीपैट के पिछले हिस्से में इस प्रयोजनार्थ दिये गये खण्ड में मौजूद सॉकेट से जोड़ना है।

11.4 कण्ट्रोल यूनिट का स्विच चालू करना

कण्ट्रोल यूनिट, वीवीपैट तथा बैलेट यूनिट के पारस्परिक रूप से जुड़ जाने के पश्चात कण्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच चालू करना चाहिए। जब कण्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच ऑन की स्थिति में ऊपर की तरफ दबाया जाता है तो यह बीप की आवाज करेगी तथा इसके डिसप्ले पर अवस्थित चालू बटन हरी रोशनी से प्रकाशित हो जायेगा।

www.rajteachers.com

11.5 कण्ट्रोल यूनिट के पिछले (ऊपरी) खण्ड को बन्द करना

11.5.1 अब कण्ट्रोल यूनिट का पिछला खण्ड बन्द कर दिया जाना चाहिए। इसे दृढ़ता से बन्द रखने के लिए एक पतले तार का टुकड़ा या मोटा धागा इस हेतु उपलब्ध दो छेदों से गुजारकर तथा तार के अन्तिम सिरों को कुछ एंठन देकर या गांठ लगाकर जैसा भी हो, किया जा सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि कण्ट्रोल यूनिट का पिछला खण्ड़ सील नहीं किया जायेगा क्योंकि मतदान समाप्ति के पश्चात पॉवर स्विच को बन्द करने तथा वीवीपैट मशीन का वियोजन करने हेतु इसे खोला जाना है।

www.rajteachers.com

अध्याय – 12

मॉक पोल का संचालन

12.1 मतदान मशीन क्लियर होने का प्रदर्शन

12.1.1 मतदान प्रारम्भ किये जाने से पहले न केवल आप स्वयं को बल्कि उन सभी मतदान अभिकर्ताओं, जो मतदान कक्ष में उपस्थित है, उनकी भी यह संतुष्टि होनी चाहिए कि ईवीएम तथा वीवीपैट उचित प्रकार से कार्य कर रही है तथा उसमें पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं है।

12.1.2 ऐसी संतुष्टि करने के लिए आपको सर्वप्रथम वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह दिखाना चाहिए कि ईवीएम के क्लियर बटन को दबाकर सभी गणनाओं को शून्य कर दिया गया है। क्लियर बटन कण्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड में दिया गया है। यह खण्ड एक आन्तरिक दरवाजे तथा एक बाहरी दरवाजे से आवरित है। आन्तरिक दरवाजा क्लियर बटन, परिणाम बटन तथा प्रिन्ट बटन को आवरित करता है तथा बाहरी दरवाजा आन्तरिक दरवाजे के ऊपर दिया गया है एवं क्लोज बटन के खण्ड को आवरित करता है। क्लियर बटन तक पहुँचने के लिए आपको पहले बाहरी फलक को इसकी बांयी तरफ दी गयी सिटकनी को हल्का सा अन्दर की तरफ दबाकर खोलना चाहिए। तत्पश्चात रिजल्ट तथा प्रिन्ट बटन के ऊपर अवस्थित दो झिर्रियों को अंगूठे तथा एक अंगुली की सहायता से हल्का सा अन्दर की तरफ दबाते हुए एवं दरवाजे को खींचते हुए बाहरी दरवाजा खोला जा सकता है। किसी भी दशा में उपरोक्त वर्णित से भिन्न विधि द्वारा सिटकनी को हटाकर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए अन्यथा मशीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्षतिग्रस्त हो जायेगा। लेकिन एम–3 मशीन में क्लोज बटन के बाहरी भाग को खोलने के लिए हमें कण्ट्रोल यूनिट की बांयी तरफ मौजूद कटाव को ऊपर की तरफ हल्का सा धक्का देना है। तत्पश्चात आन्तरिक परिणाम/क्लियर बटन के खण्ड को खोलने हेतु पूर्ववर्ती एम–2 मशीन के कण्ट्रोल यूनिट में उपलब्ध दो छेदों में अंगूठा तथा अंगुली डालकर खोलने के बजाय इस खण्ड की बांयी साईड की तरफ से हल्का सा धक्का ऊपर की तरफ लगाना है।

12.1.3 जब क्लियर बटन को दबाया जाता है तो कण्ट्रोल यूनिट का डिसप्ले पैनल निम्नांकित सूचनाओं को क्रमिक रूप से प्रदर्शन करते हुए चालू हो जायेगा :–

दर्ज किये गये मतों को मिटाना

www.rajteachers.com

अभ्यर्थी 10

कुल दिये गये मत 0

अभ्यर्थी संख्या – 1 मत – 0

अभ्यर्थी संख्या – 2 मत – 0

....

....

अभ्यर्थी 10

END (समाप्त)

12.1.4 टिप्पणी :– यदि क्लियर बटन दबाने से डिसप्ले पैनल उपरोक्त दर्शित सूचनाएँ प्रदर्शित नहीं करता है तो इसका आशय यह है कि पूर्व में संचालित की गई कुछ गतिविधियाँ जो मशीन में क्लियर की जानी थी, वे क्लियर नहीं की गयी हैं। मशीन को क्लियर करने के लिए यह सुनिश्चित कीजिये कि बेलट यूनिट, वीवीपैट तथा कण्ट्रोल यूनिट को उचित प्रकार से संयोजित किया गया है। क्लोज बटन दबाइये तथा तत्पश्चात रिजल्ट बटन दबाइये। अब क्लियर बटन दबाइये, डिसप्ले पैनल डपरोक्त सूचनाओं को प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर देगा।

12.1.5 डिसप्ले पेनल पर उपरोक्त सूचनाओं का प्रदर्शन मतदान कक्ष में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की यह संतुष्टि कर देगा कि मशीन में पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं है।

12.1.6 मतदान अभिकर्ताओं को यह सत्यापित करने कि अनुमति भी दी जानी चाहिए कि वीवीपैट खाली है।

12.2 मॉक पोल

12.2.1 ईवीएम में पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं होने की उपरोक्त सूचनाओं के प्रदर्शन के बाद आपको प्रत्येक अभिकर्ता द्वारा दिए जाने वाले मतों से मॉक पोल का संचालन करना है। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ता द्वारा नहीं किया जाता

www.rajteachers.com

है तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए कुछ मत आपको डालने चाहिए। तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होने वाले परिणाम का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाना चाहिए।

12.2.2 मॉक पोल का संचालन मतदान प्रारंभ करने हेतु निश्चित किए गए समय से एक घंटा पूर्व किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से यह सूचना प्रेषित कर दी जानी चाहिए कि मतदान प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व मॉक पोल प्रारंभ हो जाएगा तथा उन्हें अपने मतदान अभिकर्ताओं को यह निर्देश प्रदान करने की सलाह दी दे देनी चाहिए कि वे मॉक पोल हेतु समय पर उपस्थित रहें। मॉक पोल के समय कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहने चाहिए। लेकिन यदि न्यूनतम दो मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व 15 मिनट तक उनका इंतजार किया जाएगा तथा तब भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचते हैं तो पीठासीन अधिकारी अपने काम को आगे बढ़ाते हुए मॉक पोल प्रारंभ करेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 15 मिनट तक इंतजार किए जाने के बाद यदि केवल एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित हुआ हो तो पीठासीन अधिकारी आगे की कार्यवाही प्रारंभ करके नमूने का मतदान प्रारंभ कर देगा। ऐसी स्थिति को मॉक पोल के प्रमाण पत्र में विशिष्ट रूप से प्रविष्टि की जानी चाहिए।

12.2.3 मॉक पोल के लिए बैलट यूनिट तथा वीवीपैट को उचित रूप से संयोजित करके उन्हें मतदान कक्ष में निर्मित किए गए मतदान उपखंड (वोटिंग कंपार्टमेंट) में रख दिया जाना चाहिए तथा कंट्रोल यूनिट एवं वी.एस.डी.यू. को (एम–2 वीवी पैट होने की दशा में) पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी जो कंट्रोल यूनिट का संचालन करेगा उसकी टेबल पर रखा जाना चाहिए।

12.2.4 एक मतदान अधिकारी मतदान उपखंड (वोटिंग कंपार्टमेंट) में मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैलट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने हेतु उनके साथ उपस्थित रहेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए मतों का हिसाब रखेगा।

12.2.5 मॉक पोल का संचालन चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं द्वारा यादृच्छ (रेंडमली) रूप से मतदान करवाकर किया जाएगा। मॉक पोल में कम से कम 50 मत अवश्य दिलवाए जाने चाहिए। किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की दशा में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है। मतदान उपखंड में उपस्थित मतदान अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत दिए गए हैं। मॉक पोल होने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्राप्त करेगा तथा वीवीपैट की कागज की पर्चियों की गिनती

www.rajteachers.com

करेगा एवं यह पुष्टि करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम का मिलान हो रहा है। (51/8/वीवीपैट/ 2017 – ईवीएम दिनांक 16 अक्टूबर 2017)

12.2.6 मॉक पोल हेतु निम्नलिखित कार्य कीजिए–

12.2.7 कंट्रोल यूनिट के बैलेट खण्ड पर अवस्थित बैलट बटन दबाएं। बैलेट बटन को दबाने पर उसके डिस्प्ले भाग पर विद्यमान बिजी लैंप लाल रोशनी से प्रकाशित होगा। इसी प्रकार बैलट यूनिट/यूनिटों का रेडी लैंप हरी रोशनी से प्रकाशित होगा।

12.2.8 मतदान अभिकर्ता को अपनी पसंद के अनुसार बैलेट यूनिट पर किसी भी अभ्यर्थी के नीले बटन को दबाने हेतु कहिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि प्रत्येक नीला (खुला) बटन कम से कम एक बार जरूर दबाया जाए ताकि प्रत्येक नीला (खुला) बटन परीक्षित हो सके तथा उचित रूप से काम करता हुआ पाया जाए।

12.2.9 अभ्यर्थी का नीला बटन दबाए जाने पर बैलेट यूनिट पर विद्यमान रेडी लैंप बंद हो जाएगा तथा बटन के निकट अवस्थित अभ्यर्थी का लाल बटन चालू हो जाएगा । वीवीपैट कागज की एक छोटी पर्ची मुद्रित करेगी जिस पर अभ्यर्थी जिसको मत दिया गया है, उसका चुनाव चिन्ह, नाम तथा क्रमांक मुद्रित होंगे तथा यह पर्ची वीवीपैट की विंडो में 7 सेकंड तक दृश्यमान रहेगी। तत्पश्चात कागज की पर्ची स्वतः ही कट कर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। बीप की आवाज भी आएगी जो कंट्रोल यूनिट से निकलेगी। कुछ सेकंड बाद बीप की आवाज बंद हो जाएगी। यह इस बात का संकेत है कि अभ्यर्थी जिसका बटन दबाया गया था उसके पक्ष में कंट्रोल यूनिट में मत दर्ज हो चुका है तथा मशीन अब अगले मत के लिए तैयार है।

12.2.10 शेष बचे प्रत्येक अभ्यर्थी को एक या अधिक मत देने के लिए उपरोक्त वर्णित की गई प्रक्रिया का दोहरान कीजिए। प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दर्ज किए गए मतों का लेखा सावधानी पूर्वक संधारित किया जाना चाहिए।

12.2.11 जब मत दर्ज किया जा रहे हो तो इस दौरान किसी भी समय तथा मशीन में कुल पड़े मतों का इस स्तर पर सत्यापन करने हेतु कंट्रोल यूनिट के बैलट खंड पर अवस्थित टोटल बटन दबाईये।

नोट :– टोटल का बटन किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मत दर्ज किए जाने तथा डिस्प्ले पर बिजी लेम्प के बंद हो जाने के बाद ही दबाया जाना चाहिए।

12.2.12 मॉक पोल की समाप्ति पर परिणाम खंड पर अवस्थित क्लोज बटन दबाएं।

www.rajteachers.com

नोट :– समय की उपलब्धता के अनुसार मॉक पोल हेतु और अधिक मत दर्ज किए जाने की अनुमेयता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डाले गए मतों की संख्या समान हो लेकिन प्रत्येक खुले बटन का प्रयोग कर कम से कम 50 मत अवश्य डाले जाने चाहिए।

12.2.13 अब परिणाम खंड में विद्यमान रिजल्ट बटन को दबाईये। इस बटन को दबाने पर डिस्पले पैनल परिणाम दर्शित करना प्रारंभ कर देगा।

12.2.14 मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट में परिणाम की जांच कीजिए तथा वीवीपैट की कागज की पर्चियों (वीवी पेट ड्रॉपबॉक्स से प्राप्त करके) की गिनती मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी के हिसाब से कीजिए तथा यह पुष्टि कीजिए कि परिणाम का मिलान प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतों से हो रहा है।

12.2.15 अब मॉक पोल के दौरान दर्ज किए गए मतों को क्लियर करने हेतु क्लियर बटन दबाएं। क्लियर बटन दबाने पर डिसप्ले पेनल पर सभी गणनाएँ शून्य प्रदर्शित होगी। साथ ही वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियॉ हटाकर ड्रॉप बॉक्स को सील किया जाना चाहिए।

12.2.16 मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार कीजिए।

12.2.17 कंट्रोल यूनिट के मॉक पोल के आंकड़ों तथा वीवीपैट की पर्चियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए तथा खाली ड्रॉपबॉक्स का सत्यापन मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा कराया जाना चाहिए।

12.2.18 मॉकपोल से संबंधित सभी वीवीपैट कागज पर्चियों के पृष्ठ भाग पर मॉक पोल स्लिप की रबड़ मुहर लगायी जानी चाहिए। तत्पश्चात इन मॉक पोल पर्चियों को काले मोटे कागज से निर्मित लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिफाफा सील किया जाना चाहिए।

12.2.19 पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं को लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। **लिफाफे पर मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक तथा नाम, चुनाव की तिथि तथा शब्द ''मॉक पोल की वीवीपैट कागज पर्चियाँ'' अंकित किया जाएगा।**

12.2.20 मॉक पोल हेतु निर्धारित प्लास्टिक के विशेष डिब्बे में इस लिफाफे को रखा जाना चाहिए तथा डिब्बे के चारों तरफ पिंक पेपर सील इस प्रकार से लगाकर इसे सील

www.rajteachers.com

किया जाना चाहिए कि डिब्बे को खोले जाने से पूर्व पिंक पेपर सील को तोड़ा जाना अपेक्षित हो।

12.2.21 प्लास्टिक के डिब्बे पर चुनाव की दिनांक के साथ मतदान बूथ का क्रमांक तथा नाम एवं विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक तथा नाम लिखा जाना चाहिए।

12.2.22 पीठासीन अधिकारी तथा निर्वाचन अभिकर्ताओं को पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बॉक्स को चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रख दिया जाना चाहिए।

12.2.23 तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी मॉक पोल का प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा एवं ईवीएम की कण्ट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को सील करने हेतु कण्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करेगा।

12.2.24 वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग का प्रयोग करते हुए उसे सील किया जाना चाहिए।

12.2.25 **पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बिना किसी असफलता के कण्ट्रोल यूनिट से मॉक पोल के आंकडों को मिटा दिया गया है। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम है।**

12.2.26 पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्त्ताओं तथा अभ्यर्थियों (एव उनके दल सम्बद्धता) के नाम जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे है, दर्शित करेगा तथा मॉक पोल पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। (51/8/वीवीपैट/2017—ईएमएस दिनांक 16.10.2017 एवं 05.12.2017)

12.3 ईवीएम बदले जाने की दशा में मॉक पोल

12.3.1 वास्तविक मतदान के दौरान कण्ट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट के उचित रूप से कार्य नहीं करने की दशा में कण्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण ईवीएम को बदला जाना अपेक्षित है। लेकिन ऐसे मामलों में नोटा को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में केवल एक मत दिया जायेगा। (51/8/वीवीपैट/2017—ईएमएस दिनांक 11.01.2018)

12.3.2 मॉक पोल के पश्चात पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कण्ट्रोल यूनिट के परिणाम की जाँच करेगा, वीवीपैट कागज पर्चियों की गिनती करेगा तथा यह पुष्टि करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम का मिलान हो रहा है।

www.rajteachers.com

12.3.3 <u>कण्ट्रोल यूनिट के मॉक पोल आंकडों तथा वीवीपैट कागज पर्चियों को पीठासीन अधिकारी द्वारा मिटा/हटा दिया जाना चाहिए तथा खाली ड्रॉप बॉक्स का सत्यापन मतदान अभिकर्ताओं द्वारा करवाया जाना चाहिए।</u>

12.3.4 मॉक पोल से संबंधित सभी वीवीपैट कागज पर्चियों के पृष्ठ भाग पर "मॉक पोल स्लिप" की रबड़ मुहर लगायी जानी चाहिए, तत्पश्चात इन मॉक पोल पर्चियों को काले मोटे कागज से निर्मित लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिफाफा सील किया जाना चाहिए।

12.3.5 पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं को लिफाफे पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईवीएम तथा वीवीपैट का सम्पूर्ण सेट बदले जाने की दशा में किये गये मॉक पोल से संबंधित लिफाफे पर मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम एवं विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक तथा नाम, चुनाव की तिथि तथा अभिव्यक्ति "मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट कागज पर्चियाँ" अंकित किया जायेगा।

12.3.6 मॉक पोल हेतु निर्धारित प्लास्टिक के विशेष डिब्बे में इस लिफाफे को रखा जाना चाहिए तथा डिब्बे के चारों तरफ पिंक पेपर सील इस प्रकार से लगाकर इसे सील किया जाना चाहिए कि डिब्बे को खोले जाने से पूर्व पिंक पेपर सील को तोड़ा जाना अपेक्षित हो। प्लास्टिक के डिब्बे पर चुनाव की दिनांक के साथ मतदान बूथ का क्रमांक तथा नाम एवं विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम लिखा जाना चाहिए।

12.3.7 पीठासीन अधिकारी तथा निर्वाचन अभिकर्ताओं को पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बॉक्स को चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रख दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी मॉक पोल का दूसरा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा एवं कण्ट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को सील करेगा।

12.3.8 वास्तविक मतदान प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टेग का प्रयोग करते हुए सील किया जाना चाहिए।

12.4 वीवीपैट बदले जाने की दशा में मॉक पोल

12.4.1 **<u>वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट बदले जाने की दशा में मॉक पोल का संचालन नहीं किया जायेगा।</u> (51/8/वीवीपैट/2017–ईएमएस दिनांक 11.01.2018)**

12.5 मतदान प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की दिनांक तथा समय को दर्ज करना

12.5.1 मतदान केन्द्र पर मॉक पोल की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी स्थिर रूप से कण्ट्रोल यूनिट में दर्शित दिनांक तथा समय तथा उसी समय वास्तविक दिनांक तथा समय की जाँच करेगा तथा दोनो में किसी भी प्रकार का अंतर होने की दशा में उसका अंकन मॉक पोल प्रमाणपत्र तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में करेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 13

कन्ट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना

13.1 ग्रीन पेपर सील लगाना

13.1.1 मतदान की परंपरागत प्रणाली में जहाँ मतपेटी और मतपत्रों का उपयोग किया जाता था तथा उनकों सुरक्षित रूप से सील किए जाने हेतु आयोग द्वारा विशेष रूप मुद्रित की गई ग्रीन पेपर सील का उपयोग किया जाता था। एक बार जब ग्रीन पेपर सील को एक मतपेटी मे लगा दिया जाता था और बॉक्स के ढक्कन को बंद कर दिया जाता था तो बॉक्स को खोला नहीं जा सकता था और मतपेटी में विद्यमान मतपत्रों के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी जब तक कि हरी पेपर मुहर हटा दी नहीं जाती। वोटिंग मशीन में भी इसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि एक बार कन्ट्रोल यूनिट को सील कर दिया जाय और मतदान शुरू हो जाए तो कोई भी व्यक्ति मतदान मशीन से छेड़छाड नहीं कर पाएगा। इसे प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग मशीन की कन्ट्रोल यूनिट में एक हरे रंग की कागज मुहर को लगाने का प्रावधान किया गया है, जैसा कि मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया गया था।

13.1.2 कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक डिब्बे के दरवाजे के भीतरी तरफ पेपर सील को लगाने के लिए एक फ्रेम उपलब्ध करवाया गया है। **कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक डिब्बे के दरवाजे के भीतरी हिस्से की फ्रेम में हरे रंग की कागज मुहर लगाने से पहले आपको ग्रीन पेपर सील के सीरियल नंबर के ठीक नीचे मुहर की सफेद सतह पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।** इस पर उन उम्मीदवारों या उनके मतदान अभिकर्ताओं जो वहाँ पर उपस्थित हैं और अपने हस्ताक्षर करना चाहते हैं उनके भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि मतदान अभिकर्ताओं के कागज मुहर पर किए गए हस्ताक्षर उनके नियुक्ति पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों से मिलान कर रहे हैं।

13.1.3 मुहर इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि यह बाहर की तरफ के छिद्र से देखी जा सके तथा हरी कागज मुहर का क्रमांक बाहर से दृश्यमान हो। जब हरी कागज मुहर मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट पर लगाई जाती है तो यह नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दिखाई देगी।

www.rajteachers.com

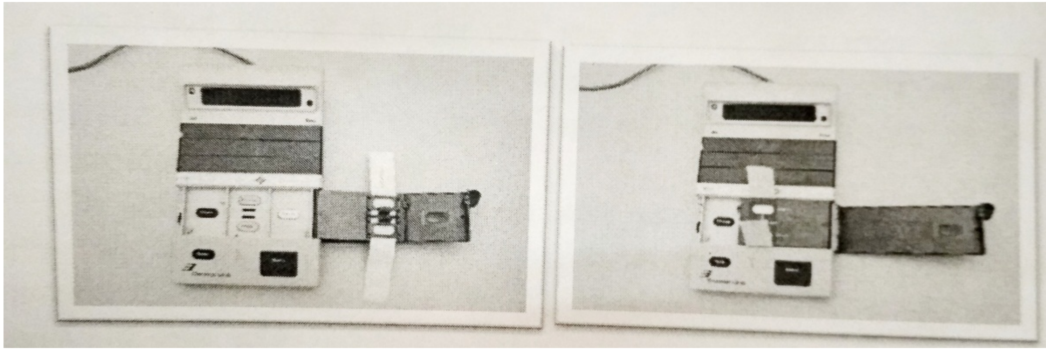

13.1.4 **<u>यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि किसी भी दशा में क्षतिग्रस्त मुहर का प्रयोग नहीं किया गया है</u>** तथा यदि सील किए जाने की प्रक्रिया के दौरान कोई मुहर क्षतिग्रस्त हो गई है तो इसे आंतरिक भाग के दरवाजे को बंद किए जाने से पहले बदल दिया जाना चाहिए।

13.1.5 कागज की मुहर लगाए जाने के बाद आंतरिक भाग के दरवाजे को दबाकर फिट करते हुए बंद किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार बंद किया जाना चाहिए कि कागज की मुहर के दोनों खुले सिरे आंतरिक भाग के दोनों सिरो में से निकलते हुए बाहर की तरफ रहे।

13.2 कागज की मुहर पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

13.2.1 कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक भाग के दरवाजे की अंदर की साइड को बंद किए जाने के प्रयोजन से उपलब्ध करवाए गए फ्रेम में कागज की सील को लगाने से पहले आपको कागज की सफेद सतह पर अंकित क्रमांक के ठीक नीचे पूर्ण रूप अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए।

13.3. कागज मुहर(पेपर सील) का लेखा

13.3.1 मतदान केंद्र पर कन्ट्रोल यूनिट को सील एवं सुरक्षित करने के प्रयोजन से आप को दी गई कागज की सीलों तथा वास्तव में प्रयुक्त की गई सीलों का लेखा बिल्कुल सही रखना चाहिए। यह लेखा निर्वाचन नियम संहिता, 1961 के साथ संलग्न अनुच्छेद 10 के भाग 1 के प्रपत्र 17 ग के प्रयोजनार्थ विशिष्टीकृत किये गये फॉर्म में संधारित किया जायेगा।

13.3.2 कागज की मुहरें जो उपलब्ध कराई गई हैं तथा वे मुहरे जो वास्तव में प्रयुक्त की गई हैं, उनके क्रमांक उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता को नोट करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

www.rajteachers.com

अध्याय – 14

कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को बन्द और सील करना

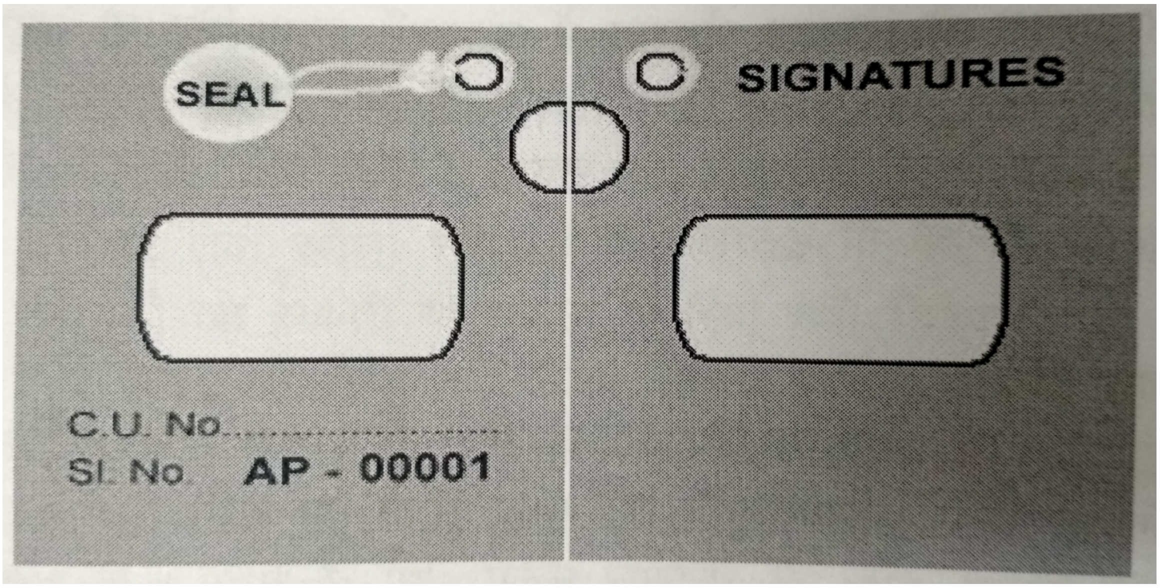

14.1 स्पेशल टैग

14.1.1 पोस्टकार्ड की मोटाई के बराबर इसकी मोटाई होती है। दांयी ओर के छेद है ऊपर सामने की तरफ एक मेटल रिंग है उसमें धागा डालकर सील कर दिया जाता है। सीधे हाथ पर के छेद के नीचे स्पेशल टैग पर एक गोल कटा हुआ स्थान है। जिसमें परिणाम विभाग का 'डोर नॉब' फिट हो जाता है। स्पेशल टैग के बीच में एक खुली हुई जगह है ताकि जब परिणाम विभाग के क्लोज़ (Close) बटन पर टैग लगाया जाये तो वह दिखाई दे और टैग को छेड़े बिना क्लोज़ (Close) बटन को दबाया जा सके।

14.1.2 स्पेशल टैग प्रयुक्त करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेगा।

14.1.3 स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी टैग के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से स्पेशल टैग के पीछे, यदि वह चाहे, उनसे हस्ताक्षर करने हेतु भी कहा जाएगा। आप स्पेशल टैग पर पूर्व में छपी क्रम संख्या को पढकर सुना दें और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने को कहें।

www.rajteachers.com

14.1.4 ग्रीन पेपर सील लगाने और सुरक्षित करने और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरांत क्लीयर बटन और रिजल्ट बटन के ऊपर के अन्दरूनी भाग को दबाकर स्थिर और बन्द कर दिया जाए। अन्दरूनी भाग को स्पेशल टैग से सील कर दिया जाए तथा इस तरीक़े से बन्द किया जाए कि ग्रीन पेपर सील के दो खुले सिरे लगाकर अन्दर के दरवाज़े के किनारों को बाहर से प्रदर्शित करें। फिर इस अन्दर के दरवाज़े को स्पेशल टैग से सील कर दिया जाए। इस हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किया गया उच्च क्वालिटी का दो सूती धागा अन्दरूनी दरवाजे में उपलब्ध छेद तथा स्पेशल टैग में उपलब्ध मेटल रिंग वाले छेद से डाला जाए।

14.1.5 आपके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि **ख़राब अथवा टूटा हुआ स्पेशल टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए।** यदि किसी कारण स्पेशल टैग ख़राब हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए। इसी काम के लिये इस कार्य हेतु ''ग्रीन पेपर सील'' के समान रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी आपको तीन या चार स्पेशल टैग देगा।

14.1.6 यह सब करने के बाद, धागे की एक गांठ बनाकर स्पेशल टैग पर सीलिंग लाख लगाकर धागे से सील करें। तत्पश्चात् सील को बिना तोड़े आप स्पेशल टैग को ''क्लोज़'' बटन के कक्ष में इस तरह समायोजित करें कि ''क्लोज़'' बटन उस छेद जोकि स्पेशल टैग के बीच में इस उद्देश्य से काटा गया है, से बाहर निकले।

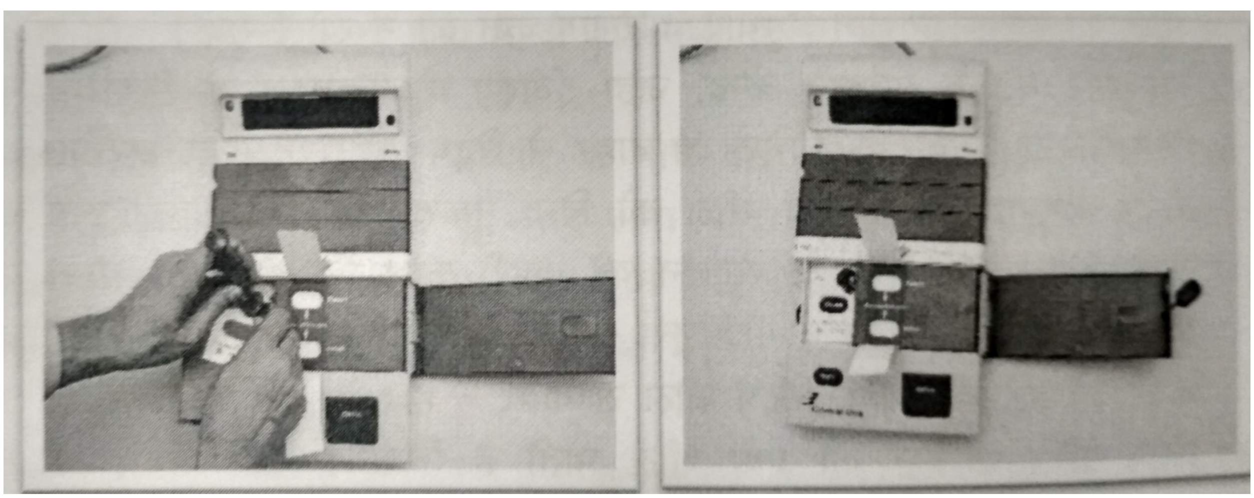

14.2 परिणाम कक्ष के बाहरी कवर को बन्द और सील करना :

14.2.1 कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को बन्द और सील करने के पश्चात् परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बन्द करने के लिये

www.rajteachers.com

दबाया जाना चाहिए। बाहरी कवर को दबाये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दो खुले सिरे बाहरी कवर के दोनो किनारों के बाहर की ओर भी निकले रहें।

14.2.2 परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द करने के पश्चात् उस कवर को (i) बाहरी कवर की बाईं ओर इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध दो छिद्र में से एक धागा डालकर, (ii) पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ थ्रेड सील लगाकर और (iii) लेबल (Address Tag) लगाकर, जैसा रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर *''कैन्डिडेट सैट सेक्शन''* में लगाया गया है, मुहरबन्द किया जाना चाहिए। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

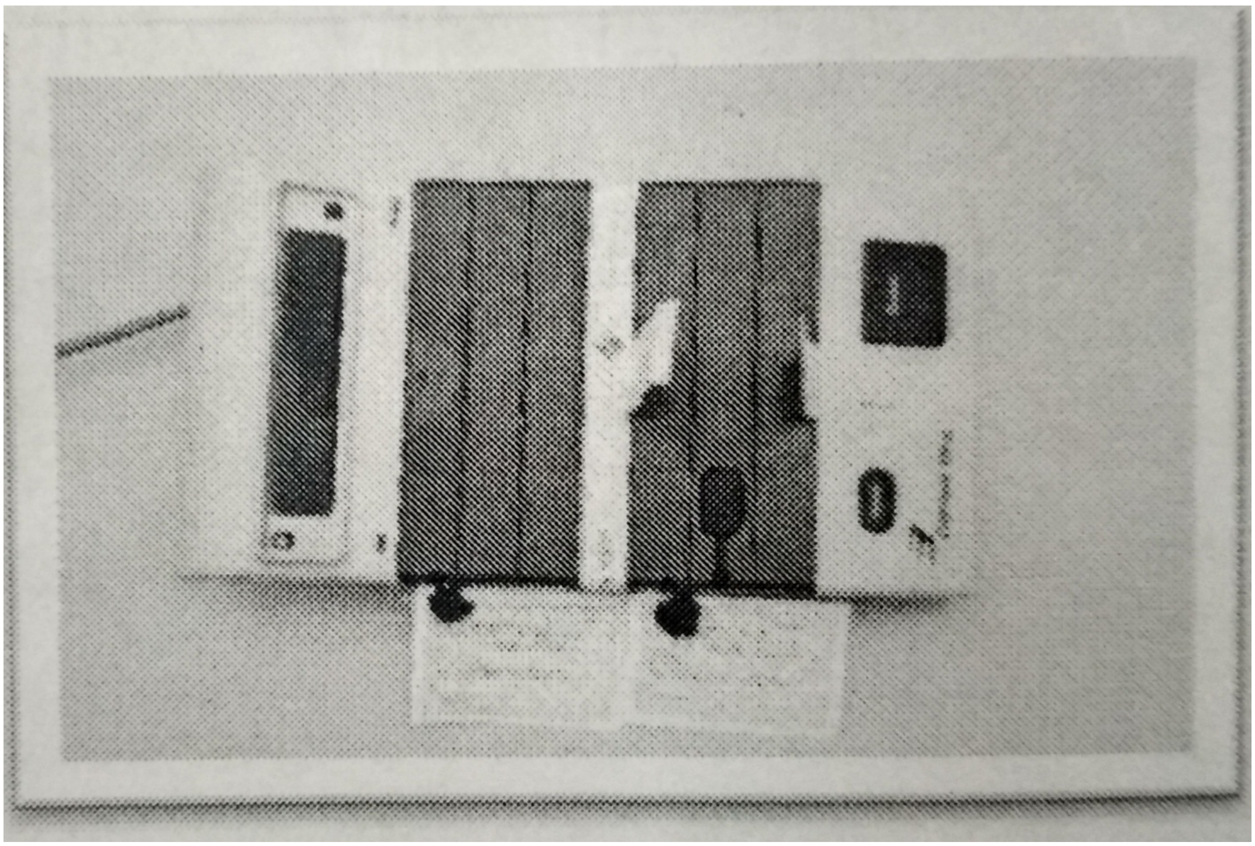

14.3 स्ट्रिप सील :

14.3.1 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के सीलिंग कार्यों में सुधार लाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने एक अतिरिक्त बाहरी सील लगाने की अनुमति दी है। कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष को एक बाहरी काग़ज़ की पट्टी से (जिसको कि अब स्ट्रिप सील कहा जाएगा) से सील करने की सुविधा प्रदान की है, ताकि कन्ट्रोल यूनिट के इस क्षेत्र को खोला ना जा सके। जब मतदान शुरू हो गया हो और जब तक कि मतगणना समाप्त हो चुकी हो, यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब मशीन में मतदान केन्द्र में पहला

www.rajteachers.com

वोट डाला गया हो और जब तक मतगणना मेज तक ना आ जाए कोई भी व्यक्ति परिणाम कक्ष को बिना स्ट्रिप सील को नुक़सान पँहुचाए ना खोल सके।

14.3.2 निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि हर मतदान केन्द्र पर कन्ट्रोल यूनिट को बाहर से स्ट्रिप सील से सुरक्षित एवं सील दी किया जायेगा ताकि स्ट्रिप सील को नुक़सान पँहुचाए बिना यह सेक्शन खोला ना जा सके। स्ट्रिप सील रिज़ल्ट सेक्शन से बाहरी कवर पर स्थित की जाएगी ध्यान रहे कि क्लोज़ बटन की रबर कवरिंग स्ट्रिप सील से ढका ना जाए। (इससे क्लोज़ बटन दबाने के लिये प्लास्टिक कैप हटाने की आसानी होगी– आकस्मिक स्थिति में बूथ केप्चरिंग की स्थिति में)।

14.3.3 स्ट्रिप सील काग़ज़ की एक सील होती है जिसकी नाप होती है– 23.5'' (लम्बाई) और 1'' (चौड़ाई)। पट्टी की लम्बाई ऐसी होती है जिसे कन्ट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर आसानी से लपेटा जा सके ताकि मतदान से पूर्व और जब अन्य ज़रूरी सीलों को कन्ट्रोल यूनिट पर लगाया जा चुका हो, कन्ट्रोल यूनिट को एक बाहरी सील मिल जाए। प्रत्येक स्ट्रिप सील पर एक विशिष्ट पहचान नम्बर होता है। यह स्ट्रिप सील एक ऐसे संस्थान से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे कि आयोग ने अधिकृत किया है। प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक राज्य के लिये अलग से क्रय करेंगे। स्ट्रिप सील के दोनो सिरों पर चार स्टिकर लगे हुए हैं इसमें से तीन हिस्सों का वर्ग एक वर्ग इन्च (अक्षर A,B,C) द्वारा पहचाने जाएंगे और एक का अक्षर दो इन्च लम्बा होगा। (D अक्षर से पहचाना जाएगा) प्रत्येक स्टिकर वाला हिस्सा वेक्स पेपर से ढका होगा। स्ट्रिप सील की एक आन्तरिक और एक बाहरी परत होगी। आन्तरिक परत के एक छोर पर दो समन्वय पहले से गोन्द लगे हुए स्थल होंगे (जो A और B अक्षर से चिन्हित हैं) आन्तरिक परत के दूसरे छोर पर दो इन्च का स्टिकर D द्वारा चिन्हित किया गया है। पट्टी के बाहरी तरफ ख़ाली एक ही स्टिकर होगा जिस पर C अक्षर चिन्हित होगा।

14.3.4 स्ट्रिप सील की आकृति आन्तरिक एवं बाहरी तरफ को दिखाती हुई चित्र में दर्शाई गई है।

A		B	INNER SIDE	D

	C	OUT SIDE

14.3.5 स्ट्रिप सील को परिणाम कक्ष के बाहर सील करने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर तुरन्त करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों का उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर

www.rajteachers.com

उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। स्ट्रिप सील को क्लोज़ बटन की कैप के ठीक नीचे स्थित किया जाये।

14.4 कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील सहित सील करने का पूर्ण तरीक़ाः

14.4.1 ईवीएम को स्ट्रिप सील से सील करने का तरीका निम्नानुसार है।

14.4.2 **स्टेप 1** : सर्वप्रथम ग्रीनपेपर सील को इस प्रकार विन्डो कवर के बाहर रखें कि रिज़ल्ट सेक्शन के नीचे एक सिरा और ऊपर दूसरे सिरे का ग्रीन वाला भाग बाहर की ओर रहे।

14.4.3 **स्टेप 2** : स्ट्रिप सील का अक्षर A वाला भाग ग्रीन पेपर सील के निचले हिस्से पर रखते हुए चिपकने वाले भाग का स्टिकर हटाकर नीचे की ग्रीन पत्ती को A पर चिपका दिया जाए।

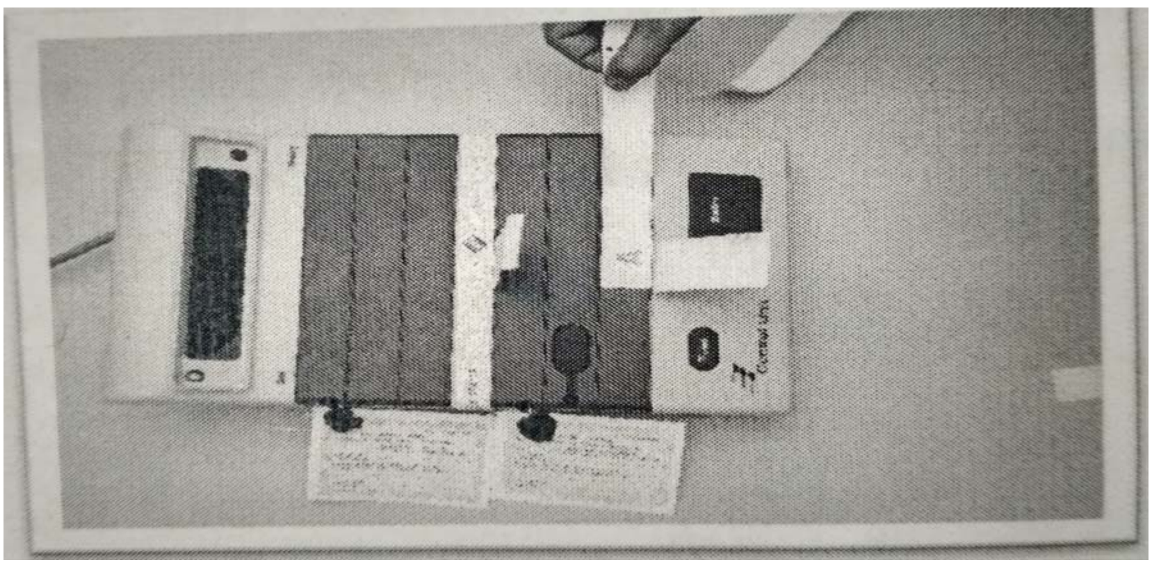

14.4.4 **स्टेप 3** : अब स्ट्रिप सील के B भाग का स्टिकर हटाकर ग्रीन पेपर सील के पूर्ववत छोर पर चिपका दिया जाए।

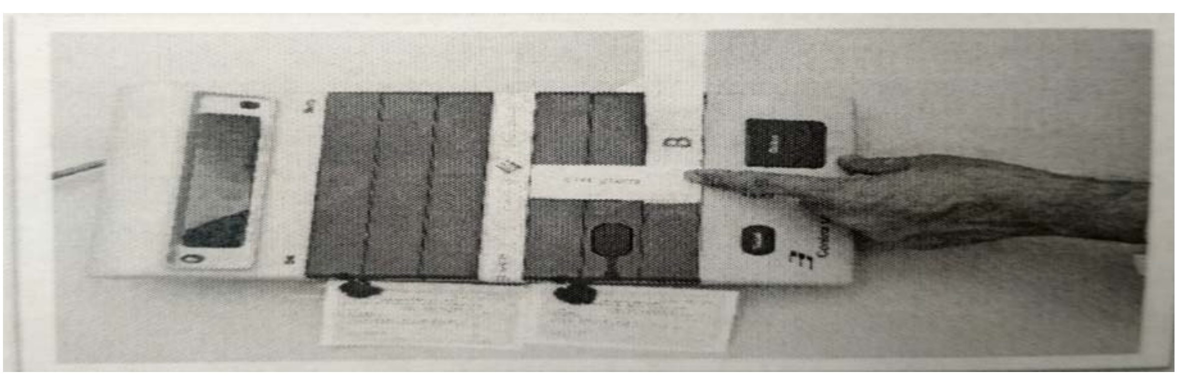

www.rajteachers.com

14.4.5 **स्टेप 4** : अब स्ट्रिप सील का C भाग ऊपर की ओर स्थित होगा जिसका स्टिकर हटाकर उस पर ग्रीन पेपर सील का ऊपरी सिरा चिपका दिया जाए।

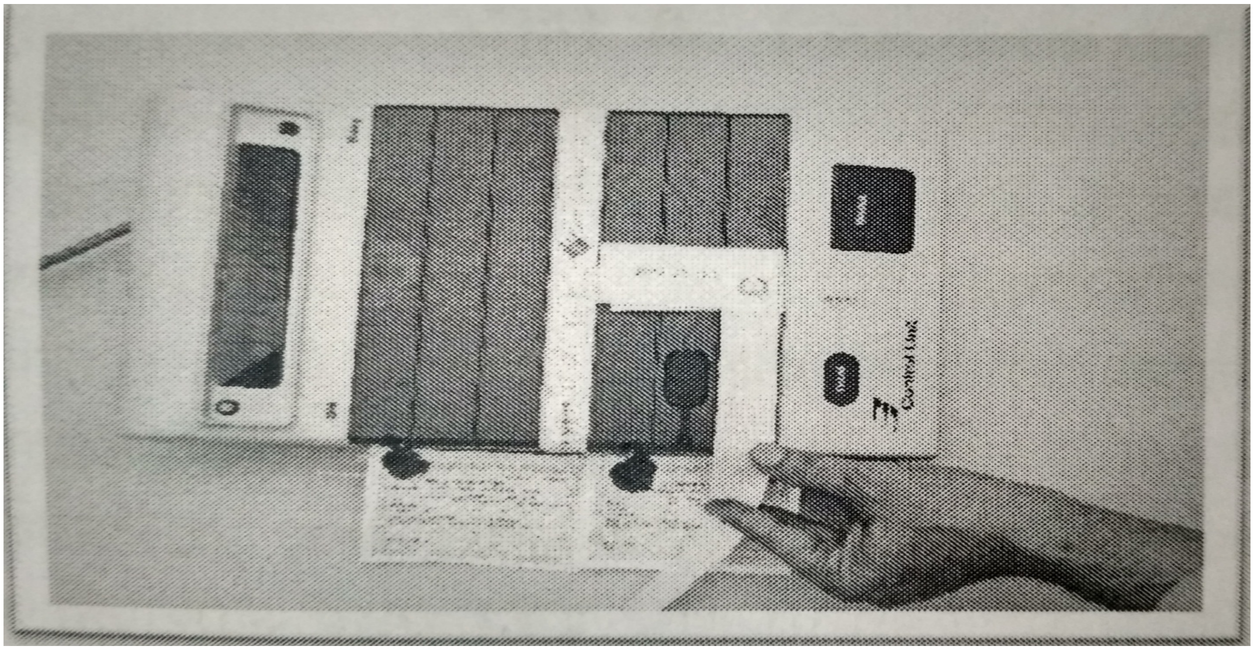

14.4.6 **स्टेप 5** : अब स्ट्रिप सील को कन्ट्रोल यूनिट के बाई ओर से क्लोज़ बटन को छोड़ते हुए घुमाएं और दाई ओर से ऊपर लाकर इसके D भाग का स्टिकर हटाकर A,B व C भाग को ढक दिया जाए।

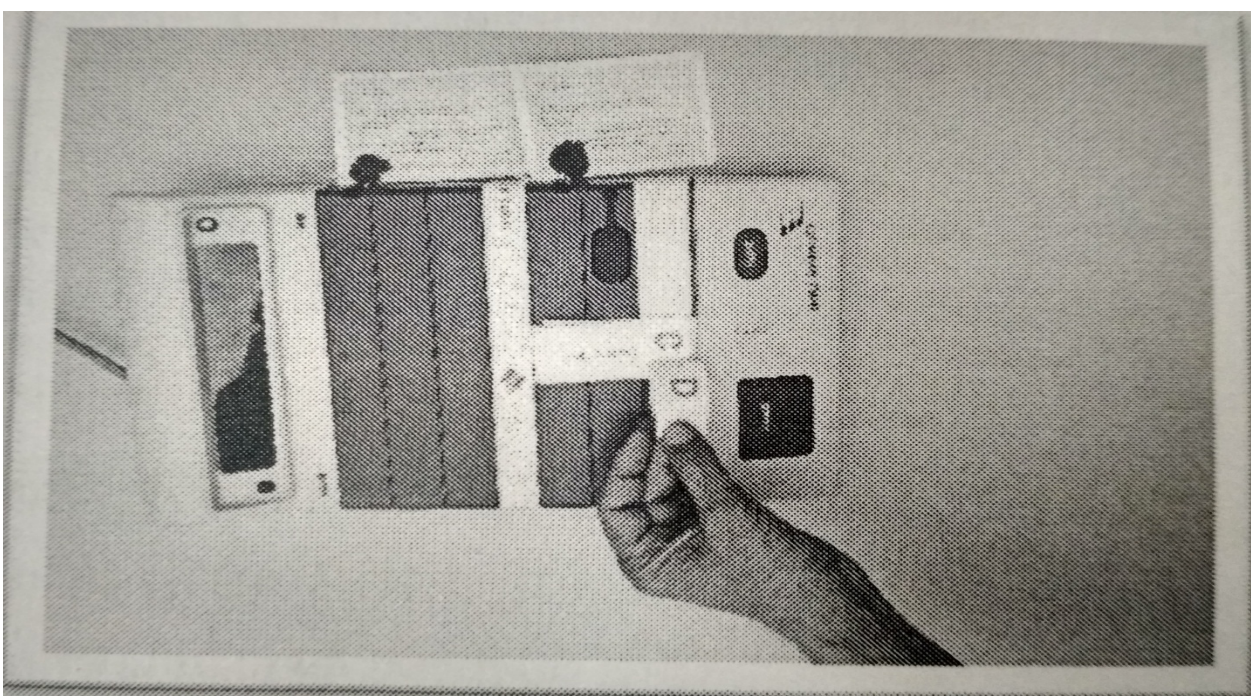

www.rajteachers.com

14.4.7 **स्टेप 6 :** स्ट्रिप सील के D भाग से स्टिकर हटाकर इस प्रकार चिपकाना चाहिए कि ग्रीन पेपर सील पूरी तरह से सील हो जाए केवल स्ट्रिप सील का क्रमांक ही दिखाई देना चाहिए। जिससे ग्रीन पेपर सील के दोनो खुले छोर पूर्ण रूप से बन्द हो जाएं, जिससे कि परिणाप खण्ड पूर्ण रूप से स्ट्रिप सील को नष्ट किये बिना खोला ना जा सके।

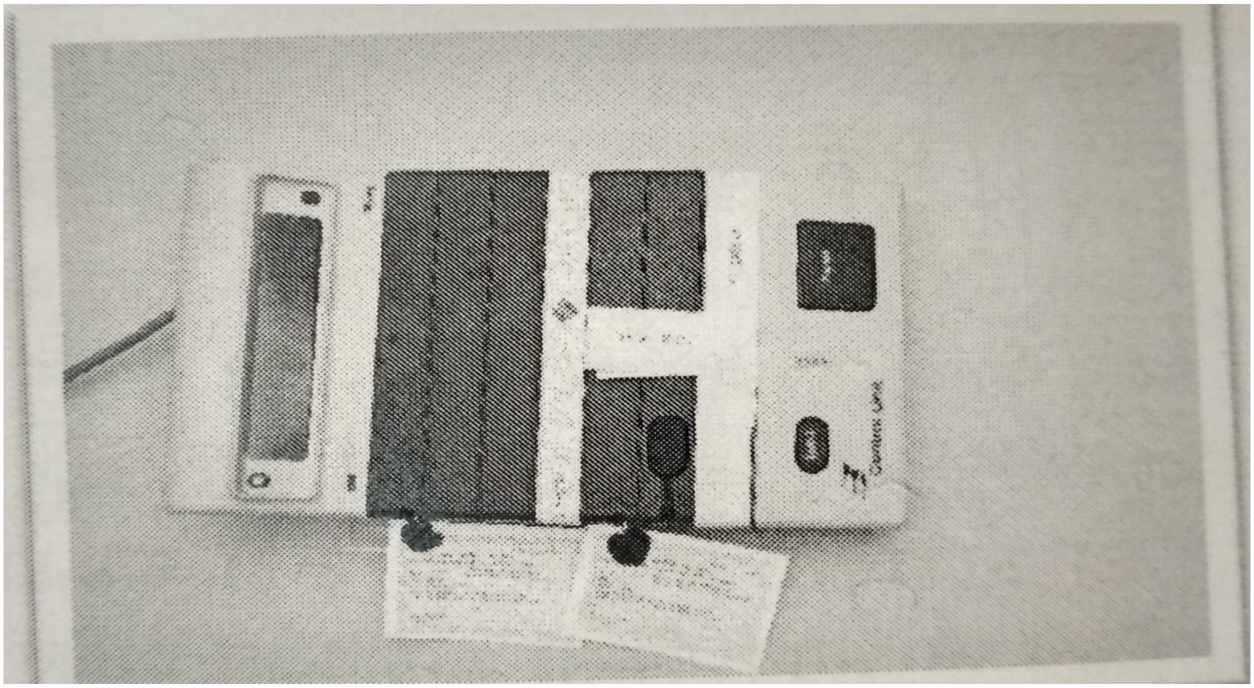

14.4.8 स्ट्रिप सील से कन्ट्रोल यूनिट को सील करने के पश्चात् पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए कि मतदान के दौरान इसे ना तो नष्ट की जा सके और ना ही इसके साथ छेड़छाड़ की जा सके। इसे मतदान के समय एवं मतदान के पश्चात् हटाना नहीं चाहिए।

14.4.9 मतदान की निर्धारित समयावधि के पश्चात् क्लोज़ बटन का कैप बिना स्ट्रिप सील को छेड़े बिना खोलकर क्लोज़ बटन दबाकर मतदान समाप्त करना चाहिए तथा रबर कैप को पुनः स्थापित कर दिया जाए। मतदान समाप्ति की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट को कैरिंग केस में रखकर इसे भी एड्रेस टैग से सील कर देना चाहिए, और संग्रहण केन्द्र के स्ट्रोंग रूम तक आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जमा करवा दिया जाए।

14.4.10 मतगणना के दिन कन्ट्रोल यूनिट को अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ताओं के समक्ष स्ट्रिप सील का अवलोकन करने की अनुमति दी जाए। मतगणना के समय केवल स्ट्रिप सील को काटा जाए, ध्यान रहे कि ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त ना हो।

14.5 स्ट्रिप सील लगाते समय महत्वपूर्ण सावधानियाँ :

www.rajteachers.com

14.5.1 **यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जाएगी कि क्लोज़ बटन कैप के नीचे से परिणाम कक्ष के बाहरी दरवाज़े को पूर्ण रूप से ढके। इस पट्टी को स्थाई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्लोज़ बटन को साफ छोड़ दिया गया है एवं थोड़ा भी नहीं ढका गया है ताकि इस बटन को इस्तेमाल करने में कोई भी तकलीफ ना हो।**

14.5.2 स्ट्रिप सील स्थाई रूप से पक्की कर दी जाएगी और ढीली नहीं छोड़ी जाएगी।

14.5.3 टूटी हुई स्ट्रिप सील किसी भी स्थिति में इस्तेमाल ना करें।

14.5.4 प्रत्येक मतदान केन्द्र को चार स्ट्रिप सील दी जाएगी, जैसे कि ग्रीन पेपर सील दी जाती है।

14.5.5 पीठासीन अधिकारी प्रत्येक स्ट्रिप सील जो मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये दी गई है, उसका लेखा पीठासीन अधिकारी की डायरी में संधारित करेगा।

14.5.6 काम में नहीं ली गई समस्त स्ट्रिप सील, क्षतिग्रस्त (क्षतिग्रस्त के टुकड़ों सहित) इत्यादि को रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना होगा, अगर किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास इस प्रकार की सील अथवा उसका भाग पाया जाता है तो सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी उत्तरदायी होगा।

14.5.7 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या का रिकॉर्ड तैयार करवाएंगे और इसी तरह प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील का रिकॉर्ड रखेंगे।

14.5.8 निर्वाचन आयोग स्ट्रिप सील का एक नमूना प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु जारी करेगा। यह नमूने की स्ट्रिप सील सुरक्षित रखी जाएंगी। स्ट्रिप सील के प्रशिक्षण व प्रदर्शन, जैसी भी स्थिति हो के पश्चात् प्रयोग की गई स्ट्रिप सील को बारीक टुकड़ों में काटकर नष्ट किया जाए।

14.6 वास्तविक मतदान के लिये तैयार ईवीएम :

14.6.1 अब ईवीएम और वीवीपैट सभी तरह से वास्तविक मतदान के उपयोग के लिये तैयार है।

14.6.2 मॉक पोल प्रारम्भ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को मतदान कक्ष में स्थापित करें। जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया है कि मतदान कक्ष पीठासीन अधिकारी की टेबल से पर्याप्त दूरी पर स्थापित की जाए जहां से कन्ट्रोल यूनिट को ढंग से कार्य में लिया जा सके। इण्टर कनेक्टिंग केबल को इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि वह मतदान कक्ष में मतदाताओं को बाधित ना करे। इसे मतदाता लांघें नहीं अथवा उलझें नहीं, लेकिन केबल पूरी लम्बाई में दिखाई भी देती रहें और उसे किसी प्रकार से कपड़े

www.rajteachers.com

से ढककर अथवा टेबल के नीचे छुपाया नहीं जाए। बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को स्थापित करते समय यह स्पष्ट सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से मतदान की गोपनीयता भंग ना हो।

14.7 मॉक पोल के पश्चात् वीवीपैट की पर्चियों की सीलिंग :

14.7.1 उपलब्ध करवाए गये काले लिफाफे में रखने से पूर्व मॉक पोल के उपरांत प्राप्त छपी हुई पर्चियों के पृष्ठ भाग पर मॉक पोल लिखी हुई रबर की मुहर लगाई जाए। तदुपरान्त लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुहर भी लगाएगा।

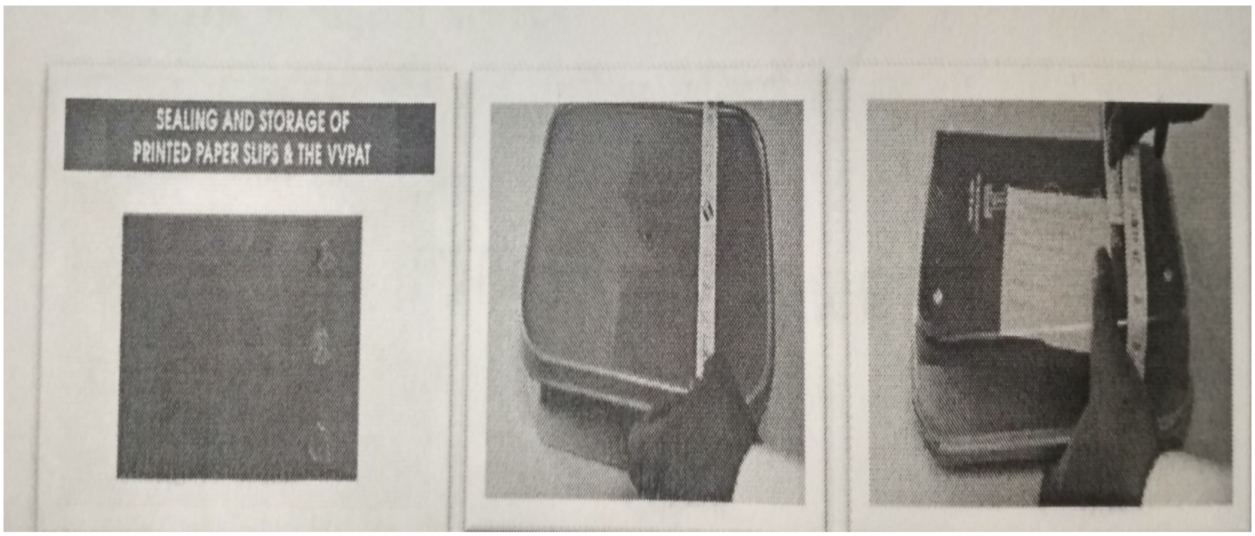

14.7.2 लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता भी अपने हस्ताक्षर करेंगे। लिफाफे पर मॉक पोल की वीवीपैट पर्ची लिखकर मतदान केन्द्र का नाम, मतदान केन्द्र का क्रमांक, विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक के साथ मतदान की तिथि भी अंकित की जाए।

14.7.3 इस लिफाफे को विशेष रूप से उपलब्ध करवाए गये प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से सील किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए की बॉक्स को खोलते समय पिंक पेपर सील को काटे बिना यह बॉक्स नहीं खोला जा सकता हो।

14.7.4 प्लास्टिक के इस बॉक्स के ऊपर मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक, विधानसभा क्षेत्र का नाम व क्रम संख्या के साथ मतदान की तिथि भी अंकित की जाए।

14.7.5 बॉक्स के ऊपर लगाई गई पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिये जाएं तत्पश्चात् इसे मतदान से सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजों के साथ रखा जाए।

www.rajteachers.com

14.8 वास्तविक मतदान से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को धागे एवं एड्रेस टैग की सहायता से सील करनाः

14.8.1 वीवीपैट के निचले भाग में स्थित ड्रॉप बॉक्स को वास्तविक मतदान से पूर्व धागे व एड्रेस टैग से सील किया जाना चाहिए।

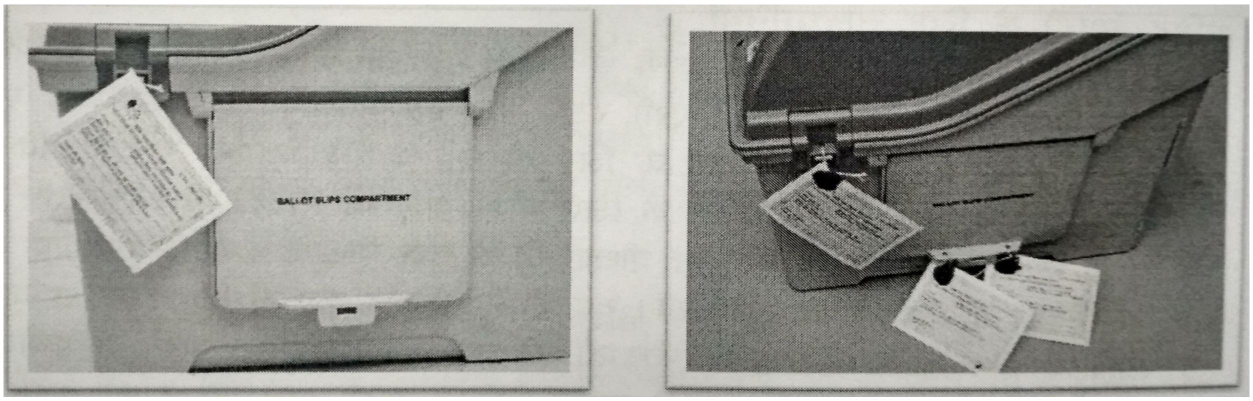

www.rajteachers.com

अध्याय – 15

मतदान का प्रारम्भ

15.1. मतदान का प्रारम्भ

15.1.1. मतदान निर्धारित समय पर प्रारम्भ होना चाहिए। इससे पूर्व सभी प्रारम्भिक गतिविधियाँ पूर्ण हो जानी चाहिए। किसी अप्रत्याशित या आकस्मिक कारण से आप निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है, तो देरी के कारणों का उल्लेख पीठासीन अधिकारी की डायरी में करें। **सुनिश्चित कर लें कि मॉक पोल का परिणाम ईवीएम से क्लियर कर दिया है तथा वीवीपैट में से मॉक पोल की सभी कागज की पर्चियॉ हटा ली गयी है।**

15.2. मत डालने की गोपनीयता के बारे में चेतावनी

15.2.1. मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व आप प्रत्याशियों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं सहित जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो, को मत की गोपनीयता बनाये रखने के कर्त्तव्य एवं इसका उल्लंघन करने पर लगने वाले दण्ड के संबंध में अधिनियम की धारा 128 (अनुलग्नक–1) के प्रावधानों को समझा दें।

15.3. अमिट स्याही हेतु सावधानी

15.3.1. अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को कहा जाये कि इस बात की समुचित सुरक्षा बरती जाये कि अमिट स्याही की शीशी सावधानीपूर्वक इस तरह रखी जाये कि यह झुके नहीं तथा मतदान के दौरान स्याही फैले नही। इसके लिए स्याही रखने के उद्देश्य से दिये गये कप अथवा किसी खाली डिब्बे या किसी चौडे पैंदे के पात्र में थोडी मिट्टी लेकर शीशी को पात्र के मध्य भाग में धीरे धीरे दबाये, जिससे इसकी तीन चौथाई लम्बाई मिट्टी में धंस जायें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्लास्टिक की सलाई जो कॉर्क के साथ बोतल में है, खडी स्थिति में रखी जाए तथा मतदाता की तर्जनी पर चिन्ह लगाने के उद्वेश्य के अतिरिक्त इसे बाहर नहीं निकाला जाऐ। सलाई को सदैव इस प्रकार पकडा जाना चाहिए कि चिन्ह लगाने वाला सिरा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहें। अन्यथा कुछ स्याही सलाई से नीचे गिर सकती है तथा उपयोगकर्त्ता की अंगुलियों को खराब कर सकती है।

15.4. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति

15.4.1. मतदान के प्रारम्भ से पूर्व, प्रतिभागी उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो, को प्रदर्शित करना चाहिए कि निर्वाचक

www.rajteachers.com

नामावली की चिन्हित प्रति (मत देने के लिए अनुमत किये गये निर्वाचकों के नाम को चिन्हित करने हेतु उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की प्रति) पर डाक मतपत्र एवं ई.डी.सी. प्राप्त करने वालों के अतिरिक्त किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं है। निर्वाचक नामावली में से कोई नाम हटाया गया है तो वह पूरक प्रति में प्रदर्शित होगा। पुनः छापी गई निर्वाचक नामावली की मूल प्रति में संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स पर DELETED शब्द अध्यारोपित होगा।

15.5. मतदाताओं का रजिस्टर फार्म 17क

15.5.1. प्रतिभागी उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य सभी व्यक्तियों को यह भी दिखाना है कि मतदाता रजिस्टर (फार्म 17 क) (जिसमें मतदाताओं के संबंध में प्रविष्टियाँ की जानी है) में पहले से किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

15.6. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के प्रवेश के नियम

15.6.1. पुरूष एवं महिला मतदाताओं के लिए अलग–अलग पंक्तियाँ होनी चाहिए। पंक्ति की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति द्वारा एक समय में तीन या चार मतदाताओ को ही मतदान केन्द्र के भीतर भेजना चाहिए या जैसा आप निर्देश देंगे। अन्य मतदाता बाहर की ओर, अन्दर जाने के इन्तजार में पंक्ति में खडे रहेगें। अशक्त मतदाता एवं वे महिला मतदाता जिनके हाथ में बच्चे है, को पंक्ति में खडे अन्य मतदाताओं से प्राथमिकता दी जा सकती है। एक पुरूष मतदाता के प्रवेश के बाद मतदान केन्द्र में दो महिला मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। पुरूष अथवा महिला मतदाताओं की एक से अधिक पंक्ति बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

15.6.2. आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अक्षम मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाए तथा इन्हें अन्य निर्वाचकों के साथ पंक्ति में खडे रह कर इन्तजार नहीं करना पडें। इस उद्धेश्य से यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों हेतु पृथक पंक्ति की व्यवस्था करनी चाहिए।

15.6.3. आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मतदाताओं की व्हील चेयर को मतदान केन्द्र में ले जाने की पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की गई है। यदि आपके मतदान केन्द्र में स्थाई रैम्प नहीं है तो लकडी के अस्थाई रैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए।

15.6.4. आपको वाक् एवं श्रृवण दुर्बलता से ग्रसित मतदाताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए जैसा कि अन्य शारीरिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों के मामलों में रखा जाता है।

www.rajteachers.com

15.7. मतदान केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुमति

15.7.1. आपको मतदान केन्द्र में निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश देना चाहिए :

15.7.1.1. निर्वाचकगण

15.7.1.2. मतदान अधिकारीगण

15.7.1.3. प्रत्येक प्रतिभागी उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा एक समय में, प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता

15.7.1.4. आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों यथा ऐसे व्यक्ति जिनको आयोग ने मतदान केन्द्र में प्रवेश हेतु प्रवेश अनुमति पास जारी किया हो जैसे कि मीडिया कर्मियों को अधिकृत पत्र के साथ जारी किया जाता है।

15.7.1.5. कर्त्तव्यरत लोक सेवक

15.7.1.6. मतदाता के साथ उसकी गोद में बच्चा

15.7.1.7. दृष्टिहीन या अपाहिज मतदाता जो बिना किसी की सहायता के चल नहीं सकते या मत नहीं दे सकते, का एक सहयोगी व्यक्ति तथा

15.7.1.8. बी.एल.ओ. या अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें समय समय पर आप मतदाताओ की पहचान अथवा मतदान में सहयोग के उद्देश्य से अनुमति देते है।

www.rajteachers.com

अध्याय – 16

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सुरक्षा के उपाय

16.1 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए रक्षोपाय के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणायें:–

16.1.1 यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान मशीन (ईवीएम) के प्रदर्शन, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर तथा ग्रीन पेपर सील पर उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर प्राप्त करना और उन्हे ग्रीन पेपर सील के क्रमांक उतारने की अनुमति प्रदान करना, जो स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किये जाने के लिये आवश्यक रक्षोपाय है के सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का सम्यक अनुपालन कर लिया गया है, आपसे मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व अनुलग्नक–5 भाग में विहित घोषणा पढ़कर सुनाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा, मतदान की गोपनीयता बनाये रखने सम्बन्धी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबन्धो को पढ़कर सुनाये जाने के तत्काल पश्चात् किया जाना चाहिये। आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सुनाने के लिये घोषणा जोर से पढ़नी चाहिये और घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिये तथा उस पर ऐसे उम्मीद्वार/मतदान अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने चाहिये जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हो। आपको उन मतदान अभिकर्ताओ के नाम भी रिकार्ड करने चाहिये जो घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करते है।

16.2 नयी मतदान मशीन का उपयोग में लिये जाने के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:–

16.2.1 मतदान के दौरान यदि बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन नयी मतदान मशीन तथा वीवीपैट का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है तो आपसे अनुलग्नक–5 के भाग II में विहित एक ओर घोषणा पढ़ने की भी अपेक्षा की जाती है।

16.2.2 **वास्तविक मतदान के दौरान यदि बैलेट यूनिट (BU) अथवा कन्ट्रोल यूनिट (CU) ठीक से काम नही कर रही है तो पूरी मतदान मशीन जिसमें CU, BU, व वीवीपैट मशीन शामिल है, के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलो में मॉक पोल के लिये नोटा को शामिल करते हुऐ चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीद्वार को एक–एक वोट दिया जाना चाहिये।** मॉक पोल के पश्चात, पीठासीन अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओ की उपस्थिति में CU में परिणाम, वीवीपैट स्लिपों की गिनती तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक उम्मीद्वार के परिणाम का मिलान हो रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा CU से मॉक पोल के सभी आंकड़ो तथा वीवीपैट से पेपर स्लिपों को हटा देना चाहिये तथा वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स मतदान अभिकर्ताओ द्वारा सत्यापित करवाया जाना चाहिये। मॅक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिपो के पीछे

www.rajteachers.com

''मॉक पॉल स्लिप'' लिखी हुई रबड़ की मुहर लगानी चाहिये, तत्पश्चात इन मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिपों को मोटे काले कागज के बने लिफाफे में रखना चाहिये और लिफाफे को पीठासीन अधिकारी की सील द्वारा सील करके बन्द करना चाहिये। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा इस लिफाफे पर हस्ताक्षर करना चाहिये। लिफाफे के ऊपर मतदान केन्द्र की संख्या व नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान की तारीख तथा शब्दो में ''मतदान मशीन (ईवीएम) व वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में मॉक पोल से सम्बन्धित वीवीपैट पेपर स्लिप'' लिखा जाना चाहिये यह लिफाफा मॅक पोल के लिये बनाये गये विशेष प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाना चाहिये और पिंक पेपर सील से डिब्बे को चारों ओर से इस प्रकार सील करना चाहिये कि पिंक पेपर सील को तोडे बिना डिब्बे को खोला नहीं जा सकें। डिब्बे के ऊपर मतदान केन्द्र की संख्या व नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम तथा मतदान की तारीख लिखी जायेगी। पीठासीन अधिकारी व मतदान अभिकर्ताओं को पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिये तथा डिब्बे को चुनाव से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजो के साथ रखना चाहिये। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी को एक और मॉक पोल प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिये तथा कन्ट्रोल यूनिट व वीवीपैट को सील करना चाहिये। वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वीवीपैट का ड्रॅाप बॉक्स पीठासीन अधिकारी की सील लगे एड्रेस टेग द्वारा सील किया गया है।

16.2.3 <u>वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट के प्रतिस्थान के मामले में कोई मॉक पोल नहीं होगा</u> (51 / 8 / वीवीपैट / 2017–EMS Dated 11.01.2018)

16.2.4 मतदान की समाप्ति पर आपको उसी प्रक्रिया से अनुलग्नक–5 के भाग III में एक और घोषणा अभिलिखित करनी चाहिये। घोषणा पृथक पैकट में रखी जायेगी और मतदान की समाप्ति पर रिकार्ड किये गये मतो के लेखा और प्रारूप 17–ग में पेपर सील लेखा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 17

मतदान केन्द्र में और इसके इर्द–गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन

17.1 निष्पक्षता, आवश्यक मर्यादित एवं शालीन आचरण का व्यवहारः

17.1.1 सभी दलों और अभ्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवाद ग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्याय संगतता से विनिश्चय करें। आपका चातुर्य, दृढ़ता और निष्पक्षता विशेषतः शांति भंग के विरूद्व सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान केन्द्र पर किसी और अधिकारी को ऐसा कार्य करना चाहिये जिसका अर्थ निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की संभावनाओ को अग्रसर करना लगाया जाये।

17.1.2 पीठासीन अधिकारी एवं उसके दल के अन्य सदस्य जब कर्तव्य पर हो तो मतदान केन्द्र पर मर्यादित एवं शालीन व्यवहार का आचरण करें। पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य अधिकारी, वीआईपी/सेलीब्रिटी आदि से ना ही हाथ मिलायेगा और ना ही उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवायेगा। यद्यपि प्रत्येक मतदाता के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना आपका कर्तव्य है।

17.2 पक्ष प्रचार पर रोकः

17.2.1 निर्वाचन नियमो के अन्तर्गत मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर पक्ष प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वांरट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (अनुलग्नक–1देखिये) की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।

17.3 अभ्यर्थी निर्वाचन बूथः

17.3.1 मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई भी चुनाव अभ्यर्थी अपना चुनाव बूथ नहीं लगा सकता है। अभ्यर्थी, मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर मतदाताओ को अशासकीय पहचान पर्चियाँ वितरित करने के लिये अपने अभिकर्ताओ और कार्यकर्ताओ के उपयोग के लिये धूप/वर्षा से उन्हे बचाने के लिये उनके सिर के ऊपर एक छत्री या तिरपाल के टुकड़े के साथ एक मैज तथा 2 कुर्सियां उपलब्ध करा सकेगें। ऐसी मैजो के आस–पास भीड़ एकत्रित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। यदि आयोग के पूर्वोक्त अनुदेशो के भंग का कोई दृष्टान्त आपके ध्यान में लाया जाता है तो आपके मतदान केन्द्र के आस–पास कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक ओपचारिक कार्यवाही के लिये मामले की रिपोर्ट करनी है।

www.rajteachers.com

17.4 मतदान केन्द्र में या इसके निकट विच्छृंखल आचरणः

17.4.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 (अनुलग्नक–1 देखिये) में अंतरर्विष्ट अनुलग्नको के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विच्छृंखल तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते है और उसे अभियोजित करवा सकते है। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने एवं ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। तथापि ऐसी शक्तियों को तभी अपनाया जाना चाहिये जब उसे मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन हो जाये। यदि किसी मेगा फोन या लाउड स्पीकर के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित होता हो तो आपको ऐसा उपयोग रोकने के लिये कदम उठाने चाहिये। उक्त धारा, दूरी की कोई सीमा विहित नहीं करती है। यह विनिश्चय करना आप पर छोड़ दिया गया है कि क्या मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों को बाधित करने के लिये यह काफी निकट या काफी तेज है।

17.5 विच्छृंखल व्यक्तियों को हटानाः

17.5.1 कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अवचार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशो की अवज्ञा करता है, आपके आदेशो से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा (धारा 132, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुलग्नक–1 देखिये)

17.6 मतदाताओ के प्रवहण के लिये वाहनो को अवैध भाड़े पर लेनाः

17.6.1 आपके पास मतदाताओ के अवैध प्रवहण को रोकने के लिये कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता को कहे कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133 के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरूद्व निर्वाचन याचिका फाईल करने के आधार के रूप में इस तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाईल की गई किसी शिकायत को उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट जिसे ऐसे मामले में व्यवहार करने की अधिकारिता है, को ऐसी टिप्पणियों के साथ प्रेषित करें, जो आप अपने स्वयं के संप्रेषण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते है। सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की केन्द्र पर विजिट के दौरान भी आप इस घटना की जानकारी उन्हें दे सकते है।

17.7 मतदान केन्द्र से मतदान मशीन का हटाया जाना– अपराधः

17.7.1 कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतदान मशीन को कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को

www.rajteachers.com

करने में जानबूझकर सहायता या दुष्प्रेरण करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या 500 रूपये के तक के जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय है। यह संज्ञेय अपराध है। इस सम्बन्ध में धारा 61–क के स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखा जा सकता है।

17.8 निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कृर्तव्यो का भंगः

17.8.1 आपका ध्यान धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबन्धित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी युक्तियुक्त कारण के बिना अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई भी कार्य करने या किसी भी लोप का दोषी है, तो वह संज्ञेय अपराध होता है।

17.9 मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने का प्रतिबन्धः

17.9.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134–ख के उपबन्धो के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन आयुध अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आस–पास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबन्धो का उल्लघंन करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होने का दोषी है। अपराध संज्ञेय है।

17.10 मतदान केन्द्र के भीतर सेल्यूलर फोन्स, कार्डलेस फोन्स वायरलेस सेट्स आदि का प्रतिबन्धः

17.10.1 आयोग के निर्देशो के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन्स, वायरलेस सेट्स आदि को मतदान केन्द्र के भीतर नहीं ले जा सकता इसकी सख्त मनाही है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान केन्द्र की नेबर हुड(सीमा) कहा गया है।

www.rajteachers.com

अध्याय – 18

चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान, सत्यापन और प्रक्रिया

18.1 निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :

18.1.1 आयोग ने मतदाता की पहचान के लिये दस्तावेजी पहचान कानूनन रूप से आवश्यक की है। मतदाता को अपना फोटो पहचान पत्र (EPIC) अपनी पहचान स्थापित करने के लिये प्रस्तुत करना है। यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित फोटो युक्त वैकल्पिक परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव में इस दिशा में आदेश प्रस्तुत करता है। आयोग के इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं पहचान के लिये प्रभारी चुनाव अधिकारी मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजो का परीक्षण करने के उपरांत मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट कर ले, जैसी भी स्थिति हो तथा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में मतदाता को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगें। आप मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में स्वयं जांच कर संतुष्ट हो जाये। किसी व्यक्ति के दोषी पाये जाने पर आप लिखित में शिकायत के साथ उसे पुलिस में सौप दें।

18.1.2 मतदान के दौरान फर्जी मतदाता बन कर मतदान करने को रोकने हेतु चुनाव आयोग द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्देशित की गई है :

18.1.2.1 मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की अनुपस्थित विस्थापित एवं मृत मतदाताओं की सूची (ASD List) तैयार की जानी चाहिये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये की प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को ASD सूची पृथक से उपलब्ध कर दी गई है।

18.1.2.2 मतदान के दिन ऐसे मतदाता जिनका नाम ASD सूची में है उनको मतदान करने हेतु अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमोदित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी स्वयं इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजो की जांच कर प्रमाणित करेंगे एवं यह सुनिश्चित करगें की उक्त मतदाताओं की प्रविष्टियां मतदान अधिकारी द्वारा मतदान रजिस्टर 17A में सही प्रकार से कर ली गई है।

www.rajteachers.com

18.1.2.3 प्रथम मतदान अधिकारी मतदान करने आये ऐसे मतदाता जिनका नाम ASD सूची में दर्ज है कि जानकारी मतदान अभिकर्ताओ को भी देगें व उनका नाम जोर से पुकारेगें।

18.1.2.4 उक्त मतदाताओं के हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी मतदाता रजिस्टर 17A के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के कॉलम में प्राप्त किया जायेगा। उक्त मतदाता चाहे साक्षर हो तथा हस्ताक्षर कर सकता हो, उसके भी अंगूठे का निशान हस्ताक्षर के साथ किया जायेगा।

18.1.2.5 ऐसे मतदाता जिनका नाम ASD सूची में दर्ज है उनकी घोषणा भी प्रपत्र अनुलग्नक–16 में प्राप्त की जायेगी।

18.1.2.6 पीठासीन अधिकारी उक्त मतदाताओ का रिकार्ड रखेगें एवं मतदान के अंत में इस आशय का प्रमाण पत्र भी (जिसे जांच हेतु 17A फार्म के साथ रखा जायेगा) देगें की ASD सूची में कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान के लिये अनुज्ञात किया गया है।

18.1.2.7 यदि मतदान केन्द्र में विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी हो रही है तो उक्त मतदाताओं की फोटोग्राफी/विडीयोग्राफी की जायेगी एवं रिकार्ड भी रखा जायेगा।

18.1.2.8 उपस्थित माईक्रो आब्जर्वर यह सुनिश्चित करेगें की ASD सूची में दर्ज मतदाताओ के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का बारीकी से पालन हो रहा है तथा इस तथ्य को वह अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज करेगें।

18.1.2.9 पीठासीन अधिकारियों को भी ASD सूची में दर्ज मतदाताओं द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिये।

18.1.2.10 चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रो पर मतदान करने आये विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं (Overseas Voters) की पहचान उनके मूल पासपोर्ट द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिये (464/INST/2014/KPS/dated 4th)

18.1.3 जैसा कि अध्याय 8 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुँचेगा जो कि निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचको की पहचान के लिये जिम्मेदार होगा। मतदान अधिकारी को निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के सन्दर्भ में करना चाहिये।

www.rajteachers.com

18.1.4 <u>यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तो चाहे वो फोटो पहचान पत्र लेकर आये तो भी वह मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा।</u>

18.1.5 राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा मतदान के साथ मतदाताओं को अशासकीय पर्ची दी जाती है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह पर्ची सादा सफेद कागज पर होनी चाहिये ओर उसमें निर्वाचक का नाम, निर्वाचन नामावली में उसकी क्रम संख्या निर्वाचन नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहां उसे अपना मतदान देना है। इस पर्ची में अभ्यर्थियों का नाम और दल का नाम और या उसको आंवटित प्रतीक की प्रतिकृति अन्तर्विष्ट नहीं होना चाहिये। यदि किसी अभ्यर्थी या उसके दल द्वारा जारी की गई कोई पर्ची आयोग के इन अनुदेशों का उल्लंघन करती है और मतदान केन्द्र में लाई जाती है तो ऐसे उल्लंघन को तत्काल बन्द करने के लिये उसे सम्बन्धित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के ध्यान में लाना चाहिये। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची का लाया जाना उस मतदाता की पहचान की गारन्टी नहीं है और न ही उसके द्वारा कोई मतदान अधिकारी अपने कर्तव्य और ऐसे मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं की समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता है।

18.1.6 महिला निर्वाचक विशेषकर पर्दा नशीन (बुर्का पहने) महिलायें अधिक संख्या में होने पर अध्याय 6 में यथा अनुदेशित किसी पृथक कक्ष में उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये किसी महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

18.2 मृत अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली/फर्जी मतदाताओं की सूची :

18.2.1 यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची लायेगें। अभ्यर्थी या उसका दल ऐसी ही सूची आपको भी दे सकते है और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अन्य सामग्री के साथ आपको ASD सूची उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करें जिसका नाम उस सूची में उल्लेखित है तो आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो परिचय पत्र से या अन्य फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजो से (आयोग द्वारा अनुमोदित) कड़ाई से जांच करेगें। ऐसा करना कोई औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जायेगा।

www.rajteachers.com

18.3 चुनौती युक्त मत :

18.3.1 मतदान अभिकर्ता उस व्यक्ति जो स्वयं को विशेष मतदाता होने का दावा करता है कि पहचान को चुनौती 2 रूपये जमा करवा के दे सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगें। जांच में चुनौती सही नही होने पर उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो उस व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उस व्यक्ति को पुलिस को लिखित में शिकायत कर सोंपेगें।

18.4 मतदाता की पहचान को चुनौती :

18.4.1 आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है। स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हकदार है जब तक कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओ द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाये या जब तक कि पीठासीन अधिकारी को स्पष्टतः यह समाधान न हो जाये कि वह एक फर्जी/जाली मतदाता है तब तक सामान्य रूप से यह (उप धारा) की जानी चाहिये कि मतदाता होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य सही ब्यौरा देने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है, यदि कोई चुनौती हो या यदि आपको उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आस पास की परिस्थितियों से कोई भी युक्तियुक्त संदेह हो तो आपको एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिये और इस प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिये।

18.5 चुनौती फीस (चैलेंज फीस)

18.5.1 आपको किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान को कोई चुनौती तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिये जब तक कि चुनौतीकर्ता नकद में 2 रूपये जमा/संदत्त नहीं कर दे। रकम जमा/संदत्त किये जाने के पश्चात अनुलग्नक–8 में विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद देगें। आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रति रूपण के लिये शास्ति के बारे में सावधान कर देगें। निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेगें और उससे पूछेगें की क्या वह वही व्यक्ति है जिसे की उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है। तब चुनौती दिये गये मतो की सूची (प्रारूप–14) मे उसका नाम और पता लिखेगें और उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिये कहेगें। यदि वह ऐसा करने से इन्कार कर दे तो आप उसे मत देने की अनुमति नहीं देगें।

www.rajteachers.com

18.6 संक्षिप्त जांच :

18.6.1 सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेगें कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है असली मतदाता नहीं है जैसाकि वह दावा करता है यदि चुनातीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप चुनौती को अस्वीकार कर देगें। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो आप पश्चात कथित चुनौती के खंडन के लिये मतदाता को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहेगें कि वह सिद्ध करे कि वह वही मतदाता है जिसका कि वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उस मत देने की अनुमति प्रदान कर देगें। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आप यह मान लें कि चुनौती सिद्ध हो गई है। जांच के दौरान आप ग्राम अधिकारी, प्रश्नगत मतदाता के पड़ौसियों ओर उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य अभिनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र है। साक्ष्य लेने के दौरान आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवायेगें। यदि चुनौती सिद्ध हो गई हो तो आप उस व्यक्ति को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप देगें तथा इसके साथ ही आपके मतदान केन्द्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को (अनुलग्नक–6) में एक शिकायत लिख कर देगें।

18.7 चुनौती फीस का लौटाया जाना या उसको जब्त किया जाना :

18.7.1 जांच की समाप्ति के तुरन्त पश्चात उस दशा को छोड़कर जिसमें आपकी यह राय हो कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, प्रत्येक मामले में 2 रूपये की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उससे प्रारूप–14 मतो का सूची के स्तम्भ 10 में प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात लौटा दीजिये। अन्य स्थिति में आप चुनाती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर लीजिये और उसे चुनौतीकर्ता को नहीं लौटाईये तथा प्रारूप–14 के स्तम्भ 10 और रसीद बुक सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाय शब्द ''जब्त'' लिख दिजीयें।

18.8 नामावली लिपिकीय और मुद्रण सम्बन्धी गलतियों की अनदेखी :

www.rajteachers.com

18.8.1 कभी–कभी निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के सम्बन्ध में यथा प्रविष्ट विशिष्टिया उदाहरण के लिये मतदाता की वास्तविक आयु की प्रविष्टि अशुद्व छप जाती है या पुरानी हो जाती है। यदि आप निर्वाचन नामावली में प्रविष्ट अन्य विशिष्टियों के अनुसार अमुक मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में अन्यथा सन्तुष्ट हों तो आपको निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी गलतियों को अनदेखा करना चाहिये। यदि निर्वाचक नामावली एक से अधिक भाषा में तैयार की गई हो और किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में सम्मिलित नहीं किया गया हो और उनका नाम उसी क्षेत्र के लिये अन्य भाषा में तैयार की गई निर्वाचक नामावली में दिया गया हो तो उस व्यक्ति को मत देने के के लिये अनुज्ञात किया जाना चाहिये। ऐसे प्रत्येक निर्वाचक के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्टियां आप स्वयं स्याही से नोट कर दें।

18.9 किसी मतदाता की पात्रता के सम्बन्ध में आपति नहीं उठाई जाये :

18.9.1 जब किसी मतदाता की पहचान आपके समाधान से स्थापित हो जाये तो उसे मत देने का अधिकार हो जाता है। मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्ति के मतदाता होने की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप आपको इस प्रश्न के बारे में किसी प्रकार की जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है कि क्या मतदाता 18 वर्ष से अधिक आयु का है या क्या वह निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है।

18.10 निर्वाचन की अपनी आयु के बारे में घोषणा :

18.10.1 किन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसको आप अर्हक आयु से काफी कम मानते है तो उसके निर्वाचक होने के दावे के बारे में आप उसके नामावली में प्रविष्टि के सन्दर्भ में स्पष्ट तौर पर समाधान कर लें।

18.10.2 यदि आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसके नाम के सम्मिलित किये जाने के तथ्य के बारे में प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट है किन्तु उसको न्यूनतम मतदान आयु से कम मानते है। तो आप उस निर्वाचक से वर्ष की जनवरी से प्रथम दिन को, जिसको निर्वाचन क्षेत्र

www.rajteachers.com

की विद्यमान निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गयी थी, के सन्दर्भ में उसकी आयु के बारे में अनुलग्नक–7 में घोषणा प्राप्त करनी चाहिये। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व आपको मिथ्या घोषणा (धार 31के उद्वरण अनुलग्नक–1 में दिये गये है) करने के लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के दण्ड के उपबन्धों की उसे सूचना देनी चाहिऐ।

18.10.3 आपको उन मतदाताओं जिनसे आपने अनुलग्नक–9 के भाग I में ऐसी घोषणायें प्राप्त की है कि एक सूची भी तैयार करनी चाहिये। आपके द्वारा उन मतदाताओं की उपर्युक्त अनुलग्नक–9 के भाग II में एक सूची भी रखनी चाहिये। जिन्होने उपर्युक्त घोषणा देने से इन्कार कर दिया है और जो अपना मत डाले बिना ही चले गये है। मतदान बन्द होने के पश्चात ऊपर उल्लेखित सूची और घोषणायें एक पृथक लिफाफे में रखी जानी चाहिये।

www.rajteachers.com

अध्याय – 19

मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना

19.1 मतदाता की बांयी तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

19.1.1 प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, यथाशक्य शीघ्र, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा अध्याय 8 के 3.1 पैरा में विहित रीति के अनुसार उसकी बांयी हाथ की तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इन्कार करे या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा।

19.1.2 यदि ऐसा देखने में आये की किसी निर्वाचक ने अपनी उंगली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिये अपनी उंगली पर कोई तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की उंगली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पूर्व उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकडे की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिये। कपड़े का टुकड़ा पीठासीन अधिकारी को दी गई सामग्री में उपलब्ध करवाया जायेगा।

19.1.3 ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बांयी हाथ की तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान 17क मतदाता रजिस्टर मे अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है, ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात मतदान केन्द्र छोडे तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिये पर्याप्त समय मिल जाये।

19.2. नये सिरे से मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग (पुनः मतदान/प्रत्यादिष्ट मतदान)

19.2.1 नये सिरे से मतदान/ पुनः मतदान प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही के लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये और मतदाता के बांये हाथ की मध्यमा के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाये और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये।

www.rajteachers.com

19.3 निर्वाचक की बांयी हाथ की तर्जनी ना होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जानाः

19.3.1 यदि किसी निर्वाचक की बांयी हाथ की तर्जनी ना हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर लगाई जानी चाहिये जो उसके बांये हाथ में हो। यदि उसके बांय हाथ में कोई भी उंगली ना हो तो स्याही उसकी दांये हाथ की तर्जनी पर लगाई जानी चाहिये और यदि उसके दांयी हाथ की तर्जनी भी ना हो तो दाये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुवे उसके दाये हाथ की किसी भी अन्य उंगली पर स्याही लगाई जानी चाहिये। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली ना हो तो स्याही उसके बांये या दांये हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो उसके हो, लगाई जानी चाहिये।

19.4.मतदाताओ के रजिस्टर में मतदाता की मतदाता नामावली संख्या का अभिलेख :

19.4.1 पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई प्रक्रिया से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बांयी हाथ की तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात उसे मतदाताओ के रजिस्टर (प्रारूप–17क) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिये ओर उस रजिस्टर में निर्वाचक का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिये।

19.4.2 ऐसा अभिलेख मतदाताओ के रजिस्टर में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया में रखा जायेगा।

19.4.2.1 मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुवे निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। (सामान्यत मतदाता रजिस्टर में क्रमांक संख्या क्रमशः पूर्व में अंकित होगी) रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में क्रम संख्या 10 तक लिखने की व्यवस्था होगी यदि कॉलम 1 में क्रम संख्या अंकित नहीं है तो मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठो पर पहले से ही ऐसी क्रम संख्या लिख सकता है।

19.4.2.2 उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में द्वितीय मतदान अधिकारी, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात क्रम ंसख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिये यदि प्रथम निर्वाचक का नाम जो मतदान प्रारम्भ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 756 दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओ के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या 1 ओर

www.rajteachers.com

द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 756 लिखेगा इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 138 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 138 लिखेगा। और इस तरह आगे भी।

19.4.2.3 फार्म 17 ए (मतदाता रजिस्टर) के कॉलम 3 में पहचान सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज के अन्तिम चार अंको का उल्लेख किया जाना चाहिये यदि कोई मतदाता पहचान पत्र या शासकीय फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करता है तो उसके संबंधित कॉलम में अक्षर EP(EPICको दर्शाता है) अथवा VS (जो फोटो मतदाता पर्ची को दर्शाता है) का उल्लेख करना ही पर्याप्त है। ईपीक या फोटोयुक्त वोटर स्लिप के नम्बर का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ऐसे मतदाता जो चुनाव आयोग द्वारा अनुप्रमाणित अन्य दस्तावेजो के आधार पर मतदान करते है तो ऐसे मामलो में दस्तावेज के अन्तिम चार अंक लिखना आवश्यक होगा। वह किस प्रकार का दस्तावेज है उसे भी दर्ज करना होगा। (3/4/1D/2014/SBI2 Dated 2 अप्रेल 2014)

19.4.2.4 मतदाता द्वारा अपनी पहचान सुनिश्चित कराने हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अन्तिम चार अंको (EPIC एवं प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के अलावा) का अंकन मतदाता रजिस्टर (फार्म 17 ए) के रिर्माक कॉलम (5) में अंकित किया जायेगा।

19.4.3 ऊपर वर्णित प्रक्रिया किसी निर्वाचक के सम्बन्ध में रजिस्टर के स्तम्भ (1),(2) और (3) भर लेने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ) (4) में उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

19.5 मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :

19.5.1 हस्ताक्षर से अभिप्राय है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना है। किसी साक्षर व्यक्ति से मतदाताओ के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात उसका पूरा नाम या नामों या उपनाम दोनों ही या किसी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नामों के लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जावेगी। **किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर यह होगा की उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात उसका पूरा नाम और उपनाम दोनो हो।** यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक

www.rajteachers.com

साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुवे उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता क्योकि जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है साक्षर व्यक्ति के मामले में अभिप्राय है स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, को अधिप्रमाणन स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिये। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इन्कार कर दे तो उसे पूर्ववर्ती पैरा 4 के अधीन मत डालने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिये।

19.6 मतदाता के अंगूठे का निशान :

19.6.1 यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशा अभिप्राप्त करना चाहिये। यह बात नोट कर ले कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिये रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे का निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

19.6.2 निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 37(4) के अनुरूप अमिट स्याही लगाने के बारे में यदि मतदाता का बांया हाथ का अंगूठा ना हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये। यदि दोनो अंगूठे ना हो तो बांये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुये किसी भी उंगली का निशान लेना चाहियें यदि बांये हाथ में कोई भी उंगली ना हो तो दांये हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुये किसी भी उंगली का निशान लेना चाहिये। यदि उंगलिया ना हो तो उस स्थिति में मतदाता स्वयं अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो जायेगा तो उसे उक्त नियमो के नियम 49ढ़ के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी। ऐसे मामले में मतदाताओ के रजिस्टर पर उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी ली जानी चाहिये ओर इस आशय की टिप्पणी मतदाता रजिस्टर के कॉलम (5) में की जानी चाहिये।

19.6.3 यह आवश्यक है कि मतदाताओ के रजिस्टर पर अंगूठे की छाप स्पष्ट होनी चाहिये स्टांप पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिये कि यह केवल धुंधला सा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये ओर ना ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिये की यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।

www.rajteachers.com

19.6.4 अंगूठे का निशान लेने के पश्चात निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिये।

19.7 अन्धे या शिथिलांग या कुष्ठ रोगी मतदाताओ द्वारा मतदाताओ के रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

किसी अन्धे मतदाता या कुष्ठ रोग से पीडित किसी मतदाता के अंगूठे का निशान मतदाताओ के रजिस्टर पर अभिप्राप्त किया जाना चाहिये यदि ऐसा मतदाता साक्षर है तो उसे अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा। शिथिलांग मतदाता के मामले में जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ले सकता हो तो उस स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा। उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के सम्बन्ध में ऐसी प्रविष्टि के सामने एक नोट लिखा जाना चाहिय।

19.8 मतदाता को मतदाता पर्ची का जारी किया जाना :

19.8.1 किसी मतदाता की बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओ के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिये एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्रारूप में तैयार करेगा।

मतदाता पर्ची

मतदाताओ के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या.....................................
...

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या...

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर...

19.8.2 ये मतदाता पर्चियां रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किसी पोस्टकार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित कराई जायेगी और आपके मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुवे 100 पर्चियां ओर/या 50 पर्चियों का स्टिच किया हुआ प्रत्येक बण्डल मतदान सामग्री की किसी मद के रूप में आपको प्रदायित किये जायेगे।

www.rajteachers.com

19.8.3 उपर्युक्त पैरा 19.8.1 के अधीन प्रत्येक मतदाता के सम्बन्ध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियां उसके द्वारा उस मतदाता को परिदत्त की जायेगी और मतदाता को यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी जो मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी हो के पास जाने के लिये निर्देशित किया जायेगा।

19.8.4 मतदाताओ से प्राप्त इन मतदाता पर्चियो को क्रम अनुसार लगाया जायेगा और मतदान समाप्ति के पश्चात एक पृथक लिफाफे में रखा जायेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 20

मत डालना और मतदान प्रक्रिया

20.1.1 मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गई मतदाता पर्ची के साथ आपके या यथास्थिति मतदान मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकरी के पास आयेगा वैसे ही उसे मतदाता पर्ची के आधार पर ही मत डालने की अनुमति दी जायेगी।

20.1.2 यह अत्यन्त आवश्यक है कि मतदाता मतदान कक्ष में जाकर मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड कराये जिस क्रम में वे मतदाताओ के रजिस्टर में दर्ज किये गये है। आपको या कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को मतदान पर्ची में उल्लेखित संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देने के लिये अनुज्ञात करना चाहिये।

20.1.3 यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अकल्पित या अपरिहार्य कारण से किसी मतदाता के बारे में ऐसे निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव ना हो तो वही क्रम संख्या जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक टिप्पणी, मतदाताओ के रजिस्टर के अभ्यंकित स्तम्भ में सम्बन्धित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चात्वर्ती मतदाता जिसका क्रम उसके कारण से उलट –पुलट हो गया है के सम्बन्ध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिये।

20.2 मत डालने के लिये मतदाता को अनुमति देना :

20.2.1 जैसे ही निर्वाचक मतदाता पर्ची के साथ आपके या यथास्थिति कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आये तो मतदाता पर्ची उससे ले ली जायेगी ओर उसे मत डालने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

20.2.2 निर्वाचको से संग्रहित समस्त मतदाता पर्चियां सावधानी पूर्वक संरक्षित की जायेगी और मतदान के अन्त में एक पृथक कवर में रखी जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी उस प्रयोजन के लिये एक विशेष कवर उपलब्ध करवायेगा जो अध्याय 32 में निर्दिष्ट रीति में सील किया जायेगा ओर सुरक्षित रखा जायेगा।

www.rajteachers.com

20.2.3 मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहित कर लेने के पश्चात मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी को आप द्वारा/नियन्त्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गई है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे की एक स्पष्ट अमिट चिन्ह बने।

20.2.4 तब मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जाने के लिये निर्देशित किया जायेगा।

20.3 मतदान प्रक्रिया :

20.3.1 मतदाता को अपना मत रिकार्ड कर सके इस हेतु मतदान कक्ष में रखी बैलेट यूनिट/यूनिटो को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिये नियन्त्रण यूनिट का ''बैलेट'' बटन आपके द्वारा/उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा। बैलेट बटन दबाये जाने पर कन्ट्रोल यूनिट की ''बिजी'' बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट की रेडी बत्ती हरी हो जायेगी। इससे यह ज्ञात होगा की वोटिंग मशीन मतदान के लिये तैयार है।

20.3.2 निर्वाचक, मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट पर अपनी पंसद के अभ्यर्थी के नाम, प्रतीक और फोटो के सामने उपलब्ध नीले बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा बैलेट यूनिट पर उस अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक और फोटो के सामने उपलब्ध बत्ती लाल होना शुरू हो जायेगी। और बैलेट यूनिट की हरी बत्ती बुझ जायेगी। वीवीपैट कागज की एक छोटी पर्ची मुद्रित करेगी जिस पर उस उम्मीदवार का नाम प्रतीक एव ंक्रम संख्या होगी जिसे मतदाता द्वारा वोट दिया गया है। जो वीवीपैट की वीन्डो मे 7 सैकण्ड तक दिखाई देगी। इसके बाद मुद्रित पेपर पर्ची स्वतः ही वीवीपैट के सील बन्द ड्रॉप बॉक्स में कट कर गिर जायेगा। कन्ट्रोल यूनिट से बाहर आने वाली बीप ध्वनी भी सुनाई देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात बीप ध्वनि ओर बैलेट यूनिट पर केन्डीडेट की लैम्प की लाल बत्ती ओर कन्ट्रोल यूनिट की बिजी लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।

20.3.3 अगर मतदान के समय बैलेट यूनिट में उम्मीदवार लैम्प के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वीवीपैट के साथ ईवीएम मशीन को तुरन्त बदला जाना चाहिये तथा इस मामले की सूचना आयोग को देनी चाहिये।

www.rajteachers.com

20.3.4 ये दृश्य ओर श्रव्य संकेत इस बात के घोतक है कि मतदान कक्ष में मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिये और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिये।

20.3.5 उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक समय दोहराई जायेगी जब अगले मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिये अनुज्ञात किया जाना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये की मतदान कक्ष में मत डालने के लिये एक समय में केवल एक ही मतदाता जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये की कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाये।

20.3.6 यदि नियम 49 एम.ए. के तहत अपना मत दर्ज कराने वाला मतदाता यह आरोप लगाता है कि वीवीपैट द्वारा मुद्रित पेपर पर्ची में जिस अभ्यर्थी को उसने मत दिया है उससे दूसरे/अन्य अभ्यर्थी का नाम तथा प्रतीक मुद्रित हुआ है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से जिसने आरोप लगाया है, झूठी घोषणा करने के परिणामो की चेतावनी देगें एवं उसके बाद एक लिखित घोषणा (अनुलग्नक–15) प्राप्त करेगें। यदि मतदाता उप धारा (1) में निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है तो पीठासीन अधिकारी फार्म 17 ए में उस मतदाता से सम्बन्धित दूसरी प्रविष्टि करेगें ओर मतदाता को अपनी तथा मतदान कक्ष में उपस्थित अभ्यार्थियों/मतदान अभिकर्ताओ की उपस्थिति में वोटिंग मशीन में एक ''टेस्ट वोट'' (प्रशिक्षण मत) रिकार्ड करने की अनुमति प्रदान करेगे एवं वीवीपैट से मुद्रित पेपर पर्ची का निरीक्षण करेगे। यदि आरोप सही साबित हुआ तो पीठासीन अधिकारी मतदान मशीन में मतदान बन्द करवा देगे तथा तत्काल तथ्यो की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को करेगें व उनके द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार कार्य करेगें।

20.3.7 यदि आरोप गलत/झूठा पाया जाता है तो उपधारा (1) के तहत मुद्रित पर्ची का मिलान (उपधारा 2) मतदाता द्वारा डाले गये परीक्षण मत से हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से सम्बन्धित फार्म 17 ए की दूसरी प्रविष्टि में क्रम संख्या ओर उम्मीदवार का नाम बताते हुये जिसके पक्ष में मत गया है, टिप्पणी करेगें एवं मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान उस टिप्पणी के लिये प्राप्त करेगे। तथा उक्त परीक्षण मत हेतु फार्म 17 सी के भाग 1 के आयटम 5 में आवश्यक प्रवष्टियां करेगें।

www.rajteachers.com

20.4 डाले गये मतो की संख्या का समय–समय पर मिलान करना :

20.4.1 किसी भी समय यदि उस समय तक डाले गये मतो की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो कन्ट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाया जाना चाहिये। तब कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पेनल पर उस समय तक डाले गये कुल मतो की संख्या दर्शायेगा। ऐसा कालिक रूप से किया जाना चाहिये ओर उसका मिलान मतदाता के रजिस्टर में दर्शितानुसार उस समय तक मत देने के लिये अनुज्ञात मतदाताओ की संख्या से करना चाहिये।

20.4.2 पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक 2 घन्टे के अन्तराल में किसी भी समय डाले गये मतों की संख्या अभिनिश्चित करनी चाहिये ओर उसका मिलान करना चाहिये तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के सम्बन्धित स्तम्भ में डाले गये मतो की संख्या अभिलिखित करनी चाहिये। टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिये ''बिजी'' बत्ती चालू ना हो अर्थात केवल मत देने के लिये अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात ओर अगले निर्वाचक को बैलेट बटन दबाकर मत देने के लिये अनुज्ञात करने के पूर्व अन्यथा ''डिस्पले'' पेनल पर डाले गये मतो की सही संख्या नहीं दिखेगी।

20.5 मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :

20.5.1 जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई संदेह हो सकता है या उसके पास यह संदेह करने का कारण हो सकता है कि प्रदायुक्त मतदान कक्ष में रखी गई बैलेट यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई मतदाता जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है। बैलेट यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा प्रतीक नाम/बैलेट बटन पर कागज, टेप आदि चिपकाकर हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रूका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलो में नियम 49 के अधीन ऐसे मतदान कक्ष में प्रवेश करने ओर ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो वह यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे कि बैलेट यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेडछाड नहीं की गई है। या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है और मतदान निर्बाध गति से ओर व्यवस्थित रूप से चल रहा है। **यह ध्यान रखें की मतदान कक्ष में प्रवेश अभ्यार्थियों एवं अभिकर्ताओ की उपस्थिति में करें।**

www.rajteachers.com

20.5.2 वैसे पीठासीन अधिकारी को किसी अशिक्षित मतदाता को इलेक्ट्रोनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है समझाने के लिये मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिये। जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह एक प्रिन्टेड मतपत्र कार्ड बोर्ड पर पेस्ट कर पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराकर अन्य मतदान सामग्रियों के साथ पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर ईवीएम मशीन का उपयोग समझा सकता है। ''बैलेट यूनिट मॉडल'' पर ''डमीनाम'' एवं''प्रतीक'' जो कि उपयोग में ना हो, ही अंकित होना चाहिये वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग ना हो। बत्ती के रंग ''नीला'' ''हरा'' एवं ''लाल'' स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें।

www.rajteachers.com

अध्याय – 21

मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

21.1 मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन

21.1.1 प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान की अनुमति दी गयी है से यह आशा की जाती है कि वह मतदान केंद्र पर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा/रखेगी । उसे अध्याय 20 में वर्णित मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा।

21.2 मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार

21.2.1 आपके द्वारा चेतावनी दिये जाने के उपरांत भी यदि कोई मतदाता चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत आप अथवा आपके निर्देशन में आपका मतदान अधिकारी उसे मतदान करने से रोक देंगे। यदि ऐसे मतदाता को मतदाता पर्ची जारी की जा चुकी है तो उस पर्ची को वापस ले कर रद्द कर दिया जायेगा ।

21.2.2 मतदान प्रक्रिया को भंग करने पर जब किसी मतदाता को मत डालने से रोका जाता है तो आपके द्वारा मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17क) में ऐसे मतदाता के कॉलम के समक्ष यह टिप्पणी अंकित की जायेगी – "मतदान प्रक्रिया भंग करने पर मतदान से रोका गया"। उस टिप्पणी के नीचे आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। हालाँकि, मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस मतदाता अथवा उसके बाद के मतदाता की क्रम संख्या में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं होगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 22

दृष्टिबाधित तथा अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

22.1 ऐसे अशक्त मतदाता जो ईवीएम की बैलट यूनिट पर अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबा कर मतदान करने में सक्षम नहीं हैं को मतदान केंद्र पर अपने सहायक को केवल मतदान प्रकोष्ठ तक ही ले जाने की अनुमति होगी, उसके भीतर नहीं । यह उन मामलों में लागू होगा जहाँ शारीरिक अशक्तता इस प्रकार की हो कि मतदाता को केवल चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो, मतदान करने में नहीं । ऐसे मामलों में पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेना होगा ।

22.2 यदि आप संतुष्ट हैं कि मतदाता दृष्टिहीनता के कारण बैलट यूनिट में लगी प्रत्याशी सूची में अंकित चुनाव चिह्न को पहचानने में असमर्थ है अथवा किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण बिना सहायता के बैलट यूनिट पर उपयुक्त बटन दबा कर अपना मत दर्ज करने में असमर्थ है तो आप नियम 49एन के अंतर्गत उस मतदाता को उसकी पसंदानुसार मतदान करने के लिए उसके सहायक, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, को मतदान प्रकोष्ठ के भीतर ले जाने की अनुमति देंगे ।

22.3 किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतदान केंद्र पर एक ही दिन में एक से अधिक मतदाताओं का सहायक नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

22.4 नियम 49एन के उप–नियम (1) की शर्तानुसार एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाताओं के सहायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। मतदान स्टाफ को इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहायता हेतु अमिट स्याही लगाने का नियम सहायक के लिए भी लागू होगा। सहायक की दायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेगी। ऐसे मामलों में प्रचलित मानदंड के अनुसार मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जायेगी।

22.5 किसी मतदाता को अपने सहायक को मतदान प्रकोष्ठ के भीतर ले जाने की अनुमति देने से पहले सहायक की दायीं तर्जनी की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उस पर पहले से ही अमिट स्याही न लगी हुई हो । यदि जांच में पहले से ही स्याही लगी हुई पायी जाती है तो नियम 49एन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को मतदाता का सहायक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

22.6 किसी भी व्यक्ति को किसी मतदाता के सहायक के रूप में अनुमति देने से पूर्व उस से यह घोषणा करवायी जायेगी कि वह मतदाता की ओर से डाले गये वोट की गोपनीयता बनाये रखेगा/रखेगी और साथ ही उसे यह घोषणा भी करनी होगी कि उस दिन वह

www.rajteachers.com

पहले से ही किसी भी अन्य मतदाता का किसी भी मतदान केंद्र पर सहायक नहीं बना/बनी है । सहायक से यह घोषणा, आप इस उद्देश के लिए आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म में प्राप्त करेंगे । अनुलग्नक–10 देखें ।

22.7 नियम 49एन के उप–नियम के अनुसार पीठासीन अधिकारी फॉर्म 14क में उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखेगा जिन्होंने सहायक की मदद से मतदान किया। इस रिकॉर्ड में उन समस्त मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए जिनमें मतदाताओं को मतदान करने में सहायता के लिए सहायक को मतदान प्रकोष्ठ में ले जाने की अनुमति दी गयी। ऐसे मामले जहाँ मतदाता केवल चलने–फिरने में सहायता के लिए सहायक को मतदान केंद्र पर लाता है परन्तु उसे मतदान प्रकोष्ठ के भीतर नहीं ले जाता है, फॉर्म 14क में दर्ज नहीं किये जायेंगे ।

22.8 पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड फॉर्म 14क में रखेगा। दृष्टिबाधित एवं अशक्त मतदाताओं का यह रिकॉर्ड (फॉर्म 14क) लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर मोटे अक्षरों में "असंवैधानिक लिफाफे" अंकित होगा। इसे मतदान के पश्चात् संग्रहण केंद्र पर जमा किया जायेगा।

22.9 आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपके मतदान स्टॉफ का कोई भी कार्मिक दृष्टिबाधित मतदाता के सहायक के रूप में उसकी ओर से वोट नहीं डाले।

22.10 सुनिश्चित करें कि अशक्त/दृष्टिबाधित मतदाता की मतदान में सहायता करने के तुरंत पश्चात् सहायक मतदान केंद्र से बाहर चला जाये ।

www.rajteachers.com

अध्याय – 23

मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता

23.1 यदि कोई मतदाता जिसका मतदाता सूची क्रमांक मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17क) में विधिवत दर्ज कर लिया गया है और उसने रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं अथवा अंगूठे का निशान लगा दिया है, मत नहीं देने का विनिश्चय करता है तो उसे मतदान के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

23.2 ऐसी स्थिति में आप मतदाता रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि के सामने टिप्पणी अंकित करेंगेः 'मत डालने से इंकार किया'। उस टिप्पणी के नीचे आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। यदि कोई मतदाता फॉर्म 17क में हस्ताक्षर करने के पश्चात् मतदान नहीं करना चाहता है तो फॉर्म 17ग के भाग–1 में मद–3 में नियम 49–0 के अधीन 'वोट डाले बिना चला गया' अथवा 'वोट डालने से इंकार किया' अंकित करेंगे।

23.3 ऐसी टिप्पणी के समक्ष मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान भी लगवाया जायेगा।

23.4 हालाँकि, ऐसी स्थिति में मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस मतदाता अथवा उसके बाद के मतदाता की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

23.5 मतदान के लिए बैलट यूनिट को तैयार करने के लिए यदि कण्ट्रोल यूनिट पर "बैलट" बटन दबा दिया गया है परन्तु मतदाता वोट डालने से इंकार करता है तो आप अथवा तृतीय मतदान अधिकारी जो कण्ट्रोल यूनिट का प्रभारी है फॉर्म 17क में उपर्युक्त बिंदु 23.2 के अनुसार आवश्यक टिप्पणी करते हुए अगले मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जा कर वोट डालने को कहेंतो।

23.6 यदि अंतिम मतदाता के लिए कण्ट्रोल यूनिट पर "बैलट" बटन दबा दिया गया हो परन्तु वह वोट डालने से इंकार कर दे तो आप अथवा तृतीय मतदान अधिकारी जो कण्ट्रोल यूनिट का प्रभारी है, कण्ट्रोल यूनिट के पीछे की ओर दिया पॉवर बटन दबा कर कण्ट्रोल यूनिट को 'ऑफ' कर देगा और वीवीपैट को कण्ट्रोल यूनिट से पृथक कर देगा । वीवीपैट को कण्ट्रोल यूनिट से पृथक करने के पश्चात् पॉवर बटन को पुनः 'ऑन' किया जायेगा । अब बिजी लैंप बंद हो जायेगा और 'क्लोज' बटन को दबा कर मतदान बंद किया जा सकेगा । यदि इस प्रकार की परिस्थिति में इस पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है तो 'क्लोज' बटन काम नहीं करेगा और कण्ट्रोल यूनिट को बंद किये बिना परिणाम प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि 'रिजल्ट' बटन तभी काम करता है जब 'क्लोज' बटन दबा दिया गया हो ।

www.rajteachers.com

अध्याय – 24

चुनाव ड्यूटी में लगे लोकसेवकों द्वारा मतदान

24.1 नीतिगत रूप से, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को उस विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में नहीं लगाया जायेगा जहाँ वह पदस्थापित है अथवा जहाँ वह निवास करता है अथवा जो उसकी गृह विधानसभा है। निर्वाचन कार्य में नियुक्त सभी लोकसेवकों के पास अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प है। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा।

24.2 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का आदेश दो प्रतियों में जारी करेंगे। इस आदेश के साथ वे आपको पर्याप्त संख्या में फॉर्म 12 भी उपलब्ध करवायेंगे ताकि आप एवं आपके दल के मतदान अधिकारी डाक मतपत्र के लिए आवेदन कर सकें।

24.3 आपको फॉर्म 12 भर कर आपके आदेश की प्रति के साथ तुरंत रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। फॉर्म 12 को मतदान स्टाफ के लिए आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान भी जमा करवाया जा सकता है। मतदान स्टाफ को डाक मतपत्र जारी हो जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी आपके प्रयोग किये हुए डाक मतपत्रों को प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही जमा करवाने की व्यवस्था करवायेंगे ताकि आपको मतपत्रों को डाक से न भेजना पड़े। प्रशिक्षण के दौरान आपको डाक मतपत्र से मतदान करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किये जायेंगे। हालाँकि, कुछ मामलों निर्वाचन कार्य में महिला कार्मिकों को उनकी गृह विधानसभा (अर्थात, जहाँ उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है) में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें म्क्ब (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र) जारी किये जायेंगे जिनकी सहायता से वे उन मतदान केन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगी जहाँ उनको निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त किया गया होगा । किसी भी कारणवश EDC (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र) जारी होने तथा उनके मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में उनके नाम के समक्ष EDC अंकित कर दिये जाने के पश्चात् यदि उनकी निर्वाचन ड्यूटी/रिजर्व (आरक्षित) ड्यूटी रद्द हो जाती है तो उन्हें उनके मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जायेगा । ऐसे व्यक्ति चाहे वे निर्वाचन अधिकारी हों अथवा निर्वाचन कार्य में लगे लोकसेवक हों जिन्हें EDC जारी किया गया हो किसी भी मतदान केंद्र – जिसमें वह केंद्र भी शामिल है जहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी – पर अपना वोट डाल सकेंगे सिवाय उस मतदान केंद्र के जहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम है ।

www.rajteachers.com

24.4 इसी प्रकार हो सकता है कि आपके पास इतना समय न बचा हो कि आप गणना से पहले अपना मत दर्ज कर के उसे रिटर्निंग ऑफिस में जमा कर सकें। निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र से वोट डालने का आवेदन विधि अनुसार मतदान दिवस अथवा विधानसभा में मतदान के प्रथम दिवस से कम से कम सात दिन अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकृत इससे कम अवधि पूर्व करना आवश्यक है ।

www.rajteachers.com

अध्याय – 25

प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) द्वारा मतदान

25.1 कुछ श्रेणियों के सेवारत मतदाताओं (सर्विस वोटर) को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गयी है। प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले सेवारत मतदाताओं को "वर्गीकृत सेवारत मतदाता" (CSV) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई वर्गीकृत सेवारत मतदाता हैं जिनके प्रतिनिधि द्वारा वोट डाला जाना है तो रिटर्निंग ऑफिसर आपको उन मतदाताओं की सूची उपलब्ध करवायेंगे। CSV की सूची को आपके मतदान केंद्र की चिन्हित मतदाता सूची का हिस्सा माना जायेगा ।

25.2 मतदान केंद्र पर CSV का प्रतिनिधि अन्य मतदाताओं की भांति ही मतदान करेगा। अन्य सामान्य मतदाताओं की भांति पहचान सुनिश्चित करने आदि की प्रक्रिया प्रतिनिधि के लिए भी लागू होगी। हालाँकि, यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि अमिट स्याही प्रतिनिधि के बायें हाथ की मध्यमा (बीच की उंगली) पर लगायी जायेगी। प्रतिनिधि को अपने नाम से वोट डालने – यदि वह उस विधानसभा का रजिस्टर्ड मतदाता है – के अतिरिक्त CSV के प्रतिनिधि के रूप में वोट डालने का अधिकार होगा ।

25.3 मतदाता प्रतिनिधियों के मामले में, मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17क) के दूसरे कॉलम में वह क्रमांक अंकित किया जायेगा जो आपके मतदान केंद्र की CSV उप–सूची में दिया गया है। हालाँकि, उस क्रमांक को मुख्य मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के क्रमांक से अलग रखने के लिए क्रमांक के आगे कोष्ठक में 'PV' (प्रॉक्सी वोटर) लिखा जाना चाहिए । उदहारण के लिए, CSV उप–सूची में क्रमांक 1 पर दिये गये प्रॉक्सी वोटर के लिए (फॉर्म 17क) के दूसरे कॉलम में क्रमांकः '1 (PV)', क्रमांक 5 पर दिये गये प्रॉक्सी वोटर के लिए '5 (PV)'..... दर्ज किया जायेगा ।

www.rajteachers.com

अध्याय – 26

निविदत्त मत

26.1 निविदत्त मत

26.1.1–ऐसा हो सकता हैं, कि कोई व्यक्ति उपस्थित होकर यह कहता हैं कि वह अमुक मतदाता हैं, मत देने के लिये मतदान पर उस समय आये जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो आप संबंधित मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान करेंगे। ऐसे मामले में आप उससे ऐसे प्रश्न पूछे जिससे आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिये आवश्यक समझते हो, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता हैं तो आप संबंधित निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे न कि मतदान मशीन द्वारा। इस प्रकार के मत को "निविदत्त मत" कहा जाता हैं।

26.2 निविदत्त मतपत्र की डिजाइन :

26.2.1 नियम 39 पी के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया हैं कि निविदत्त मतपत्र, मतपत्र की डिजाइन का ही होगा, जो मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के बेलेट यूनिट पर प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

26.2.2 रिटर्निंग आफिसर इसलिए प्रत्येक मतदान केन्द्र को ऐसे बीस मतपत्र उपलब्ध करायेगा जो उसने मतदान मशीनों की बैलेट यूनिटों में उपयोग के लिए निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए मुद्रित कराये हैं। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केन्द्र को कोई अतिरिक्त मतपत्र का प्रदाय करना आवश्यक हो जाये अर्थात यदि निविदत्त मत 20 से अधिक हो तो उस मतदान केन्द्र के प्रभारी, सेक्टर/जोनल अधिकारी के माध्यम से, मांगे जाने पर संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदाय करने के लिए उनका इन्तजाम किया जायेगा।

26.2.3 जिस मतदाता ने खुद को आपके मतदान केन्द्र में असली मतदाता के रूप में प्रस्तुत किया हैं उसे निविदत्त मतपत्र सौपने से पहले आप इन मतपत्रों के पीछे अपने स्वयं के हाथ से शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेंगे यदि ये शब्द वहां से पहले से ही स्टाम्पित नहीं हो।

www.rajteachers.com

26.3 निविदत्त मतपत्रों का लेखा :

26.3– आप प्रारूप 17 ग के भाग 1 की मद संख्या 8 में (I) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिये प्राप्त किये गये, (II) निर्वाचकों को उस रूप में जारी किये गये, और (III) अप्रयुक्त और लौटाये गये। समस्त मतपत्रों का सही लेखा रखेंगे।

26.4 उन मतदाताओं का रिकार्ड जिन्हे निविदत्त मतपत्र जारी किये गये :

26.4– आप उन निर्वाचकों का पूरा रिकार्ड रखेंगे जिन्हे प्रारूप 17 ख में निविदत्त मतपत्र जारी किये गये हैं। आप निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने के पूर्व उस प्रारूप के स्तम्भ (5) में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का नि ाान भी अभिप्राप्त करेंगे।

26.5– निविदत्त मतपत्र पर मत रिकार्ड करना :

26.5.1 मतदाता को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरोक्रास माक्र रबड की स्टेम्प भी दी जायेगी। यह मुहर वैसी ही हैं जो परम्परागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में ली जाती रही हैं और यह स्टेम्प मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री की एक मद के रूप में दी जायेगी।

26.5.2 निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित मतदाता, मतदाता कक्ष में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसे वह मत देने का आशय रखता हैं एरोक्रास माक्र रबड़ की मुहर से क्रास करके अपने मत को चिन्हित करेगा।

26.5.3 तब मतदाता निविदत्त मतपत्र को मोड़ेगा और मतदान कक्ष से बाहर आने के पश्चात् आपको सौंप देगा।

26.5.4 आप समस्त निविदत्त मतपत्र और उस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये कवर में प्रारूप 17 ख में की सूची रखेंगे। मतदान सम्पन्न होने पर कवर को सील कर देंगे।

26.5.5 यदि अंधेपन या भाारीरिक विकलांगता के कारण ऐसा मतदाता बिना सहायता के अपना मत रिकार्ड करने में समर्थ नहीं हो तो पीठासीन अधिकारी, अध्ययाय–22 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपने साथ एक साथी ले जाने की अनुमति देगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 27

बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना

27.1 बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :

27.1.1– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 (1) के अधीन किसी मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से :–

27.1.1.1 किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भारी हिमपात, तीक्ष्ण तूफान और इसी प्रकार के अन्य, या

27.1.1.2 आवश्यक मतदान सामग्री जैसे मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली,की अधिप्रमाणित प्रति और इसी तरह की अन्य सामग्री का प्राप्त न होना, खो जाना या नष्ट हो जाना, या

27.1.1.3 मतदान केन्द्र पर शांतिभंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये, या

27.1.1.4 मतदान दल के रास्ते में बाधा या गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल, मतदान केन्द्र पर नहीं पहुचने, या

27.1.1.5 किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से

मतदान को स्थगित करने के लिये सशक्त हैं।

27.1.2 यदि बलवा हो जाये या खुले रूप में हिंसा का कोई प्रयास किया जाये तो उस पर नियंत्रण पाये जाने के लिये पुलिस बल का उपयोग करें। यथापि, यदि उसे नियंत्रण ना किया जा सके और मतदान को जारी रखना असंभव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान करना असंभव हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी मतदान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। थोडी देर के लिये वर्षा की बौछारें या आंधी आना मतदान को स्थगित करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं होगा। मतदान स्थगित करने को जो विशेषाधिकार आपको दिया गया हैं उसका प्रयोग आप बहुत कम और उन्ही मामलों में करें जहां मतदान करवाना वस्तुतः असंभव हो गया हैं। आयोग ने यह निश्चिय किया हैं कि मतदान का स्थगन उन मतदान केन्द्रों पर हो सकता हैं जहां मतदान के लिये नियत समय से प्रथम दो घटों में मतदान शुरू नहीं हो पाया हैं।

www.rajteachers.com

27.1.3 मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग आफिसर को सम्पूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहां कही मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दे कि मतदान उस दिन होगा जो बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

27.1.4 आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीनों की दोनो यूनिटों एवं वीवीपैट और समस्त निर्वाचन पत्रों को ऐसे सील कर दे तथा सुरक्षित रख दे जैसे मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हों।

27.2– स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना :

27.2.1 जिस मतदान केन्द्र के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 की उपधारा 1 के तहत मतदान स्थगित कर दिया गया था, वहां निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तिथि एवं समय पर मतदान पुनः उसी स्थिति से प्रारंभ होगा जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोडा गया था अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान से पूर्व मतदान नहीं किया हैं उन्हे ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निंग आफिसर, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और प्रारूप 17 क में मतदाताओं का रजिस्टर से युक्त मुहर बंद पैकेट जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा एक नई मतदान मशीन, उपलब्ध करवायेगा।

27.2.2 स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर से युक्त मुहर बंद पैकेट, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए। और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।

27.2.3 नियम 28 और 49 ए से 49 वी तक के उपबंध, किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होगें जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।

27.2.4 जहां मतदान दल के नहीं पहुॅचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारंभ नहीं किया जा सका हो वहां ऊपर उल्लेखित नियमों के उपबंध प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होगें जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

www.rajteachers.com

27.3– मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना :

27.3.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 और 58 क के अधीन निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र के पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये मतदान का निर्देश देने के लिये सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर –

27.3.1.1कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रुप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या

27.3.1.2कोई भी मतदान मशीन दुर्घटना या साशय नष्ट हो गयी हो या खो गयी हो या क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें गड़बड़ कर दी गई हो और उस मतदान केन्द्र पर के मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या

27.3.1.3 किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

27.3.1.4प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमितता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने की सम्भावना हो, या

27.3.1.5बूथ पर कब्जा हो गया हो (उक्त अधिनियम की धारा 135 क में यथा–परिभाषित)।

27.3.2 यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र पर घटित होती हैं तो आपको पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग आफिसर को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सके।

27.3.3 यदि निर्वाचन आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी मतदान केन्द्र पर पुर्नमतदान कराये जाने का निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसा मूल मतदान हुआ है। आपको इस संबंध में निर्देश रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त होगें।

27.3.4 ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक, पुर्नमतदान पर पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान के समय लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये मतदान के समय ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। आयोग के निर्देशानुसार पुर्नमतदान के समय अमिट स्याही के चिन्ह मतदाता के बांये हाथ की मध्य अंगुली पर लगाया जाना चाहिए ताकि पूर्व के मूल मतदान के समय अमिट स्याही चिन्हो से भेद किया जा सके।

www.rajteachers.com

27.4 बूथ कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना :

24.4.1 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 भ यह उपबन्ध करता है कि जहां किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किये जा सकें, मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट को तत्काल बंद कर देगा और वह कन्ट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट (यूनिटों) को पृथक कर देगा।

27.4.2 आपको ऊपर उल्लेखितानुसार मतदान मशीन बन्द किये जाने की कार्यवाही केवल तब ही करनी चाहिए जब आप निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है न कि केवल बूथ पर कब्जा किये जाने की संभावना के बारे में आशंका या संदेह होने मात्र से। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार 'क्लोज" बटन दबाकर कन्ट्रोल यूनिट को बन्द कर दिया जाता है तो मतदान मशीन आगे और कोई मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए अस्थायी रूप से, अथवा उस मतदान केन्द्र पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।

27.4.3 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 भ के अधीन आप द्वारा मतदान मशीन बंद करने के पश्चात् ज्यों ही संभव हो आपको सम्पूर्ण तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को करनी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मामले के सम्पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट संसूचना के उपलब्ध सबसे तीव्र माध्यम द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।

27.4.4 निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसर से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए :—

27.4.4.1 या तो नयी मतदान मशीन उपलब्ध कराते हुए स्थगित मतदान को उस स्तर से जिस पर इसे स्थगित किया गया था, यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान उस स्तर तक दूषित नहीं हुआ था, पूर्ण कराने का निश्चय कर सकेगा, या

27.4.4.2यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।

27.4.5 जहां मतदान, ऊपर पैरा 27.4.1 के अधीन मतदान मशीन बन्द करके उस के लिए स्थगित/रोक दिया है, वह मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर

www.rajteachers.com

बन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे सामान्य मतदान के समाप्त होने पर किया जाता हैं।

27.4.6 आयोग के निर्देशानुसार स्थगित मतदान को पूर्ण कराने या, यथास्थिति, नया मतदान कराने के लिए आगे की कार्यवाही पहले से ही ऊपर लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

www.rajteachers.com

अध्याय – 28

मतदान की समाप्ति

28.1 मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान :

28.1.1 नियत समय पर मतदान बन्द कर दिया जाना चाहिए चाहे मतदान किसी अपरिहार्य कारण से प्रारम्भ होने के नियत समय से कुछ देरी से ही क्यों न प्रारम्भ हुआ हो। इसका मतलब यह नहीं हैं कि मतदान समाप्ति के नियत समय के बाद किसी भी मतदाता को वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगा तथापि, मतदान समाप्त करने के लिये नियत समय तक मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपना मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए इसके लिये मतदान नियत समय के बाद भी उपस्थित सभी मतदाताओं के मत देने तक जारी रखे।

28.1.2 मतदान के लिए नियत समय समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व उन सभी मतदाताओं के समक्ष जो मत देने के लिए मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारीबारी से अपना मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा दी जायेगी। आप ऐसे समस्त निर्वाचकों को आप द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित स्लिपें वितरित कर दें जो, उस समय पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्र. सं. 1 से आगे तक क्रमवार संख्याकित होनी चाहिए। मतदान को मतदान समाप्ति के नियत समय के बाद भी तब तक जारी रखें जब तक समस्त मतदाता अपने मत का उपयोग नही कर लेते। मतदान समाप्ति के नियत समय के पश्चात् कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देखरेख के लिये पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर देवें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि उन समस्त निर्वाचकों को स्लिपें अंतिम छोर से बांटना प्रारम्भ करते हुए पंक्ति के प्रारम्भ तक बांट दी जायें। नंबर वाली पर्चियां सादा कागज से बनाकर आप पहले से तैयार रखे जिनकी मात्रा का अनुमान मतदाताओं के आने के समान व मौजूदगी से लगाया जा सकता है।

28.2 मतदान बन्द करनाः

28.2.1 मतदान बंद करने के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों पूर्ववर्ती पैरा में उपबन्धितानुसार मत देने के पश्चात् आपकों मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

www.rajteachers.com

28.2.2 सभी पीठासीन अधिकारियों को उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन के क्लोज बटन दबाकर मतदान बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। जब "क्लोज बटन" दबाया जाता है तब कन्ट्रोल यूनिट पर का प्रदर्शन पैनल, मनदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या मशीन में प्रदर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्रारूप 17 ग के भाग 1 की मद 5 में तत्काल नोट की जानी चाहिए। "क्लोज बटन" इसके बाहरी आवरण पर नीले रंग की प्लास्टिक की कैप के नीचे परिणाम सेक्शन के कक्ष में उपलब्ध है। और प्लास्टिक कैप को खीचने मात्र से इस तक पहुंचाया जा सकता हैं। प्लास्टिक कैप, "क्लोज बटन" दबाये जाने के बाद पुनः लगा दिया जाना चाहिए।

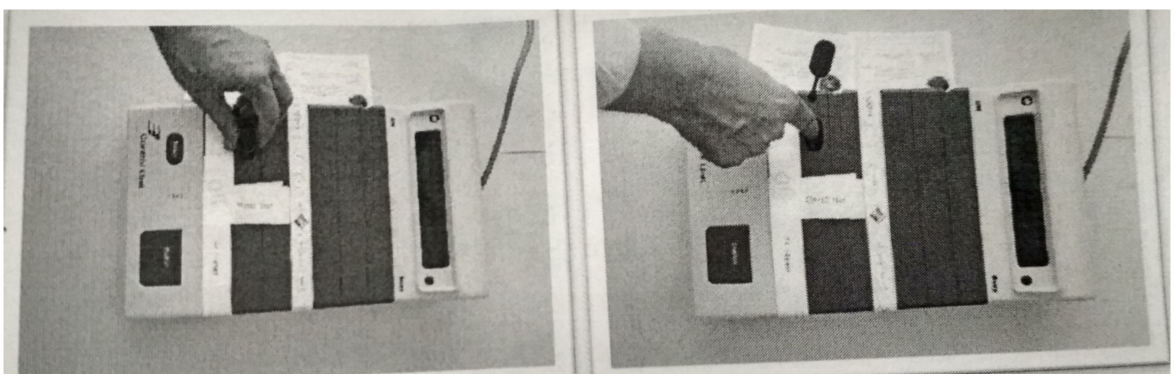

28.2.3 **<u>'क्लोज" बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिये "क्लोज बटन" दबाने के पूर्व आपको इस बात से अत्यधिक रूप से सावधान और पूर्णतया निश्चित होना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक, मत देने से वंचित नहीं रहना चाहिए।</u>**

28.2.4 आपको यह भी नोट करना चाहिए कि "क्लोज" बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब कन्ट्रोल यूनिट पर का "बिजी" लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के पश्चात् ही जब उसने अपना मत रिकार्ड कर दिया हो। (बैलेटयूनिट के नीले बटन को दबाकर) अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश ''बैलेट" दबाये जाने के कारण ऐसे अन्तिम निर्वाचक द्वारा "बैलेट" बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि

www.rajteachers.com

बिजी लैम्प को कन्ट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष में के 'पावर" स्विच को बन्द करके और कन्ट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट (यूनिटों) एवं वीवीपैट का संबंध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। कन्ट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट (यूनिटों) एवं वीवीपैट का संबंध विच्छेद करने के पश्चात् 'पावर" को दुबारा से ऑन किया जाना चाहिए। अब "बिजी" लैम्प चुन जायेगा और "क्लोज" बटन क्रियाशील हो जायेगा।

28.2.5 मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी में कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतदान समाप्ति की दिनांक एवं समय का अंकन कर देना चाहिए।

28.2.6 इसके पश्चात् आपको कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर स्विच को ऑफ करना चाहिए और वीवीपैट को कन्ट्रोल यूनिट से विच्छेद कर देना चाहिए।

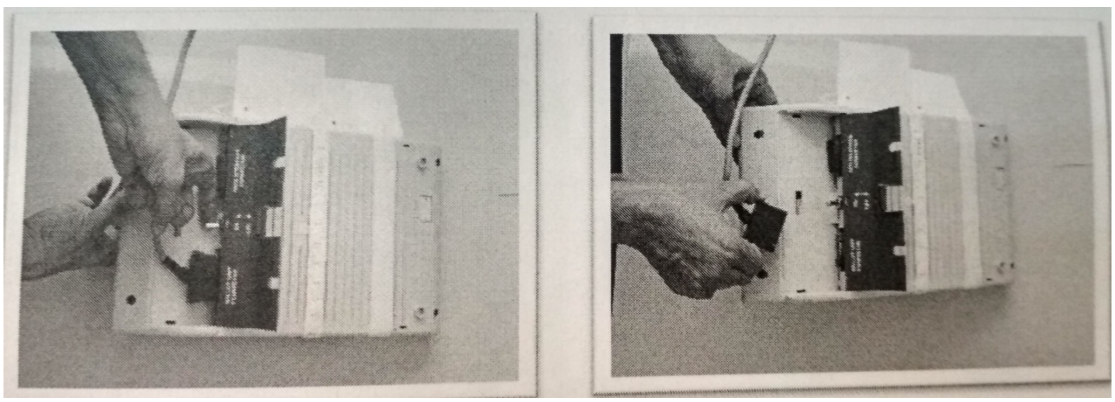

28.2.7 बैलेट यूनिट से वीएसडीयू (यदि वीवीपैट के साथ जुड़ी हुई हो) को भी विच्छेद कर देना चाहिए।

28.2.8 मतदान समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को फार्म 17 क के आखिर में एक लाईन खींचकर यह अंकित करना चाहिए कि फार्म 17 क रजिस्टर में अंतिम क्रम संख्या ....हैं तथा इसके नीचे सभी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए।

www.rajteachers.com

अध्याय – 29

रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

29.1 रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना

29.1.1 आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ध के अधीन मतदान मशीन से रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा ऐसे लेख प्रारूप 17 ग के भाग 1 में तैयार किये जायेंगे।

29.1.2 जैसा कि पूर्व अध्याय में पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है मतदान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या "क्लोज" बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दुबारा दबाया जा सकता है।

29.1.3 आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है (उस रजिस्टर के अभ्युक्ति (I) स्तम्भ के अनुसार) को घटाकर और मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या भी घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति (I) स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17 के स्तम्भ (I)) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मतदतादाओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए। यदि मतदान केन्द्र पर वीवीपैट का उपयोग हुआ है तथा नियम 39 एम.ए. (डी) के तहत टेस्ट वोट डाले गये हैं तो उसका अंकन फार्म 17 ग के भाग 1 के क्रम संख्या 5 पर अंकित किया जाना चाहिए।

29.1.4 प्रारूप 17 ग के भाग 1 में तैयार किये गये रिकार्ड मतों के लेखे का एक नमूना अनुलग्नक 11 पर आपके मार्गदर्शनार्थ दिया गया है।

29.1.5 प्रारूप ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा इसमें वर्णित शब्दों 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा "आप द्वारा साथ एक पृथक आवरण में रखा जाना चाहिए।

www.rajteachers.com

29.2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियों का उपलब्ध कराया जाना :

29.2.1 उक्त नियम 49 घ के अधीन, मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित हैं, प्रारूप 17 ग में आप द्वारा तैयार किये गये रिकार्डेड मतों के लेखों की अनुप्रमाणित सत्य प्रति, उन मतदान अभिकर्ताओं से प्राप्ति रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् उन्हें देने की भी आपसे अपेक्षा की जाती है। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, यहां तक कि उसके बिना कहे जाने पर भी लेखों की प्रति दी जानी चाहिए। प्रारूप 17 ग की मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति, मतदान मशीन के साथ स्ट्रांग रूप में जमा करें।

29.2.2 आपको प्रारूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या हेतु समर्थ बनाने के लिए आपको मुद्रित प्रारूप (प्रारूप 17 ग) की उतनी प्रतियां जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, के साथ मूल लेखे के लिए एक या दो और प्रतियां जोड़कर दी जायेंगी। यदि संभव हो तो मूल लेखे में प्रविष्टियां करते समय आप द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से अपेक्षित प्रतियों की संख्या तैयार की जानी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ताओं को दी गयी ऐसी समस्त प्रतियां और मूल लेखे की प्रति हर तरह से पहचान योग्य हों।

29.2.3 विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव साथ–साथ होने पर प्रारूप 17 ग को पृथक–पृथक रूप से बनाया जावेगा तथा विधानसभा से संबंधित प्रारूप 17 ग की प्रति विधान सभा प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को दी जाये तथा लोकसभा के प्रारूप 17 ग की प्रति लोक सभा प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को दी जाये।

29.3 मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा :

29.3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की प्रतियां देने के संबंध में नियम 49 घ के अधीन ऊपर लिखित अपेक्षाएं आप द्वारा पूरी कर दी गयी हैं, आयोग द्वारा एक घोषणा भाग III (उपबंध 5) प्रकल्पित की गई है जो मतदान की समाप्ति पर आप द्वारा की जायेगी।

www.rajteachers.com

अध्याय – 30

मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन एवं वीवीपैट को मुहर बन्द किया जाना

30.1 मतदान मशीन एवं वीवीपैट का मुहर बन्द किया जाना :

30.1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्रारूप 17 ग में तैयार करने तथा प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन एवं वीवीपैट को मुहर बन्द किया जाना चाहिए और गणना/संग्रहण केन्द्र परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

30.1.2 मतदान मशीन को मुहर बन्द करने और सुरक्षित करने के लिए पहले कन्ट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बन्द किया जाना चाहिए फिर बैलेट यूनिट (यूनिटों) एवं वीवीपैट, कन्ट्रोल यूनिट का सबसे संबंध विच्छेद किया जाना चाहिए। यह सुनि चत करना चाहिए कि वीवीपैट के ड्रोप बॉक्स में रखी हुई पेपर स्लिप सुरक्षित रहे। बैलेट यूनिट (यूनिटो) और कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को संबंधित वहन बक्सों में रख देना चाहिए।

30.1.3 तब प्रत्येक वहन बक्से को, ऐसे वहन बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में से एक धागा डालकर और निर्वाचन, मतदान केन्द्र तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते हुए एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर एवं मुहर सहित धागे की सील लगाते हुए मुहर बन्द किया जाना चाहिए।

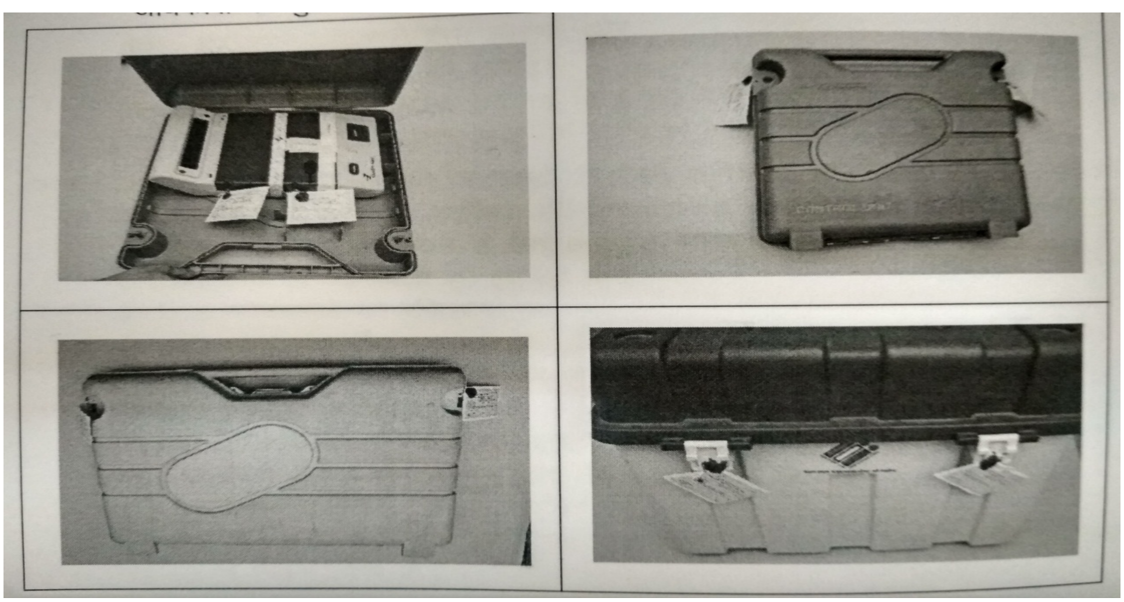

www.rajteachers.com

30.1.4 बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट के ऊपर एड्रेस टैग पर की विशिष्टियां वैसी ही होगी जैसी अध्याय 3 के पैरा 2(1) में वर्णित हैं। मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता जो अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करना चाहिए।

30.1.5 जिन अभ्यर्थियों, मतदान अभिकर्ताओं ने बैलेट यूनिट (यूनिटो) और कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट के वहन बक्सों पर अपनी मुहर लगायी है, के नाम भी आप द्वारा उस घोषणा में नोट किया जाना चाहिए जिसे आप द्वारा मतदान की समाप्ति पर उपबंध 5 के भाग 4 में किया गया हैं।

www.rajteachers.com

अध्याय—31

निर्वाचन से संबंधित पत्रादि को मुहरबन्द किया जाना

31.1 निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का पैकिटों में मुहरबन्द किया जाना

31.1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49U (अनुलग्नक 2 देखिए) द्वारा अपेक्षित पृथक पृथक पैकिटों में मुहरबन्द किया जायेगा

31.1.2 इस प्रकार मुहरबन्द किये गये सभी पैकिटों को नीचे पैरा 3 में स्पष्ट किये गये अनुसार 4 बडे पैकिटों में रखा जाना चाहिए। और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी को भिजवा देना चाहिए सिवाय उन पैकिटों के जिनमें निम्नलिखित सामग्री हो—

1. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील (प्रारूप 17 ग)
2. पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाए (अनुलग्नक 5); और
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी
4. भ्रमण प्रपत्र पेपर एवं 16 बिन्दु की पर्यवेक्षक रिपोर्ट

31.1.3 उन लिफाफों को जिनमें निम्नलिखित वस्तुए हों:—

1. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा; और
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी
4. विजिट शीट तथा पर्यवेक्षक की 16 बिन्दु का प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र पर मतदान मशीन के साथ अलग से प्राप्ति केन्द्रों को भेजना चाहिए।

31.1.4 आपको प्रत्येक ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकिटों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए।

31.1.4.1 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति;

31.1.4.2 मतदाताओं का रजिस्टर;

www.rajteachers.com

31.1.4.3 मतदाता पर्ची;

31.1.4.4 प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्रारूप 17ख में निविदत्त मतों की सूची;

31.1.4.5 अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र;

31.1.4.6 चुनौती मतों की सूची;

31.1.4.7 अप्रयुक्त तथा खराब पेपर सील यदि कोई हो;

31.1.4.8 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र और;

31.1.4.9 कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहरबन्द पैकिट में रखने के लिये रिटर्निंग अधिकारी ने निर्देश दिया हो।

31.2 '' सांवधिक लिफाफों'' और '' असांवधिक लिफाफों'' तथा निर्वाचन सामग्री का बंद किया जाना

31.2.1 सीलबन्द मतदान मशीन, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों और अन्य समस्त सामग्री को जमा कराने के स्थान पर विलम्ब और असुविधा से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफों और अन्य सामग्री को नीचे स्पष्ट किये गये अनुसार 4 पृथक बडे पैकिटों में रख लें और उन्हें उनकी प्राप्ति के लिये नियत स्थान पर सौंप दें।

31.2.1 प्रथम पैकेट (हरे रंग के) जिसमें नीचे वर्णित मुहरबन्द लिफाफे होने चाहिए और उस पर सांविधिक लिफाफे लिखा होना चाहिएः–

31.2.2.1 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबन्द लिफाफा;

31.2.2.2 मतदाताओं के रजिस्टर का मुहरबन्द लिफाफा;

31.2.2.3 मतदाता पर्चियों का मुहरबन्द लिफाफा;

31.2.2.4 अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबन्द लिफाफा;

31.2.2.5 प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबन्द लिफाफा।

31.2.3 यदि ऊपर वर्णित किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य हो तो भी यह नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख शून्य है, तो भी लिफाफे में एक स्लिप ''शून्य'' लिखकर रखी जा सकती है और इस प्रकार तैयार किये हुए लिफाफों की संख्या कुल पांच हो जायेगी ताकि प्राप्ति केन्द्रों पर प्राप्तिकर्ता को

www.rajteachers.com

मुहरबन्द लिफाफों में से किसी के भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के बारे में जांच करने की आवश्यकता न रहे।

31.2.4 द्वितीय पैकेट (पीले रंग के) में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर ''असांविधिक लिफाफे'' लिखा होना चाहिएः–

31.2.4.1 निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा;

31.2.4.2 प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा;

31.2.4.3 प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा;

31.2.4.4 प्रारूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहरबन्द लिफाफा;

31.2.4.5 प्रारूप 14 क में अन्धे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

31.2.4.6 निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (अनुलग्नक 9) से युक्त लिफाफा;

31.2.4.7 चुनौती दिये गये मतो के सम्बन्ध में रसीद बुक और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;

31.2.4.8 प्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा;

31.2.4.9 अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा;

31.2.4.10 अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और

31.2.4.11 उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा;

31.2.5 तीसरे पैकट (भूरे रंग के) में निम्नलिखित मदे होनी चाहियेः–

31.2.5.1 पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका;

31.2.5.2 इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन की निर्देशिका;

31.2.5.3 अमिट स्याही सैट (रिसन या वाष्प को रोकने के लिये उस पर लगाई गई पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी रूप से प्रत्येक शीशी पर लगाये जाने वाला ढक्कन सहित)

www.rajteachers.com

31.2.5.4 बैंगनी रंग के स्टाम्प पैड;

31.2.5.5 पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर;

31.2.5.6 निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिये एरोक्रास मार्क रबड स्टाम्प;

31.2.5.7 अमिट स्याही रखने के लिये कप;

31.2.6 अन्य समस्त मदें, यदि कोई हो, चौथे पैकेट (नीले रंग के) में बन्द की जानी चाहिये।

31.3. लिफाफों को मुहर बन्द करना।

31.3.1 चिन्हित ''सांविधिक लिफाफे'' वाले प्रथम पैकेट में सम्मिलित किये जाने वाले पांच छोटे लिफाफे/पैकेटों को मुहर बन्द किया जाना चाहिये। चिन्हित ''असांविधिक लिफाफे'' वाले दूसरे, तीसरे और चौथे पैकेटों में सम्मिलित किये जाने वाले असांविधिक पत्रों और निर्वाचन सामग्री की मदो से युक्त अन्य छोटे लिफाफों/पैकेटों को पृथक रूप से तैयार किया जा सकेगा। किन्तु जिन्हे (प्ररूप 14 मे चुनौती दिये गये मतो की सूची से युक्त लिफाफे के सिवाय) समय बचाने के लिये मुहर बन्द किये जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मुहर बन्द लिफाफे और प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहर बन्द लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक मीमो के साथ सम्बन्धित बडे लिफाफे में रखा जाना चाहिये। इन बडे पैकेटो को मुहरबन्द किये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन्हे आलपिन या डोरी से बांधकर अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिये ताकि प्राप्ति केन्द्र पर इनमें रखी गयी सामग्री की जांच की जा सके। प्रथम पैकेट जिस पर ''सांविधिक लिफाफे'' चिन्हित है उसमें अन्तर्विष्ट लिफाफों की प्राप्ति केन्द्र पर जांच किये जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा मुहरबंद किया जाना चाहिये।

www.rajteachers.com

अध्याय – 32

डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रो पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन संबंधी पत्रादि को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना

32.1 डायरी तैयार करनाः

32.1.1. आपको, मतदान केन्द्र में कराये गये मतदान संचालन से संबधित सारा कार्यवृत इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली डायरी में लिखना चाहिये। डायरी का प्रोफार्मा अनुलग्नक 12 में उद्घृत किया गया है। तथापि, आपको डायरी का सम्यक् रूप से संख्यांकित प्रोफार्मा दिया जायेगा और केवल वह प्रोफार्मा ही आपको उपयोग में लाना चाहिए।

32.1.2 ज्यों–ज्यों सुसंगत घटनाएं घटें आप डायरी में लिखते जायें। आपकों सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनायें लिखते समय आपको सावधान रहना चाहिये। यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना होती है जो आपके द्वारा सूचित नहीं की गई किन्तु अन्य स्त्रोत द्वारा सूचित की गई है, ऐसे मामले में चुनाव आयोग अनिवार्यतः कार्यवाही करेगा, यह आपके लिए बहुत ही दुखद तथा गंभीर स्थिति होगी। निर्वाचन आयोग आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार कर सकता है।

32.1.3 नियमित अन्तरालों या समय–समय पर डायरी के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टियां करते रहें। प्रायः कई मामलों में यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी नियमित अन्तराल या समय–समय पर डायरी के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टियां नहीं करते है। मतदान समाप्ति के पश्चात डायरी में सभी प्रविष्टियां भरी जाती है। यह अति आपत्तिजनक है। आप द्वारा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान समय के सभी बिन्दुओं पर डायरी के उचित संधारण में कोई भी चूक आयोग द्वारा बहुत गंभीरता से देखी जाएगी।

32.2 रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान मशीन ईवीएम तथा वीवीपैट और निर्वाचन पत्रों का सम्प्रेषणः

32.2.1 मतदान मशीन तथा वीवीपैट व मतदान पत्र सील व सुरक्षित करने के बाद मतदान समाप्ति के पश्चात् अध्याय 30 तथा 32 में वर्णित अनुसार उन्हें ऐसे स्थल जो कलेक्शन सेंटर है, जमा करना या करवाना होगा जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी आदेश दे, तथा ऐसी व्यवस्थाओं के अनुसार जैसी कि रिटर्निंग अधिकारी बनाएं।

www.rajteachers.com

32.2.2 मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को संग्रह केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द करना या करवाना चाहिए। इस निमित्त किये गये किसी विलम्ब को आयोग द्वारा अति गम्भीरता से लिया जायेगा और समस्त संबंधितों के विरूद्ध कठोर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

32..3 आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निर्वाचन अभिलेख और सामग्री से संबंधित निम्नलिखित बारह मदें सौप दें व रसीद प्राप्त करेंः–

32.3.1 अपने –अपने वहन बक्सों में सम्यक् रूप से मुहरबंद नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (टों) व वीवीपैट ;

32.3.2 रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा से युक्त लिफाफा

32..3.3 पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

32.3.4 पीठासीन अधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा;

32.3.5 आगमन शीट (विजिट शीट)

32.3.6 सोलह बिन्दुओं की पर्यवेक्षक की रिपोर्ट;

32.3.7 ''सांविधिक लिफाफे'' लिखा गया पहला पैकिट (5 लिफाफों से युक्त)

32.3.8 ''असांविधिक लिफाफे'' लिखा गया दूसरा पैकिट (11 लिफाफों से युक्त)

32.3.9 निर्वाचन सामग्री की 7 मदो से युक्त तीसरा पैकिट ;

32.3.10 मतदान कक्ष के लिए सामग्री;

32.3.11 लालटेन यदि दी गई हो;

32.3.12 बेकार कागजों के लिए टोकरी;

32.3.13 मतदान सामग्री ले जाने के लिये पोलीथीन का थैला/जूट का थैला;

32.3.14 अन्य समस्त मदों, यदि कोई हो, से युक्त चौथा पैकेट

32.4 मद संख्या (1) के साथ मद सं. (ii) (iii) और (iv) को इनको जमा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये काउन्टर पर सुपुर्द करें।

32.5 उपर्युक्त समस्त मदों की संग्रह केन्द्र के प्राप्ति अधिकारी (यों) द्वारा आपकी उपस्थिति में जांच की जायेगी और तत्पश्चात आपको कार्यमुक्त किया जायेगा।

www.rajteachers.com

अध्याय – 33

पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

33.1 यह अध्याय इस पुस्तिका का सार है, जो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी क्षमता संवर्धन में सहायक होगा। आपके मतदान दल के सदस्यों से आत्मीय संबंध बनाये रखें। टीम वर्क आपके कार्य को आसान एवं आनन्ददायी बनाता है।

33.2 यह सुनिश्चित कर ले कि –

33.2.1 आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें वीवीपैट के साथ दे दी जायेगीं। जिनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है।

33.2.2 प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा दिया गया और उचित रूप से पंक्ति बद्ध कर दिया गया है।

33.2.3 प्रत्येक मतदान यूनिट पर स्लाईड/''थम्बव्हील'' समुचित स्थिति में लगा दिया गया है।

33.2.4 नियंत्रण यूनिट के केन्डिडेट सैट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहरबन्द कर दिया गया है। और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दिये गये है।

33.2.5 वीवीपैट का पैपर रोल कम्पार्टमेन्ट द्वारा समुचित रूप से रिटर्निंग अधिकारी की सील में सील कर दिया गया है।

33.2.6 बैलेट यूनिट व कन्ट्रोल यूनिट दोनों पिंक पेपर सील से अच्छी तरह सील्ड है तथा इसके ऊपर राजनैतिक पार्टियों के अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों एवं निर्माता ईकाइयों के इंजीनियर्स के हस्ताक्षर है।

33.2.7 यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गयी है।

33.3 विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिये उपयोग में लिये जाने वाले मतपत्र निविदत्त मतपत्रों के लिये एरोक्रॉस मार्क रबड की स्टॉम्प, ग्रीन पेपर सील, मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही, काला लिफाफा आदि की जांच कर लें।

www.rajteachers.com

33.4 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ''पी बी'' और ईडीसी से भिन्न कोई चिन्ह नहीं हों।

33.5 यह देख लें कि –

33.5.1 हटाये गये नाम और अनुपूरक के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये हैं।

33.5.2 काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि में क्रम से संख्यांकित हैं।

33.5.3 मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

33.6 यथा सम्भव, मॉडल ले आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें।

33.7 मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के आने–जाने के लिए पृथक–पृथक प्रवेश द्वारा सुनिश्चित कर लें।

33.8 मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित करें।

33.9 मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।

33.10 यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करें

33.11 मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घण्टा पूर्व मॉक पोल (मोकपोल) करने एवं ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी प्रारम्भ कर दें।

33.12 दिखावटी (Mock) मतदान के पूर्व, बैलट यूनिट, वीवीपैट को मतदान कम्पार्टमेन्ट में रख दें। कन्ट्रोल यूनिट और VSDU (M2 ईवीएम की स्थिति मेंद्ध को यथा स्थिति अपनी मेजपर अथवा तीसरे मतदान अधिकारी को मेज पर (जिसे भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी नियुक्त किया गया हो) रखें।

33.13 बैलेट यूनिट्स, वीवीपैट, VSDU एवं कन्ट्रोल यूनिट को एक दूसरे से संबद्ध (Interlock) कर दें।

33.14 कन्ट्रोल यूनिट के पीछे के कम्पार्टमेन्ट में पॉवर स्विच को ON Position (चालू स्थिति) में रखें।

www.rajteachers.com

33.15 कन्ट्रोल यूनिट के पीछे के भाग (Rear Compartment) को पतले तार से बांधकर तथा उसे मोड़कर डबल धागे से ऐठकर गांठ लगाकर मजबूत कर दें।

33.16 मतदान केन्द्र पर उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओ (Agent) को यह दिखा दें कि मतदान मशीन तथा वीवीपैट खाली है तथा इसमें कोई मतपत्र/मतदान रिकॉर्ड नहीं किया गया हैं

33.17 मतदान अधिकारियों/निर्वाचन लड़ने योग्य अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के सहयोग से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर मॉक पोल का संचालन करावें। मॉक पोल के बाद सी.यू. का परिणाम दिखायें एवं वीवीपैट की पर्चियों की गणना मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष सी.यू. के परिणाम से करायें एवं सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम का मिलान हो रहा है।

33.18 'क्लीयर' का बटन दबाकर 'मॉक पोल' के डाटा को सी.यू. से हटायें और वीवीपैट पेपर स्लिपों को वीवीपैट से निकालकर, मतदान अभिकर्ताओं को वीवीपैट का खाली ड्राप बॉक्स दिखायें। 'मॉक पोल' की वीवीपैट की पेपर स्लिपों के पीछे 'मॉक पोल की मुहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर सील करें और लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर करें व मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करायें। इस लिफाफे पर मतदान केन्द्र का नाम व संख्या, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान की दिनांक तथा शब्द ''मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप'' अंकित करें। लिफाफे को प्लास्टिक बॉक्स में रखें और इस प्रकार पिंक पेपर सील से सील करें कि बॉक्स को खोलने के लिए सील को तोड़ना पड़े। प्लास्टिक बॉक्स पर भी मतदान केन्द्र की संख्या व नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम तथा मतदान दिनांक लिखें। प्लास्टिक बॉक्स की पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवायें तथा इस बॉक्स को चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रखें।

33.19 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में ग्रीन पेपर सील लगा दें।

33.20 रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।

33.21 मुद्रित क्रम संख्या के नीचे ग्रीन पेपर सील की सफेद सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।

www.rajteachers.com

33.22 उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।

33.23 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को विशेष टैग से सील करें।

33.24 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और सील कर दें। उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।

33.25 स्ट्रिप सील के साथ कन्ट्रोल यूनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील कर दें।

33.26 मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

33.27 परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पडे, किन्तु केबल की पूरी लम्बाई दिखाई देनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या टेबल के नीचे नहीं छिपी होनी चाहिए।

33.28 उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में '' पी बी'' व ''ईडीसी'' से भिन्न कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

33.29 यह दिखाये कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में कोई प्रविष्टि नहीं है।

33.30 मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करें।

33.31 नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।

33.32 मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।

33.33 दिये गये किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।

33.34 निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित कर लें।

33.35 आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को सम्यक् शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी उसे दें। मतदान केन्द्र पर उपस्थित माईक्रो प्रेक्षकों को भी सम्यक शिष्टाचार दिखायें।

www.rajteachers.com

33.36 मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना एक अपराध है। मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन का प्रयोग निषिद्व है। आप पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी के तौर पर इसका प्रयोग एसएमएस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु कर सकते है।

33.37 मतदान केन्द्र में धुम्रपान निषिद्व है। यह ध्यान रखें कि आप या, आपके मतदान अधिकारी या कोई भी अन्य जिनमें मतदान अभिकर्ता सम्मिलित हैं, मतदान केन्द्र के अन्दर धुम्रपान न करें।

33.38 किसी भी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्व व्यक्ति जो मतदान करने आए है, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।

33.39 जहॉ एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी हो वहां मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित हैः—

पहला मतदान अधिकारी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचक को पहचानने के लिए जिम्मेदार होगा। नामावली में मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा।

दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा, रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचक की भाग संख्या और क्रम संख्या को दर्ज करेगा व आईडेंटिफिकेशन डाक्यूमेंट लिखेगा। उसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता पर्ची देने के पूर्व अभिप्राप्त करेगा।

तीसरा मतदान अधिकारी, नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा, उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही की जॉच करेगा और नियंत्रण यूनिट के '' बैलेट'' बटन को दबाकर मत देने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा तथा मतदाता को निर्देशित करेगा कि वह मतदान कम्पार्टमेन्ट के अन्दर जाये तथा बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपनी पसंद का मत डाले।

33.40 एक साथ चल रहे चुनावों में मतदान अधिकारियों की ड्यूटी जब मतदान पार्टियों में एक पीठासीन अधिकारी तथा पांच मतदान अधिकारी हों, जैसे निम्नानुसार :

प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को पहचानने हेतु उत्तरदायी होगा तथा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही तथा मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

www.rajteachers.com

तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा।

चतुर्थ मतदान अधिकारी लोकसभा चुनावों के कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

पांचवा मतदान अधिकारी राज्य विधानसभा चुनाव कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

33.41 निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने को कहें जिसमें मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए जब तक न कहें जब तक उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

33.42 किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न करें जब तक कि चुनौती देने वाला दो रूपये नकद चुनौती फीस जमा न करा दे। प्रारूप 14 में ऐसे चुनौती दिये गये मतों का रिकार्ड रखें यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले को, लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

33.43 अंधे या शिथिलांग के साथी से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करें। प्रारूप 14क में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।

33.44 यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात 18 वर्ष से बहुत कम मानते है किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।

33.45 किसी भी निर्वाचक पर दबाव न डालें या उसे बाध्य नहीं करें यदि मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी विशिष्टियां नोट किये जाने के पश्चात वह मत नहीं देने का विनिश्चय करें। रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि करें।

33.46 किसी निर्वाचक के मत नहीं देने के विनिश्चय के कारण रजिस्टर के स्तम्भ 1 में किसी क्रम संख्या को परिवर्तित नहीं करें।

33.47 किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले ही मत देने के पश्चात वह उस मतदान केन्द्र पर आता है उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है। उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करें।

www.rajteachers.com

33.48 ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गये है। ऐसा अभिलेख प्ररूप 17ख में संधारित करें। निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची पृथक लिफाफे में रखें।

33.49 किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें यदि आप द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करें।

33.50 मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर के स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।

33.51 मतदान समाप्ति पूर्व नियत समय तक यदि मतदाता पंक्ति में है तो उनका मतदान सुनिश्चित करने हेतु मतदान समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व अपने हस्ताक्षरयुक्त पर्चियों सभी पंक्तिबद्व मतदाताओं को पंक्ति के पीछे से आगे तक आते हुए दें।

33.52 ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी स्लिपें जारी की गई है चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात भी जारी क्यों न रखना पडे।

33.53 मिलान करने के लिए टोटल का बटन को दबाकर, सी.यू. में रिकार्ड मतों की संख्या को नोट कर लें।

33.54 ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान बन्द किये जाने की औपचारिक घोषणा करें।

33.55 क्लोज बटन के ऊपर रबर की कैप को हटाकर मतदान मशीन बंद कर दें। इस प्रकार क्लोज बटन दबाकर रबर कैप को पुनः क्लोज बटन पर लगा दें।

33.56 प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें।

33.57 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकत्र्ताओं को तथा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अनुप्रमाणित प्रतियां दें। विहित घोषणा प्रारूप में इस आशय की घोषणा करें।

33.58 मतदान समाप्ति के पश्चात् नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में ''पावर स्विच'' को बन्द कर दें। बीयू और वीवीपैट एवं सीयू का संबंध विच्छेद कर दें।

33.59 कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट को उनके अपने–अपने वहन बक्सों में रखें।

www.rajteachers.com

33.60 वहन बक्सों को दोनों ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें।

33.61 समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें, जो ऐसा करना चाहे।

33.62 समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक पैकेटों में सील करें।

33.63 निम्नलिखित से युक्त लिफाफों पर आप अपनी सील लगायें :– (1) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, (2) मतदाताओं का रजिस्टर, (3) मतदाता पर्ची, (4) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17ख में सूची, और (5) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र

33.64 समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को इन लिफाफों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें, यदि वे ऐसा चाहे।

33.65 निर्वाचन पत्रों और सामग्री के समस्त पैकेटों को चार बड़े पैकेटों में रखें

सांविधिक लिफाफे (हरे लिफाफे) लिखे गये पहले मुहरबंद पैकेट में पांच मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए।

असांविधिक लिफाफे (पीले लिफाफे) लिखे गये दूसरे पैकेट में ग्यारह लिफाफे होने चाहिए

तीसरे पैकेट में (भूरे लिफाफे) में सात सामग्री होनी चाहिए।

समस्त अन्य सामग्री चौथे पैकेट में बंद करनी चाहिए (नीला)

33.66 निम्नलिखित को पृथक पैकेटस में रखें, उन्हें ऊपर उल्लिखित चार बड़े पैकेट्स में से किसी में भी नहीं रखना चाहिए। (1) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17ग), (2) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व और मतदान समाप्त होने के पश्चात आपके द्वारा की गई घोषणायें और (3) **पीठासीन अधिकारी की डायरी अलग से 3 लिफाफों में रखी जाएगी और ऊपर बताए गए चारों बड़े लिफाफों में नहीं रखी जाएगी।** (4) पर्यवेक्षक की 16 सूत्रीय रिपोर्ट, (5) विजिट शीट। ध्यान रखें कि 16 सूत्रीय पर्यवेक्षक रिपोर्ट कलेक्शन सेन्टर पर सोंपी जाए। यदि यह रिपोर्ट प्राप्ति स्थल पर जमा नहीं होगी, तो उस दिन आपको कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

33.67 मतदान मशीन/वीवीपैट मद 34 में उल्लिखित तीन पैकेट 16 बिन्दु की प्रेक्षक रिपोर्ट तथा आगमन शीट और मद 33 में उल्लिखित चार बड़े पैकेट को मतदान के तत्काल पश्चात अविलम्ब, संग्रहण केन्द्र के सुपुर्द कर दें।

www.rajteachers.com

33.68 मतदान केन्द्र पर की घटनाओं का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान समाप्ति पर।

33.69 यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग आफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

33.70 यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गई है या क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उनमें गड़बड की गई हो तो मतदान बन्द कर दें। रिटर्निंग ऑफीसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

www.rajteachers.com

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1
(अध्याय–1 पैरा 1.1)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति –

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी या ऐसे मतदान अधिकारियों को, जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत् किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचक में या निर्वाचन की बाबत् किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को तद्नुसार इत्तिला/सूचना देगा :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) यदि मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह उस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए आदेशों के अधीन पीठासीन अधिकारी के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी रूग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालने करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र में के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में धारा 25 में और इस धारा में जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के प्रति निर्देश है।

27. पीठासीन अधिकारी का साधरण कर्तव्य :– मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान निष्पक्षता से हो मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान अधिकारी के कर्तव्यः– मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

28A रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, आदि को निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त समझना – किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्काल पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारम्भ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनु ासन के अधीन होंगे।

46 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति– निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबंधित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए।

48 मतदान अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे अधिकारी के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बंद होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे अधिकारी को तत्क्षण देगा जैसा विहित किया जाए।

(2) गणना अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की घटना या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा ओर ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को विहित रीति में तत्क्षण देगा।

(49) मतदान अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं के कृत्य –

(1) मतदान अभिकर्ता मतदान से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा कि मतदान अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत है।

www.rajteachers.com

(2) गणन अभिकर्ता मतों की गणना से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा कि गणन अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत है।

(50) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन–

(1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता हैं ऐसे निर्वाचन के हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए धारा 25 के अधीन उपबंधित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

(2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा जिसे यदि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के किसी भी मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता कि किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा।

51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी – जहां कि कोई कार्य या बात मतदान या गणन अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिये इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस प्रयोजन के लिये नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी उस किए गये कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात सम्यक रूप से की गई अविधिमान्य किया जायेगा।

57. आपात में मतदान का स्थगन–

(1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिये धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियम–स्थान में कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं है, तो यथास्थिति ऐसे मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान में रिटर्निंग ऑफिसर मतदान की ऐसी तारीख तक के लिये स्थगित किऐ जाने की घोषणा करेगा जो तत्पश्चात अधिसूचित की जाएगी और जहां कि मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहां वह संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को तत्क्षण सूचना देगा।

(2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग ऑफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यथाशक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहां, और वह समय जिसके भीतर मतदान होगा नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिये वह तारीख, स्थान और समय जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग, निर्दिष्ट करे।

61A निर्वाचनो में मतदान मशीने– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से ऐसी रीति से जो विहित की जाए मत देना और अभिलिखित

www.rajteachers.com

करना ऐसे निर्वाचन–क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिये "मतदान मशीन" से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलैक्ट्रोनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत जहां कही ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

62. **मत देने का अधिकार**–
(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनिमय में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित से सिवाय उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है।
(3) कोई भी व्यक्ति सामान्य निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मत दें, तो ऐसे सब निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे।
(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत न देगा और उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।
(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिरूध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है :
परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी।
(6) उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप मे मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना–
(1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिकमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।
परंतु इस उपधारा के प्रावधान ऐसे अधिकारियों, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। जो परिषद में पद या पदों को भरने के लिए चुनाव में ऐसा कोई कर्तव्य करता हो।
(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अनुलग्नक का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा।
129. निर्वाचनों मे अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे–

www.rajteachers.com

(1) जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिये नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिये न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(a) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का; और न

(b) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिये मनाने का; और न

(c) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध –

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:–

(a) मतों के लिये संयाचना;

(b) किसी निर्वाचक के मत की याचना करना;

(c) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिय मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(d) निर्वाचन में मत न देने के लिय किसी निर्वाचक को मनाना; और

(e) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अनुलग्नक का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचार के लिये शासित–

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होगा:–

(a) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिये कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसे पडोस में किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(b) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पडोस में के किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा न विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा।

कि मतदान के लिये मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

www.rajteachers.com

(3) यदि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शासित –

(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटो के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्तव्यरूढ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132A. मतदान करने के लिए प्रकिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शासित – यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रकिया का अनुपालन करने में इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शासित– यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संबंधित पदीय कर्तव्य का उल्लंघन –

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के उल्लंघन किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो व जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1A) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत् नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहीं ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है, ये है जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने का अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस

www.rajteachers.com

धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

134A निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शासित– यदि सरकार की सेवा में या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगी।

134B मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध–

(1) रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द पर कर्तव्यरूढ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 में (1959 का 54) परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अनुलग्नक का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम 1959 (54 ऑफ 1959) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा –

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन मे मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृतरूप से बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसक दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन, अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोडे जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा।
परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135A बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध –

(1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी

www.rajteachers.com

अवधि तीन वर्ष से कम की नही होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा और धारा 20B के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ –साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :–

(a) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियम स्थान का अधिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(b) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकारो का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना।

(c) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीडित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(d) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान पर अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है।

(e) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी कियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे कियाकलाप में सहायता करना या मौन स्वीकृति देना,

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शक्तियां –

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(a) कोई नामनिर्देशित–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(b) रिटर्निंग ऑफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

(c) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(d) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा; अथवा

(e) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डाले के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(f) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्ताक्षेप करेगा; अथवा

(g) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति –

www.rajteachers.com

(a) यदि वह रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो, करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा;

(b) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने के अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

*****

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 2

चुनाव संचालन नियम 1961 का सार
(अध्याय–1 पैरा 1.1)

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति :– (1) जितने मतदान अभिकर्त्ता धारा–46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्त्ता और दो अवमुक्ति अभिकर्त्ता होंगे।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्रारूप–10 में की जाऐगी और यथा स्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश की जाने के लिए मतदान अभिकर्त्ता को दे दी जाऐगी।

(3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्त्ता ने पीठासीन ऑफिसर के उप नियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति की लिखित, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को पीठासीन ऑफिसर के समक्ष सम्यक रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

14. मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण :– (1) मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्रारूप 11 में किया जायेगा और पीठासीन ऑफिसर के पास दाखिल किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्त्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे।

16. मत प्रसामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे–यथा एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथा स्थिति धारा 25 के अधीन अपने लिए उपबन्धित किए गये मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियम मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे।

भाग – 3
डाक–मतपत्र

17. परिभाषाएं– इस भाग में –

(क) ''सेवा नियोजित मतदाता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अन्तर्गत नियम 27ड में परिभाषित ''अधिसूचित सेवानियोजित मतदाता'' नही है ;

(ख) ''विशेष मतदाता'' से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत् यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबन्ध लागू है या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गये कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) ''निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता'' से मतदान अभिकर्त्ता, कोई मतदान ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचक है और

www.rajteachers.com

निर्वाचन– कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहां की वह मत देने का हकदार है।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति :– एतस्मिन्पश्चात विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के विधान रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, लिखित :–

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन–क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में–
(i) विशेष मतदाता :
(ii) सेवानियोजित मतदाता :
(iii) निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता :
(iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक :

(ख) विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में–
(i) निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता :
(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा
(iii) निर्वाचन–क्षेत्र के सम्पूर्ण या 1 किन्हीं विनिर्दिष्टों भागों में निर्वाचक उस सूरत मे जिसमे कि नियम 68 के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो :

(ग) विधानसभा सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन में–
(i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा
(ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमे कि नियम 68 के खण्ड (क) के अधीन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हो, विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में,डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

20. निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना–(1) जो निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहते है यह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि मतदान की तारीख के कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधी से जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करें पहले उसके पास पहुँच जाऐ और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक–मतपत्र जारी कर देगा।

(2) जहाँ कि ऐसा मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदान ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर या अन्य लोक सेवक होते हुए (संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में) के निर्वाचन में स्वयं, न की डाक द्वारा मत देना चाहता है वहां वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप–12 क में ऐसे आवेदन भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करें, पहले उसके पास पहुँच जाऐ और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोकसेवक और मतदाता है तो वह–
(क) आवेदक को प्रारूप 12ख में निर्वाचन–कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा।

www.rajteachers.com

(ख) निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में उसके नाम के सामने ''EDC'' यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन–कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अभ्यर्थी हकदार होता है मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाये।

www.rajteachers.com

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली,24 मार्च,1992

एस.ओ. 230(ड.) :– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1992 है।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (जिन्हें इसमें आगे मुख्य नियम कहा गया है)।
   (क) भाग 4 के शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''अध्याय
मतपत्र द्वारा मतदान''

(ख) नियम 28 में, शब्दों ''इस भाग में'' के स्थान पर शब्द ''इस अध्याय और अध्याय 2 में'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

49 ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम– (1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर आवश्यक रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार है, और यदि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचको की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो की सूची की एक प्रति।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमे निर्वाचक निरीक्षण दिखाये/प्रदर्शित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचक सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।

(4)निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (3) के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रो के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49 घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेशः– पीठासीन अधिकारी निर्वाचको की उस संख्या को विनियमित करेगा। जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा,–

(क) मतदान अधिकारियो के;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तवयारुढ लोक सेवको के; प्रकोष्ठ

(ग) निर्वाचन आयो द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ड.) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के; (पृष्ट 145 से 156)

(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 49छ के उपनियम (2) या नियम 19ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

www.rajteachers.com

49ड. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना– (1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर,–
(क) यदि निर्वाचन–क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;
(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;
(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और
(घ) मतदान की तारीख, चिन्हित होगा या होगी।

(2)मतदान के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ और व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है उस पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेबल लगा है।
(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रुप से बंद कराने के लिये पेपर–सील का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी पेपर–सील पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हे अंकित करने की इच्छा रखते हों।
(4) पीठासीन अधिकारी इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर–सील को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिये निर्धारित स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रुप से बंद और मुद्रांकित करेगा।
(5) नियंत्रण यूनिट के सुरक्षित रुप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोडे बिना ''परिणाम बटन'' को दबाना संभव न हो।
(6) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रुप से बंद और मुद्रांकित किया जायेगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओ को पूर्णरुपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान प्रकोष्ठ में रखा जाएगा।
(7) जहां पेपर ट्रेल के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, वहां प्रिंटर को भी मतदान प्रकोष्ठ में मतपत्र इकाई के साथ रखा जायेगा और चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जोडी जायेगी।
49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान–(1)पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को जैसो को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद के लिये या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।
(2) जैसे–जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे–वैसे पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टयों को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक की क्रम संख्या, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ कर सुनाएगा।
(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन –क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के उपबंधो के अधीन पहचान–पत्र दिए गए हैं जहां पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष निर्वाचक अपना पहचान–पत्र पेश करेगा।
(4) किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियो की उस दशा में अनदेखी करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।
49झ. निर्वाचन कर्तव्यारुढ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं– (1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररुप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उससे भिन्न हो, जहां मत देने का वह हकदार है।
(2) ऐसे प्रमाण–पत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन अधिकारी–

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाण–पत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंक में प्रविष्टि करेगा; तथा

www.rajteachers.com

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

49ञ. अनन्यता पहचान के बारे में दावा–(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति को अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकद दो रुपये की राशि पहले जमा करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसा निक्षेप किए जाने पर–

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत् ऐसा दावा किया गया है, प्रतिरुपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढकर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररुप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेपकर्ता के संबंध मं जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए–

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकार्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और दावा किया गया व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पत्र पर देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि दावा सत्य साबित नही हुआ है तो वह दावा किया गया व्यक्ति को अनुज्ञा देगा िकवह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि दावा स्थापित कर दिया गया है तो वह दावा किये गये व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सदभावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौ़टा दिया जाए।

49ट. प्रतिरुपण के खिलाफ उपाय– (1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत्, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाई तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा किया जाने देगा और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक–

(क) अपनी बाई तर्जनी का उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बाई तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से है या ऐसी स्याही चिन्ह को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज. के उपनियम (3) द्वारा यथासम्भव/अपेक्षित रुप में अपना पहचान–पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है, तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान साथ–साथ हों वहां उस निर्वाचन को, जिसकी बाई तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिन्हित कर दी गई है या जिसने अपना पहचान–पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम(1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाई तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में जिसमें निर्वाचक की बाई तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी ऐसी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहा ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जंहा कि उसके दोनों हाथो की सब उंगलियां नहीं है वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रकिया– (1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी–

www.rajteachers.com

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररुप 17 क मे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा।
(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, और
(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है;

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नही करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।
(2) उपनियम(2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।
49 ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रकिया– (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अधिकथित मतदान प्रकिया का अनुपालन करेगा।
(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास आएगा जो नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।
(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल–
(क) मतदाना प्रकोष्ठ में जाएगा;
(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा, और
(ग) मतदान प्रकोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा, ''बशर्ते कि जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, खण्ड (ख) में उल्लिखित बटन दबाकर वोट डालने पर, मतदाता प्रिंटर की पारदर्शी विण्डो के माध्यम से देख पायेगा जिसे मतदान प्रकोष्ट में मतदान यूनिट बैलट यूनिट के साथ रखा गया है, मुद्रित पेपर पर्ची पर उम्मीदवार का क्रमांक नाम और प्रतीक प्रदर्शित होगा जिसके लिए उसने इस तरह की पेपर पर्ची से पहले अपना मत दिया है। ऐसी पेपर पर्ची प्रिंटर के डिब्बे में कट कर गिर जाएगी।
(4) हर निर्वाचक अनुचित /पर्याप्त विलंब के बिना मत देगा।
(5) जब मतदान प्रकोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।
(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49 ट या 49 थ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमो के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात भी इंकार करे, तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश से मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।
(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररुप 17 क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।
49 एम.ए पेपर पर्ची पर मुद्रित विवरणो के बारे में शिकायत के मामले में प्रक्रिया–(1)जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, यदि एक मतदाता ने नियम 49 एम.ए के तहत अपना वोट दर्ज करने के बाद आरोप लगाया है कि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर पर्ची ने अन्य उम्मीदवार का नाम या प्रतीक दिखाया है जिसके अलावा उसने मतदान किया था, पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को झूठी घोषणा करने के बारे में चेतावनी देने के बाद मतदाता के आरोप के रुप में एक लिखित घोषणा प्राप्त करेगा।
(2) यदि मतदाता उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है तो पीठासीन अधिकारी प्ररुप 17 क में उस मतदाता से सम्बन्धित दूसरी प्रविष्टि करेगा और मतदाता को वोटिंग मशीन में एक टेस्ट वोट(परीक्षण मत) रिकार्ड करने की अनुमति पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति और उम्मीदवारो या

www.rajteachers.com

मतदान अभिकर्ताओ की उपस्थिति में जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो सकते है, प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर पर्ची का निरीक्षण करेंगे।

(3) यदि आरोप सही पाया गया है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यो से अवगत करायेगा और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतो और मशीन के कार्या के लिए रिटर्निंग अधिकारी के दिए गए दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

(4) यदि हालाकि आरोप गलत पाया गया और उपनियम(1) के तहत समान उपनियम(2) के तहत मतदाता द्वारा दर्ज किये गये टेस्ट वोट के साथ उत्पन्न पेपर पर्ची है तो पीठासीन अधिकारी–

(क) प्ररुप 17 क में उस मतदाता की सम्बन्धित दूसरी प्रविष्टी के कॉलम में टिप्पणी करे जिसमे उम्मीदवार का क्रमांक और नाम टेस्ट वोट में दर्ज हुआ है।

(ख) ऐसी टिप्पणी के खिलाफ उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त करे और

(ग) प्ररुप 17 ग के भाग 1 के खण्ड क ऐसे टेस्ट वोट के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्ठिया करे।

49ढ अंधे या शिथिलांग निर्वाचको के मतों का अभिलेखन– (1) यदि पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक को अपनी ओर से अपनी इच्छाओ के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अधिक आयु का एक साथी मतदान प्रकोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगाः

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचको के साथी के रुप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसके उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नही किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलो का प्ररुप 14 क में अभिलेख रखेगा।

49ण निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना–यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररुप 17क में सम्यक् रुप से प्रविष्ट किए जाने और नियम, 49ठ के उपनियम(1) के अधीन अपेक्षित रुप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अगूंठे की छाप लगााने के पश्चात मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररुप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अगूंठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त निविदत मत– (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बबात् यह दावा करे कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रुप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे मे ऐसे प्रश्नो के समाधानप्रद रुप में उत्तर देने के पश्चात जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाए निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टिया ऐसी भाषा या भाषाओ में होगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररुप 17ख से संबंधित के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात–

(क) मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा;

(ख) अपना मत मतदान–पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, यह क्रॉस चिन्ह() लगाकर अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षिमत हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिन्ह दर्शित करेगा;

www.rajteachers.com

(ड) उसे पीठसीन अधिकारी को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रुप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) अंधेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपनी इच्छाओ के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्ही शर्तो के अधीन रखते हुए नियम 49ड में अधिककथित प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49 थ मतदान के दौरान प्रकोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना– (1) जब कभी पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिशिचित करने के लिए आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में किसी प्रकार से काई गडबड या छेडछाड न किया गया हो।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ट में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गडबड कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान प्रकोष्ठा में अनुचित/पर्याप्त देरी तक बना रहा है तो वह मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिशिचित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान प्रकोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओ का, यदि वे ऐसी इच्छा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द मतदान बंद करना– (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन निर्धारित/तय समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमे प्रवेश न करने देगा।

परन्तु मतदान केन्द्र के बंद किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब–निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2)यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नही ंतो उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगां।

49ध अभिलिखित मतो का लेखा–(1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररुप 17 ग में मतो का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक लिफाफे में रखकर/बन्द कर उस पर अभिलिखित मतो का लेखा शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररुप 17ग में की गई प्रविष्टियो की एक सत्य प्रति उस मतदान अभिकर्ता सें उसकी रसीद प्राप्त करने के प्श्चात देगा और उसे सत्य प्रति के रुप में अनुप्रमाणित करेगा।

49 न मतदान के पश्चात मतदान मशीन का मुहर बन्द किया गया–(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई ओर मतो का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बन्द कर देगा और मतदान यूनिट को नियत्रंण यूनिट से विच्छेद/अलग कर देगा।

(2) नियत्रंण यूनिट ओर मतदान यूनिट को उसके प्श्चात अलग–अलग रुप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयेाग निर्देशित करे मुहरबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए मुहर इस प्रकार इस लगाई जाएगी कि बिना मुहर को तोडे यूनिटो का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता , जो उनकी मुहर लगाने की इच्छा करे तो उन्हें भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49 प अन्य पैकेटो को मुद्राबन्द करना– (1) इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी निम्न के अलग पैकेट बनायेगा।

(क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के;

(ख) प्ररुप 17 क में मतदाता रजिस्टर के;

(ग) निविदत मतपत्रो को दिये गये लिफाफे और प्ररुप 17 ख मेंसूची के;

(घ) अभ्याक्षेपित मतो की सूची में; और

www.rajteachers.com

(ड) किन्ही अन्य ऐसे कागज–पत्रो के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मुहरबंद पैकेट में रखे जाए, प्रथक पैकेट बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन अधिकारी की ओर से या अभ्यर्थी को या उसके उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगानी चाहे, मुद्रा से मुद्रांकिंत किया जाएगा।

49 फ मतदान मशीन आदि रिटर्निंग ऑफिसर को सौपना– (1) पीठासीन अधिकारी तब रिटर्निंग ऑफिसर को–उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर निम्न सामान सौपेगा।

(क) मतदान मशीन;

(ख) प्ररुप 17 ग में अभिलिखित मतो का लेखा;

(ग) नियम 49 प में निर्दिष्ट मुहरबंद पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लगाए गए सब अन्य कागज–पत्र ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग ऑफिसर निर्दिष्ट करें, सूचित करेगा या सूचित कराएगा।

(2) रिटर्निंग ऑफिसर मतदान मशीन, पैकेटो और अन्य कागज–पत्रो के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतो की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ब मतदान के स्थगन पर प्रकिया–(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49थ से 49फ तक के उपबंध वास्तविक रुप मेंऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन निर्धारित नियत समय पर बंद हुआ हो

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारंभ हुआ है तब उन निर्वाचको को जिन्होने ने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निग ऑफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को,जिनमे ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुहरबंद पैकेट जिसमे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति दिए गये है,प्ररुप 17 क में मतदाता रजिस्टर और एक मतदाता मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन अधिकारी ऐसा मतदान अभिकर्ताओ की, जो उपस्थित है, उपस्थिति में मुद्रा मुहरबंद को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचको के नाम जिन्हे स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिन्हित करने के लिए करेगाा।

(5) नियम 28 और नियम 49 क से 49फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध मे ऐसे स्थगन से पूर्व किये जाने वाले मतदान की तरह लागू हो।

49 भ बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना– जहा पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए किसी नियत स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिशिचित करने के लिए तुरंत बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाए तथा मतदान युनिट को नियत्रंण यूनिट से अलग कर देगा।

(घ) नियम 66 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा–

66 क. जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में –

www.rajteachers.com

अनुलग्नक 3

(अध्याय 1, पैरा 1.5)

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

I. **नियुक्ति पर**

II. **मतदान के दिन से पहले के दिन पर।**

III. **मतदान के दिन मतदान केंद्र में आगमन पर।**

IV. **मतदान के दौरान।**

V. **मतदान पूरा होने के बाद।**

I. **नियुक्ति पर**

1.1**। जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त करते हैं, तो कृपया ध्यान से जांचें**: -

(**ए**) **आपके मतदान केंद्र का नाम और संख्या**;

(**बी**) **विधानसभा क्षेत्र का नाम जिसके भीतर मतदान केंद्र स्थित है**;

(**सी**) **आपके मतदान केंद्र का सही स्थान।**

यह जानकारी आपके नियुक्ति आदेश में मिल जाएगी। आपको आदेश में अपने मतदान अधिकारी के नाम भी मिल जायेगे । उनसे संपर्क करने का प्रयास करें और उनके आवासीय और कार्यालय के पते को अपने साथ रखें और उन्हें अपने आवासीय और कार्यालय का पता दें।

प्रशिक्षण सत्रों में अधिकाधिक उपस्थित रहें , **ताकि आप** EVM **और** VVPAT **के संचालन के साथ पूरी तरह से परिचित हो जावे| कभी भी अपनी याददाश्त और पिछले अनुभव पर भरोसा न करें क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। निर्देश समय-समय पर काफी बदले जाते हैं।**

1.2 **। निम्नलिखित पेम्फलेट और पुस्तिकाएं बहुत सावधानी से पढ़ें**:

(**ए**) **पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका**

www.rajteachers.com

(बी) ईवीएम और वीवीपीएटी का मैनुअल;

(सी) रिटर्निंग अधिकारी का पत्र जिसमे पीठासीन अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हों |

1.3 मतदान सामग्री के आइटम के साथ खुद को परिचित करें।

1.4। सावधानी से अध्ययन करें कि किस तरीके से नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट्स,वीएसडीयू और वीवीपीएटी आपस में जोड़े व अलग किये जाते हैं तथा नियंत्रण यूनिट को बंद व मुहरबंद और वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स को किस प्रकार सील किया जाता है।

1.5। सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रपत्रों को ध्यान से पढ़ें।

1.6 अनुलग्नक 1 में दिए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950और 1951के तहत प्रासंगिक खंडों औरअनुलग्नक 2 में निर्वाचन संचालन अधिनियम1961 में दिए गए प्रासंगिक नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ें। यदि आपको कोई संदेह है, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से संदेह को दूर कर ले । कोई भ्रम दिमाग में न रखे।

II. चुनाव के दिन से पूर्व का दिन

2.1 मतदान के दिन से पूर्व के दिन, आपको मतदान केंद्र में उपयोग के लिए मतदान सामग्री एकत्र करनी होगी । कृपया सुनिश्चित करें कि:

(ए) नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट्स और वीवीपीएटी, जो आपके मतदान से संबंधित हैं
(बी) नियंत्रण यूनिट का 'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' विधिवत मुहरबंद है और इस पर पते का टैग दृढ़ता से संलग्न है।
(सी) नियंत्रण यूनिट में बैटरी पूरी तरह से परिचालित है।
(डी) मतदान यूनिट (ओं) को विधिवत मुहरबंद कर दिया गया है और पते टैग के ऊपर और नीचे दाएं हिस्से में दृढ़ता से संलग्न हैं।
(ई) उपयुक्त मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट्स पर लगाया गया है और मतपत्र पेपर स्क्रीन के तहत ठीक से संरेखित किया गया है।
(एफ) स्लाइड / थंबव्हील स्विच प्रत्येक मतदान यूनिट में उचित स्थिति पर सेट किया गया है|
(जी) अनुलग्नक 4 में उल्लेखित मतदान सामग्री के सभी सामानों को आवश्यक मात्रा में प्राप्त कर लिया है|
(एच) पेपर सीलों के सीरियल नंबरों की जांच करें;
(आई) यह सुनिश्चित करने के लिए मतदातासूचियों की जांच करें कि:

www.rajteachers.com

I. पूरक प्रतियां संलग्न हैं,

II. मतदाता सूची और पूरक सूची में भाग संख्या सही है|

III. मतदाता सूची की कामकाजी प्रतियों में पेज नंबर क्रमशः दिए गए हैं,

IV. मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्याओं को बदला नहीं गया है और उनके लिए कोई नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है,

V. पूरक के अनुसार नाम पृथक,लिपिकीय या अन्य नामों की त्रुटियों और सुधारों को कर दिया गया है।

(जे) आपको दिए गए उम्मीदवारों की सूची की प्रति की जांच करें। सूची में दिए गए उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक समान रूप से उसी क्रम में होना चाहिए जैसे कि वे मतदान यूनिट पर लगे मतपत्र में दिखाई देते हैं। यह भी जांचें कि आपको निम्न सूची मिली है या नहीं:

1. क्षेत्र को चित्रित करने वाले क्षेत्र का नोटिस

2. एएसडी, एआईएस और सीएसवी सूची

(के) जांचें कि आपके लिए आपूर्ति की जाने वाली अमिट स्याही की शीशी में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और इसकी टोपी पूरी तरह से बंद है| यदि टोपी सील नहीं हो तो मोमबत्ती / मोम के साथ टोपी सील करें।

(एल) एरो क्रॉस-मार्क रबड़ सील और अपनी पीतल की सीलों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि एरो क्रॉस-मार्क रबर सील में दोनों तरफ लगाए गए मुहर सुरक्षित हैं और स्टैम्प पैड सूखा नहीं है। यदि आपके मतदान केंद्र को अस्थायी संरचना में करने का प्रस्ताव है, तो अपने चुनाव पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त बड़े आकर के लोहेका बॉक्स प्राप्त करें।

(एम) यदि आपको अपने जाने के रास्ते के बारे में कोई संदेह है, तो मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मार्ग के बारे में एवं समय के बारे में जानकारी करें | प्रस्थान की जगह और मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन का तरीका भी जान ले |

2.2(ए) मतदान के दिन से पहले दिनसायं 4:00 बजे तक अपने मतदान केंद्र तक पहुंचें और सुनिश्चित करें कि-

www.rajteachers.com

I. मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर इंतजार करने और पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारों के लिए पर्याप्त जगह है;

II. मतदाताओ के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग हैं;

III. मतदाताओ के बारे में मतदान क्षेत्र का विवरण दिखाते हुए एक नोटिस प्रमुख रूप से प्रदर्शित होता है;

IV. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रति प्रदर्शित होती है।

(बी) उन लोगों को नियुक्त करें जिन्हें आपको महिला मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने की आवश्यकता होगी।

(सी) उस स्थान का निर्णय लें जहां आप, आपके मतदान अधिकारी और उम्मीदवारों के मतदान एजेंट बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट रखी जाएगी।

(डी) मतदान केंद्र में किसी भी राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर होतो हटा दें या उन्हें पूरी तरह से ढक दे।

2.3 मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक वोटिंग मशीन और आपको प्रदान की गई मतदान सामग्री पूरी तरह से आपकी हिफाजत में रहनी चाहिए और वोटिंग मशीन और सामग्री आपके द्वारा वापस जमा करवाई जानी है। मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद आप या आपके द्वारा चुने गए मतदान अधिकारियों में से एक मतदान मशीन और मतदान सामग्री के प्रभारी के रूप में रहना चाहिए।मतदाता मशीन और मतदान सामग्री को मतदान केंद्र में कर्तव्य पर पुलिस गार्ड की हिफाजत में या स्वयं या आपके द्वारा चुने गए मतदान अधिकारी के अलावा किसी भी अन्यव्यक्ति की देखरेख में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

III. मतदान के दिन मतदान केंद्र में आगमन पर

3.1 सुनिश्चित करें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान की तारीख से पहले दिन मतदान केंद्र तक पहुंच गए हैं । पहुँचकर मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच करें।

3.2 मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्रों की जांच करें और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को समझाएं। उन्हें सीटे प्रदान करें और उन्हें प्रवेश पास जारी करें। अध्याय 16 में उल्लिखित घोषणा पढ़ें

www.rajteachers.com

3.3 **यदि आपके दल में से कोई मतदान अधिकारी नहीं है तो मतदान अधिकारी की नियुक्ति करें।**

3.4 **मतदान शुरू करने के लिए तय समय से एक घंटे पहले बनावटी मतदान व वास्तविक मतदान के लिए मतदान मशीन तैयार करना शुरू करें।**

3.5 **बनावटी मतदान के बाद, नियंत्रण यूनिट और वीवीपीएटी को सील करने से पहले वीवीपीएटी में पेपर स्लिप्स को निकाले तथा नियंत्रण यूनिट के आंकड़े को क्लीयर करें। इसके अलावा, मतदान केंद्र में मौजूद मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेने के बाद कृपया मौक पोल प्रमाण पत्र तैयार करें। रिटर्निंग अधिकारी को मौक पोल के दौरान सभी मतदान एजेंन्टों की अनुपस्थिति या केवल एक मतदान एजेंट की उपस्थिति की रिपोर्ट करें।**

3.6 **हरे रंग की कागज मुहर को लगाकर, नियंत्रण यूनिट के परिणाम खंड को बंद करें और सील करें। वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स को सील करे |**

3.7 **अमिट स्याही की शीशी को इस तरह से रखें कि स्याही फैले नहीं।**

IV **मतदान के घंटों के दौरान**

4.1 **सुनिश्चित करें कि नियत समय पर मतदान प्रारंभ किया जाये। यहां तक कि यदि सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं, तो नियत समय पर मतदान केंद्र में कुछ मतदाताओं को प्रवेश करावें।**

4.2 **जब मतदान प्रगति पर है, असामान्य जटिल मामलों को खुद निपटाएं। मतदान अधिकारियों को अपने सामान्य कर्तव्यों को पूरा करने दे। ऐसे मामले होंगे**---

(**ए**) **एक मतदाता को चुनौती** (**अध्याय** 18)

(**बी**) **नाबालिगों द्वारा मतदान** (**अध्याय** 18)

(**सी**) **अंधे या अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान** (**अध्याय** 22)

(**डी**) **वोट नहीं देने का फैसला करने वाले मतदाता** (**अध्याय** 23)

(**ई**) **निविदत्त वोट** (**अध्याय** 26)

(**एफ**) **मतदान की गोपनीयता भंग करना** (**अध्याय** 21)

(**जी**) **बूथ पर गैरकानूनी आचरण और ऐसे व्यक्तियों को हटाना** (**अध्याय** 17)

(**एच**) **दंगा या किसी अन्य कारण से चुनाव स्थगन** (**अध्याय** 28)

www.rajteachers.com

(आई) पेपर स्लिप पर मुद्रित विवरणों के बारे में शिकायत जहां वीवीपीएटी का उपयोग किया जा रहा है। (अध्याय 1 और 30)

4.3 हर दो घंटे मतदान के संबंध में अपनी डायरी के आइटम 19के संकलन के लिए सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करें। ब्रेल मतपत्र का उपयोग करके मतदान करने वाले मतदाताओं के बारे में भी जानकारी एकत्रित करें।

4.4 नियत समय पर मतदान बंद करें, भले ही वह देर से शुरू हुआ हो। इस समय कतार में रहने वाले लोगों को अपने हस्ताक्षर के साथ पर्ची दें। सुनिश्चित करें कि नियत समय के बाद कोई अतिरिक्त व्यक्ति कतार में शामिल नहीं हो।

V. मतदान पूरा होने के बाद

5.1अध्याय 2 9 और 31 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मतदान मशीन और वीवीपीएटी को बंद करें और सील करें।

5.2महिला मतदाताओं की संख्या ज्ञात करे जिन्होंने मतदान किया है |उन मतदाताओ की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने ईपीआईसी के बिना अन्य किसी वैकल्पिक दस्तावेज के साथ मतदान किया है, जिन्होंने ब्रेल की सहायता से मतदान किया है, जिन्होंने एएसडी सूचीमें से मतदान किया है।

5.3 फॉर्म17 सी (दर्ज किए गए वोटों का खाता और पेपर सील काखाता) की पूर्तिकरें । मतदान की समाप्ति पर मौजूद मतदान अभिकर्ताओं से अध्याय 32में अधिघोषणा पर हस्ताक्षर लेने के बाद उन्हें फॉर्म 17 सी की प्रमाणित प्रति देवे तथा अधिघोषणा को पूर्ण करें |

5.4 अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी को पूर्ण भरे ।

5.5 अध्याय 32 में निर्देशों के अनुसार सभी चुनाव पत्रों को सील करें।

5.6 पांच वैधानिक कवर के पहले पैकेट तैयार करें।

5.7 ग्यारह गैर-सांविधिक कवर के दूसरे पैकेट तैयार करें।

5.8 सात वस्तुओं के तीसरे पैकेट तैयार करें

5.9 अन्य सभी वस्तुओं के चौथे पैकेट तैयार करें।

www.rajteachers.com

5.10 **सीलबंद मतदान मशीन और चुनाव पत्रों के मुहरबंद पैकेट जमा करने के लिए संग्रहण केंद्र पर वापसी यात्रा के कार्यक्रम का पालन करें। संग्रहण केंद्र पर वोटिंग मशीन और अन्य चुनावी सामग्री को सुरक्षित जमा करने और रसीद प्राप्त करने की आपकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। ध्यान दें कि आपको आठ अलग-अलग वस्तुओं को सौंपना है, जैसे,**

1. **ईवीएम और वीवीपीएटी;**
2. **मतों का लेखा और पेपर सील लेखा का लिफाफा**
3. **पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा का लिफाफा**
4. **पीठासीन अधिकारी की डायरी युक्त लिफाफा**
5. **विजिट शीट युक्त लिफाफा**
6. **पहले पैकेट में 'सांविधिक लिफाफे' शामिल हैं जिसमें पांच लिफाफे शामिल हैं;**
7. **दूसरा पैकेट 'गैर-सांविधिक लिफाफे' का है, जिसमें "9" लिफाफें शामिल हैं;**
8. **तीसरा पैकेट जिसमें चुनाव सामग्री के सात आइटम होते हैं और**
9. **चौथा पैकेट जिसमें अन्य सभी आइटम हैं, यदि कोई हो।**

www.rajteachers.com

अनुलग्नक 4

प्रारूप M21 – मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकार्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद
(डूप्लीकेट में तैयार करें)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत.. विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक ....मतदान केन्द्र क्रमांक .... के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात् सौपे गये मतदान मशीन/मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का वक्तव्य।

I. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन/मशीनों

(i) मुहरबंद इलेक्ट्रोनिक्स मतदान मशीन/मशीनों	:	संख्या
(ii) अनउपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन/मशीनों	:	संख्या
II. पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे	:	संख्या
III पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा	:	संख्या
IV पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा	:	संख्या
V मतदान कर्मचारियों के T.A. का Acquittance रोल	:	संख्या

VI लिफाफे:–

(a) पैकेट–1 सांविधिक लिफाफे

1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा ;
2. मतदाताओं के रजिस्टर का मुहरबंद लिफाफा (प्ररूप 17A) ;
3. मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा ;
4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा;
5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17B की सूची की मुहरबंद लिफाफा।

(b) पैकेट 2–असांविधिक लिफाफे

www.rajteachers.com

1 निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति मे भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा
2 प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में युक्त लिफाफा;
3 प्ररूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण –पत्र से युक्त लिफाफा;
4 प्ररूप 14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा;
5 प्ररूप 14A में दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;
6 निर्वाचको से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा;
7 चुनौती दिये गये मतों के संबंध मे प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;
8 अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा;
9 अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा
10 अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और
11 उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा।

पैकेट 3–विविध

1 पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका
2 इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका
3 अमिट स्याही सैट
4 स्टाम्प पैड
5 पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर
6 निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प
7 अमिट स्याही रखने के लिए कप

पैकेट नम्बर 4 निम्नलिखित मदो से युक्त

1 निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा से युक्त लिफाफा।
2 अप्रयुक्त कपडे का झोला/कपड़ा।
3 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात जिन्हें मुहरबंद पैकेट में रखा
4 जाना हो से युक्त लिफाफा।
5 अन्य समस्त मदें यदि कोई हो, चौथे पैकेट में बन्द की जानी चाहिए।

VIII मतदान कोष्ठ (Compartment) : संख्या

सौंपा गया — प्राप्तकर्ता/प्राप्त करने वाले

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर — अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र कमांक.......................................

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 5

(अध्याय 16 अनुच्छेद–16.2)
पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा
भाग–I

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।
चुनाव से...................................लोकसभा / विधानसभा क्षेत्र।
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम.......................................
मतदान दिवस की दिनांक...
मैं घोषणा करता हूॅ कि

(1) मैंने मतदान अभिकर्ताओं व अन्य उपस्थित लोगो के सामने मॉक–पोल का प्रदर्शन किया है कि–

(क) मॉक–पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नही है।

(ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नही की गई है।

(ग) वोटो के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमे मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टयॉ नहीं होंगी।

(2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये है जो मतदान मशीन की नियन्त्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये है।

(3) नियंत्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैने अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है कि वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर.................
पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

भाग II

पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मतदान मशीन के उपयोग मे लाते समय की गई घोषणा (यदि कोई होतो)

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस से पूर्व की गई घोषणा।

चुनाव से....................................लोकसभा / विधानसभा क्षेत्र।

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या व नाम......................................

मतदान दिवस की दिनांक...

मैं घोषणा करता हूॅ कि

(1) मैंने मतदान अभिकर्ता / बूथ अभिकर्ता व अन्य उपस्थित लोगो के सामने प्रदर्शन किया है कि–

(क) मॉक–पोल के द्वारा यह कि मशीन सही कार्य कर रही है एवं पूर्व में मशीन में कोई भी मत संग्रहित नही है।

(ख) यह कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति काम में ली जाएगी जिसमें डाक मतपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से चिन्हित नही की गई है।

(ग) वोटो के निर्धारण का रजिस्टर (17क) चुनाव में काम लिया जावेगा। जिसमे मतदाता के मत करने के अतिरिक्त कोई भी प्रविष्टयॉ नहीं होंगी।

(2) मैंने अपने हस्ताक्षर उस पेपर पर कर दिये है जो मतदान मशीन की नियन्त्रण इकाई के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करती है एवं जो भी मतदान अभिकर्ता / बूथ अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है। उनसे करा लिये गये है।

(3) नियंत्रण इकाई (मतदान मशीन की) क्रम संख्या, विशेष टैग पर अंकित कर दी गई है एवं विशेष टैग के पीछे मैने अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो इन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये है।

(5) विशेष टैग पर पूर्व निर्धारित क्रम संख्या मेरे द्वारा पढी जा चुकी है एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो उस समय उपस्थित है को कहा गया है वे इस क्रम संख्या को नोट कर लें।

हस्ताक्षर..................

पीठासीन अधिकारी

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

1 ....(...................अभ्यर्थी से संबंधित) 2 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

3 ....(..................अभ्यर्थी से संबंधित) 4 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

www.rajteachers.com

5 ....(..................अभ्यर्थी से संबंधित) 6 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

7 ....(..................अभ्यर्थी से संबंधित) 8 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

9 ....(..................अभ्यर्थी से संबंधित)

निम्न मतदान अभिकर्ताओ ने उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से मना किया।

1 ....(.................अभ्यर्थी से संबंधित) 2. ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

3 ....(.................अभ्यर्थी से संबंधित) 4. ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

हस्ताक्षर..................
पीठासीन अधिकारी

दिनांक...................

भाग–III

चुनाव समाप्ति पर की गई घोषणा

जो मतदान अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर नीचे किये गये है। उन्हे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जो कुल दिये गये मतो की संख्या (17 सी) के द्वारा जो नियम 49–5(2) चुनाव नियमावली 1961 है दे दी गयी है।

हस्ताक्षर..................
पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....................
समय ....

उन मतदान अभिकर्ताओ/ बूथ अभिकर्ताओ जिन्हे हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमे दिये गये कुल मतों का संधारण हो। (Part I of form 17 C)

हस्ताक्षर मतदान अभिकर्ता

1 ....(...................अभ्यर्थी से संबंधित) 2 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

3 ....(...................अभ्यर्थी से संबंधित) 4 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

5 ....(...................अभ्यर्थी से संबंधित) 6 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

www.rajteachers.com

7 ....(...................अभ्यर्थी से संबंधित) 8 ....(अभ्यर्थी से संबंधित)

9 ....(....................अभ्यर्थी से संबंधित)

उन मतदान अभिकर्ताओ / बूथ अभिकर्ताओ जिन्हे हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जिसमे दिये गये कुल मतों का संधारण हो मना कर दिया गया है।

1 ....(...............................अभ्यर्थी से संबंधित)

हस्ताक्षर..................
पीठासीन अधिकारी

दिनांक......................
समय ....

भाग –IV

मतदान मशीन को सील करने के पश्चात की गयी घोषणा

मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन की नियंत्रण ईकाई (CU) व बैलेट ईकाई (BU) जिन कैरिंग बाक्सेस में रखी जाती है उन पर मैने अपनी सील लगा दी है एवं कुल मतदान अभिकर्ताओ/बूथ अभिकर्ताओ को भी सील लगाने की अनुमति दी जाती है जो मतदान के समय वहां पर उपस्थित थे।

हस्ताक्षर..................
पीठासीन अधिकारी

दिनांक......................
समय ....
निम्नांकित अभिकर्ताओ ने अपनी सील लगा दी है।
मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर
निम्न मतदाताओं ने हस्ताक्षर करने से मना किया अथवा अपनी मुहर अंकित करना नहीं चाहते हैं।

1 ....(अभ्यर्थी से संबंधित..........................)

2 ....(अभ्यर्थी से संबंधित...........................)

दिनांक..................

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 6

(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.6.1)

थानाधिकारी को शिकायत पत्र

सेवामें,
श्रीमान् थानाधिकारी,
....

विषयः– मतदान केन्द्र पर प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र ....(क्रम संख्या व नाम) जो विधान सभा ....व संसदीय क्षेत्र .... पर मतदान के प्रतिरूपण के क्रम में शिकायत।

मतदान दिवस ....

श्रीमान्

मेरे द्वारा यह सूचना दर्ज कराई जाती है कि श्री .... पुत्र श्री ....एवं निवासी .... ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचान को चुनौती दी है जिसे सौंपा जा रहा है .... इस व्यक्ति ने दावा किया है कि .... इसका नाम मतदाता सूची की क्रम संख्या .... में भाग संख्या .... इस विधान सभा क्षेत्र .... की सूची में है। किन्तु यह अपने आप को मतदाता साबित नहीं कर पाया है। मेरी राय में उक्त व्यक्ति ढोंगी है(imposter) अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूॅ कि अनुच्छेद 171–Fभारतीय दण्ड संहिता में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्थान ....

भवदीय,

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....................

प्रतिलिपि– 1. ERO विधान सभा क्षेत्र ....

2. ERO लोक सभा क्षेत्र ....

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

पावती रसीद

उक्त पत्र व व्यक्ति जो मुझे पीठासीन अधिकारी के द्वारा सौंपा जा रहा है समय .... व दिनांक ....

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 7

(अध्याय 18 अनुच्छेद 18.10.2)
निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। यह आयु 1 जनवरी 2018 के संदर्भ में है। अर्थात अर्हता तिथि आयु के संदर्भ में जो कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची बनी है या पुनरीक्षित हुई है।

मुझे दंडात्मक प्रावधान के बारे में पता है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 31 के अनुसार है। इसके अनुसार मतदाता सूची में शामिल किये गये किसी भी व्यक्ति के नाम से संबंधित किसी प्रकार की झूठी घोषणा इस अधिनियम के अंतर्गत आती है।

हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान मतदाता के ....

पिता/माता/पति का नाम...

मतदाता सूची की भाग संख्या ....

मतदाता की क्रम संख्या ....

दिनांक......................

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे सम्मुख की गई है।

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी ....

नम्बर व नाम मतदान केद्र का ....

दिनांक......................

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 8

(अध्याय 18, अनुच्छेद 18.5.1)

पावती रसीद

अनुलग्नक– 8

अध्याय XVIII अनुच्छेद 5

चुनौती शुल्क के लिये रसीद	सरकार द्वारा जब्त करना	चुनौती शुल्क के लिये रसीद
पोथी नं. पेज नं रूपये 2/– (दो रूपये मात्र) की राशि प्राप्त की नकद रूप में श्री .... उम्मीदवार/चुनावी एजेंट/ मतदान एजेंट चुनौती के लिये जमा का कारण Rule 36के अंतर्गत निर्वाचन नियम 1961 दिनांक .... पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी वापस पुनः प्राप्त राशि 2/– रू की(दो रूपये मात्र) Rule 36 के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन नियम 1961 के अंतर्गत दिनांक.................. नाम व हस्ताक्षर अभ्यर्थी/चुनाव अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता	पोथी नं. पेज नं पीठासीन अधिकारी का कार्यालय मतदान केन्द्र की संख्या .... संसदीय की/ .... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2/–रूपये (दो रूपये मात्र) नकद प्राप्त किये श्री ....मतदाता/ मतदान अभिकर्ता/ बूथ अभिकर्ता द्वारा चुनौती दिये जाने के कारण निर्वाचन नियम 1961 नियम 36 के अंतर्गत मतदान केन्द्र .... दिनांक .... पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 9

(अध्याय 18, पैरा 18.10.3)
अल्प आयु वर्ग के मतदाताओं से संबंधित सूची

चुनाव क्षेत्र ....(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम...

भाग – 1

मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के लिए घोषणा प्राप्त की

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

भाग – 2

मतदाताओं की सूची जिन्होने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इन्कार किया :–

क्र.स.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्र.स.	निर्वाचक नामावली में दर्ज की गई आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा आंकी गई आयु
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

दिनांक :–

पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

अनुलग्नक–10

(अध्याय 22, पैरा 22.6)

नेत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के सहयोगी द्वारा की गई घोषणा

.... विधानसभा क्षेत्र (.......................
....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है)

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम...

मैं,...पुत्र/पुत्री...आयु...... ....निवासी'... घोषणा करता/करती हूँ कि :–

a) मैने आज किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है...

b) मैंने .... की तरफ से जो मत दर्ज किया है, मैं उसकी गोपनीयता को बनाये रखूंगा/रखूंगी।

साथी के हस्ताक्षर

....
.....

'पूर्ण पता लिखा जाना है।

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 11

(अध्याय 29, पैरा 29.1.4)

फॉर्म 17ग

{(देखें नियम 49एस तथा 56ग (2)}

भाग 1 – रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

.... निर्वाचन क्षेत्र से .... लोक सभा/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिये निर्वाचन ....

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम :– ....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक

कण्ट्रोल यूनिट ....

बैलेट यूनिट ....

वीवीपैट ....

1. मतदान केन्द्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या ....
2. मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17क) में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या ....
3. नियम 49ओ के अन्तर्गत मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ....
4. नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिये अनुज्ञात ना किये गये मतदाताओं की संख्या ....
5. नियम 49 एम.ए.(d) के अन्तर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए

   (क) घटाये जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या :–

कुल संख्या	प्रारूप 17क के अनुसार मतदाता का क्रमांक
....	....

   (ख) उम्मीदवार जिसके लिये टेस्ट वोट का उपयोग किया :

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	मतों की संख्या
....	....	....
....	....	....

6. वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गये मतों की संख्या ....
7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या में से मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित ना करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटाकर 4(2–3–4) पाया गया कोई अन्तर हो।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49पी के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये ....
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या ....

		क्रम सं.	से	तक	कुल मत
(a)	प्रयोग में लिये प्राप्त मत	....	से	....	....
(b)	निर्वाचकों को जारी किये गये	....	से	....	....
(c)	अप्रयुक्त एवं लौटाए गये	....	से	....	....

www.rajteachers.com

10. पेपर सीलों का लेखाः

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गई पेपर सीलें :–
   कुल संख्या ....
   क्र.स...........................से ....
   तक
2. प्रयुक्त पेपर सीलें :–
   कुल संख्या ....
   क्र.स...........................से ....
   तक
3. अप्रयुक्त पेपर सीले जो रिटर्निंग अधिकारी को लौटाई गई
   कुल संख्या ....
   क्र.स...........................से ....
   तक
4. नष्ट हुई पेपर सीलें (यदि कोई हो) :
   कुल संख्या ....
   क्र.स...........................से ....
   तक

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

दिनांक :– ....
स्थान :– ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र क्रमांक...................

भाग 2 मतगणना का परिणाम

उम्मीदवार की क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	कण्ट्रोल यूनिट में प्रदर्शित कुल मत	टेस्ट वोट की संख्या जिन्हें मद 5 के भाग 1 के अनुरूप घटाया जाना है	कुल वैध मत
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

www.rajteachers.com

संख्या	नोटा			
योग				

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 6 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उन दोनो योगों में कोई अन्तर दर्शित होता है।

दिनांक :– ....
स्थान :– .... गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता का नाम पूरे हस्ताक्षर

1
2
3
4
5
6
7

दिनांक :–..................
स्थान :–....................... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

तारीख.....................   रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 12

(अध्याय 32, पैरा 32.1.1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): ....
2. मतदान की तारीख : ....
3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम :...

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है–
   (i) शासकीय या अर्द्ध– शासकीय भवन ;
   (ii) निजी भवन;
   (iii) अस्थायी संरचना;
4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हों;
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान, अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण :
6. मतदान मशीन –
   (i) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की संख्याः CU
   (ii) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या :
   (iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की संख्या : BU
   (iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्याः

7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्याः
   (ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्याः

7.(A)(i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या ;
   (ii) प्रदाय लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
   (iii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या ;
   (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;
   (v) उपयोग में न लाये गये,वापस किये गयें विशेष टैग की क्रम संख्यांक ;

7(B)(1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या ;
   (2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
   (3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या ;
   (4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक ;
   (5) उपयोग में न लाई गई वापस स्ट्रिप सील की क्रम संख्यांक।

7 (c)जिन मतदान केन्द्रो में VVPAT का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम
   (i) उपयोग किये गये प्रिन्टर की संख्या
   (ii) प्रिंटर का सरल कमांक

www.rajteachers.com

8 ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये है।

9. (i) मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
   (ii) अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आये हो
   (iii) मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या ;
   (ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या ;
   (iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) के अनुसार मत दिया है ;
   (iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या।
   (v) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर   मतदाताओं के रजिस्टर के शारसाधक

प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11 निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये–
   पुरूष ....
   महिला......................
   थर्ड जेन्डर...............
   कुल...........................

12 चुनौतीयुक्त (चैलेंज्ड) मत–
   स्वीकृत संख्या........................
   अस्वीकृत संख्या..........................
   जब्त की गयी रकम Rs ....

13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण –पत्र (EDC) प्रस्तुत करने पर मत दियें :

13A विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिये होः–

14 उन निर्वाचकों का संख्या जिन्होने साथियों की सहायता से मत दियाः

15 प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या :

16 निविदत्त मतों की संख्याः

17 निर्वाचकों की संख्या –
   (a) जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की–
   (b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया –

18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारणः

19. प्रत्येक दो घंटो में डाले गये मतों की संख्या–

www.rajteachers.com

7 बजे पूर्वाह्न से 9 पूर्वाह्न तक

9 बजे पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक

11 बजे पूर्वाह्न से 1 अपराह्न तक

1 बजे अपराह्न से 3 अपराह्न तक

3 बजे अपराह्न से 5 अपराह्न तक

(मतदान के प्रारम्भ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

20.

(a) मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गयी पर्चियों की संख्या :

(b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण
मामलों की संख्या –

(a) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचारः
(b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करनाः
(c) मतदाता केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :
(d) मतदाताओं को रिश्वत देनाः
(e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करनाः
(f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करनाः

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुईः–

(1) बलवाः
(2) खुली हिंसाः
(3) प्राकृतिक विपत्तिः
(4) बूथ पर कब्जाः
(5) मतदान मशीन का विफल होनाः
(6) अन्य कोई कारणः

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन कोः–

(a) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधनिक रूप से छीनकर :
(b) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके :
(c) नुकसान पहुंचाकर या छेडछाड़ करके मतदान को दूषित किया गया
कृपया ब्यौरा दें।

www.rajteachers.com

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायते, यदि कोई हो:

25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबधी मामलों की संख्या:

26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो:

27. क्या आपने मतदान के प्रांरभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नयी मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व माक पोल करना (आवश्यक) तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं कीं।

स्थान....................

तारीख .... पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 – पाइंट रिपोर्ट, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

www.rajteachers.com

अनुलग्नक–13

(अध्याय 9, पैरा 9.10.1)

निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप

1.	मतदान केन्द्र संख्या :
2.	केन्द्रीय पुलिस बल तैनात किये गये है (हाँ/नहीं)
3.	सूक्ष्म पर्यवेक्षक (माईक्रो आब्जर्वर) नियुक्त किये गये है(हाँ/नहीं)
4.	विडियो कैमरे स्थापित किये गये है
5.	कुल निर्वाचक (मतदाता) :
6.	डाले गये मतो की संख्या :
7.	डाले गये मतो का प्रतिशत :
8.	अभ्यर्थियों की कुल संख्या :
9.	मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे अभ्यर्थियों की संख्या :
10.	उन निर्वाचकों (मतदाताओं) की संख्या जिन्होने निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त दस्तावेजो का प्रयोग करते हुवे मतदान किया।
11.	क्या अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक–पोल किया गया ? हाँ/नहीं
12.	क्या मॉक–पोल क्लीयर (Clear) गया ? हाँ/नहीं
13.	क्या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मशीनो को समुचित रूप से बन्द एवं सील किया गया ? हाँ/नहीं
14.	क्या मतदान अभिकर्ताओ को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17ग दिया गया ? हाँ/नहीं
15.	मतदान की समाप्ति के समय टोकन प्राप्त कर सायं 5 बजे के पश्चात मतदान करने वाले मतदाताओ की संख्याः
16.	क्या मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई ? हाँ/नहीं

www.rajteachers.com

अनुलग्नक–14

(अध्याय 12, पैरा 12.2)

मॉक–पोल प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै.. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र संख्या...........................विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अथवा....................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन.................विधानसभा खण्ड) आज मतदान के दिन अर्थात्..............(दिनांक) को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये सभी अनुदेशों का सूक्ष्मता से पालन करते हुए............. ....बजे पूर्वाह निम्न का प्रयोग करते हुवे मॉक–पोल किया।

कन्ट्रोल यूनिट का क्रमांक (जैसा कि कन्ट्रोल यूनिट के पिछले भाग पर मुद्रित है)...............

बैलेट यूनिट का क्रमांक (जैसा कि बैलेट यूनिट के पिछले भाग पर मुद्रित है).......................

वीवीपैट का क्रमांक (जैसा कि वीवीपैट पर मुद्रित है)...

1. प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा के लिये कुल.........................मत डाले गये।
2. यह सत्यापित किया गया कि जब बटन दबाया गया, वास्तविक अभ्यर्थी / नोटा बटन के सामने का एलईडी बल्ब प्रकाशमान हो रहा था।
3. मॉक–पोल के दौरान डाले गये मतो तथा प्रदर्शित परिणाम का अभ्यार्थी अनुसार विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	अभ्यार्थी का नाम	मॉक–पोल के दौरान दर्ज मतो की संख्या	परिणाम की जांच करने पर कन्ट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतो की संख्या	प्रिन्टेड पेपर स्लिप्स की संख्या की गणना से मॉक–पोल का परिणाम जांचने पर (यदि वीवीपैट प्रयोग में ली गई हो)	दर्ज किये गये मतो प्रदर्शित परिणाम तथा प्रिन्टेड पेपर स्लिप (यदि वीवीपैट प्रयोग में ली गई) में परस्पर मेल पाया गया (हाँ / नहीं)
1					
2					
	नोटा				
	कुल				

4. मॉक–पोल के पश्चात मैने ईवीएम की मैमोरी क्लियर कर दी है तथा वीवीपैट की मुद्रित कागज की पर्चियों को भी हटा दिया है और टोटल बटन दबाकर एवं टोटल शून्य प्रदर्शित देखकर सत्यापित कर दिया है कि मैमोरी क्लियर हो चुकी है।
5. मॉक–पोल के समय अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओ जिनके नाम ऐसे अभिकर्ताओ के नामों के सम्मुख उल्लेखित थे जो उपस्थित थे और मैने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये है।
6. वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने पर कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर मतदान प्रारम्भ की दिनांक तथा समय देखा गया ....

क्र.सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

अथवा

मॉक–पोल के लिये निर्धारित समय पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का केवल एक अभिकर्ता उपस्थित था। पन्द्रह मिनट और प्रतीक्षा करने के बाद मैने.........................बजे पूर्वान्ह अन्य मतदान स्टाफ के साथ मॉक–पोल संचालित किया।

माइक्रो ऑब्जर्वर हस्ताक्षर (यदि मतदान केन्द्र पर नियुक्त किये गये है)
दिनांक
समय

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या...........................
मतदान केन्द्र का नाम.....................

www.rajteachers.com

अनुलग्नक–15

(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)

<u>नियम 49MAके अधीन घोषणा</u>

..........................के लिये साधारण/उप निर्वाचन
संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.स. तथा नाम..
मतदान केन्द्र संख्या तथा नाम...

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 49<u>MA</u>के अधीन निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप

1) मैं एतद् द्वारा निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 49 ड़,क के उपनियम (1) के अधीन सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि बेलेट यूनिट से सम्बद्व प्रिन्टर द्वारा सृजित पेपर स्लिप से उस अभ्यर्थी जिसके लिये मैने बैलेट यूनिट पर अपनी पंसद के अभ्यर्थी के नाम तथा चिन्ह के समक्ष सम्बन्धित बटन को दबाकर मत डाला था, के सिवाय किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम एवं चिन्ह प्रदर्शित हुआ है। मैं यह प्रदर्शित करने के लिये कि मैरे द्वारा लगाया गया आरोप सही एवं वास्तविक है। पुनः एक परीक्षण मत दर्ज करने के लिये तैयार हूँ।

2) मुझे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 में दण्डित अपराधो की इस बात की जानकारी है कि मुझे कारावास की सजा दी जा सकेगी जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदण्ड जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो की सजा दी जा सकती है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई गई।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
निर्वाचक का नाम..
पिता/माता/पति का नाम.....................................
निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.......................
उस भाग में निर्वाचक की क्र.सं..............................
मतदाताओ के रजिस्टर (17 क) में क्र.सं.............

दिनांक....................

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा तथा उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.................

www.rajteachers.com

अनुलग्नक–16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

<u>उन निर्वाचको का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानान्तरित/मृतको की सूची में है।</u>

मैं एतद् द्वारा सत्यभाव से घोषणा तथा प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम............................निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा निर्वाचक नामावली जो अर्हक दिनांक जनवरी 201..................की प्रथम दिनांक को तैयार/संशोधित की गई, के भाग संख्या............के क्र.सं....................पर है। मैं अवगत हूँ कि निर्वाचन में प्रतिरूपण करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171D के अन्तर्गत एक अपराध है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम..

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा एवं उस पर हस्ताक्षर उपरोक्त नाम के निर्वाचक द्वारा मेरे समक्ष किये गये।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम
दिनांक.......................................

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 17

(खंड 9,पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्त्ता / सहायक मतदान अभिकर्त्ता आवा-जाही (विजिट शीट)प्रपत्र–मतदान केन्द्र का नाम व संख्या

क्र0सं0	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या	प्रत्याशी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मतदान अभिकर्त्ता / सहायक अभिकर्त्ता का नाम	आने का समय	हस्ताक्षर	जाने का समय	हस्ताक्षर
1									
2									
3									
4									
5									

पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 18

मतदान के दौरान आने वाली CU-BU-VVPAT सम्बन्धी समस्याओं का प्रबन्धन

मतदान अधिकारियों को मतदान के दौरान आने वाली समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान हेतु सुझाव
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न समस्याओं के उचित समाधान हेतु आवश्यक उपाय निम्नलिखित हैं–

- यदि CU अथवा BU सुचारू रूप से कार्य नहीं करें :–

(i) CU को बंद (स्विच ऑफ) कर देवें और पुनः स्विच ऑन न करें।

(ii) EVM और VVPAT का नया सेट (BU एवं CU) काम में लेंवें।

(iii) मॉक–पोल (मॉक पॉल) के दौरान निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी/उम्मीदवार व नोटा को केवल एक– एक मत ही दर्ज किया जावे।

(iv) छद्म मतदान (मॉक पॉल) का डेटा तथा VVPAT ड्राप बॉक्स से मुद्रित पर्चियों को हटाकर नए EVM सेट से मतदान प्रारम्भ कर देवें।

(b) यदि CU का डिस्प्ले पेनल ''लिंक एरर'' दर्शाए :–

(i) यह सुनिश्चित कर लें कि क्या केबल ठीक तरह से जुडी हुई है (किन्तु कनेक्टर को निकालकर दोबारा ना लगावे)

(ii) यदि अभी भी ''लिंक एरर'' प्रदर्शित हो तो EVM व VVPAT का पूरा सेट बदल देवें।

(c) यदि स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) संकेत में ''एरर कोड – 1 बैट्री बदलें'' दर्शाए :– तो CU को स्विच ऑफ कर VVPAT प्रिंटर की बैट्री बदल लेवें किन्तु साथ ही यह सुनिश्चित कर लेवें कि किसी भी स्थिति में बिना CU को बन्द करें बैट्री ना बदली जावे।

(d) यदि स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU) संकेत में ''एरर कोड – 2 प्रिंटर बदलें'' दर्शाए तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा अभी तक BU बटन को ऑन नहीं किया गया हो :– तो CU को बन्द करें व खराब VVPAT यूनिट के स्थान पर नई VVPAT यूनिट प्रयोग में लेवें। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्थिति में CU को बन्द किये बिना VVPAT यूनिट को ना बदला जावे।

(e) यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा BU बटन को ऑन कर दिया गया हो तथा साथ ही साथ मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट पर दर्शाया प्रत्याशी/उम्मीदवार के सम्मुख का बटन दबा दिया है (अर्थात मत दे दिया है) तदुपरान्त वह शिकायत करता है कि उसे मुद्रित पर्ची प्राप्त नहीं हुई है अथवा यह कि मुद्रित पर्ची VVPAT यूनिट में ही फॅस गई है :–

(i) यदि CU की व्यस्त निर्देश बत्ती (बिजी लैम्प) चमक नहीं रही हो तथा VSDU पर कोई संदेश/संकेत प्रदर्शित न हो रहा हो तो ऐसी शिकायत को आधारहीन मानते हुए नकार दिया जाना चाहिए।

(ii) यदि CU पर व्यस्त निर्देश बत्ती (बिजी लैम्प) चमक रही हो और VSDU पर कोई संदेश/संकेत प्रदर्शित न हो रहा हो तो मतदाता को पुनः मतदान कक्ष में जाकर बैलट यूनिट पर अपने पसन्द के प्रत्याशी/उम्मीदवार बटन को दबाने को कहें।

(iii) यदि CU व VSDU पर व्यस्त निर्देश बत्ती (बिजी लैम्प) चमक रही हो और VSDU पर कोई संदेश/संकेत प्रदर्शित न हो रहा हो तो CU को बन्द (स्विच ऑफ) कर VVPAT यूनिट बदलें।

(iv) VVPAT यूनिट बदलने के पश्चात् उस अंतिम मतदाता को मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसे मुद्रित पर्ची प्राप्त नहीं हुई थी।

कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक VVPAT द्वारा मुद्रित पर्ची मशीन से पृथक से न हो जाए तब तक CU में वोट दर्ज नहीं होगा।

यदि VVPAT द्वारा किसी मतदाता की पर्ची का मुद्रण नहीं किया हो अथवा मुद्रित पर्ची मशीन से पृथक न हुई हो तो VVPAT यूनिट को बदलने के उपरान्त उस मतदाता को पुनः अपना मत दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(f) यदि मुद्रित पर्ची मशीन से पृथक न हुई हो तथा पृष्ठ गुच्छ (पेपर रोल) के साथ ही लटकी हो :– तो प्रिंटर बदलें किन्तु ध्यान रखें कि इस दौरान उस पर्ची को ड्रॉप बॉक्स में डालने का प्रयास न करें ।

www.rajteachers.com

उसे वहीं लटका रहने दें, क्योंकि बैलट पर्चियों की गणना के समय उसे गिना नहीं जावेगा। ऐसी स्थिति को पीठासीन अधिकारी की डायरी में पूर्ण विवरण के साथ निम्न प्रारूप में अंकित किया जावे :—

i. घटना की तिथि एवं समय

ii. VVPAT को बदलने के उपरान्त जिस मतदाता को मत डालने की अनुमति दी गई है उस मतदाता का मतदाता सूची अनुसार नाम एवं क्रम संख्या।

iii. मतदाता ने VVPAT मशीन के बदलने के पश्चात् अपने मताधिकार का प्रयोग किया अथवा मत दिये बिना ही चला गया।

iv. घटना से पहले दर्ज कुल मतों की संख्या।

(g) यदि मतदाता यह शिकायत करता है कि प्रिंटर द्वारा मुद्रित पर्ची में अंकित प्रत्याशी/उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह उसके द्वारा दिये गये मत से भिन्न है तो चुनाव आचार नियम 2013 (संशोधित) के नियम 49 MA के अन्तर्गत तुरन्त निम्नांकित कार्यवाही सम्पन्न करें :—

(i) घोषणा पत्र में शिकायतकर्त्ता की घोषणा प्राप्त कर उस पर अन्त में शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेवें।

(ii) मतदान अभिकर्त्ता की उपस्थिति में शिकायतकर्त्ता के साथ मतदान कक्ष में जावें।

(iii) तदुपरान्त शिकायतकर्त्ता से किसी भी प्रत्याशी/उम्मीदवार को एक परीक्षण मत (टेस्ट वोट) देने को कहें साथ ही उस मतदाता की द्वितीय प्रविष्ठि फॉर्म 17-A में दर्ज कर लेवें।

(iv) इस बार प्रिंटर द्वारा मुद्रित पर्ची का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें।

(v) यदि मतदाता की शिकायत सत्य/उचित पाई जावे तो पीठासीन अधिकारी अविलम्ब इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देकर मतदान को रोक देवें।

(vi) यदि मतदाता की शिकायत असत्य पाई जावे तो उस मतदाता की फॉर्म 17-A में दर्ज द्वितीय प्रविष्ठि के सम्मुख मतदाता से सम्बन्धित टिप्पणी लिखें जिसमें साथ ही उस प्रत्याशी/उम्मीदवार का नाम व क्रम संख्या भी लिखें जिसके लिए यह परीक्षण मत (टेस्ट वोट) दर्ज किया गया था । इस टिप्पणी के अन्त में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान भी प्राप्त करें साथ ही फॉर्म 17-C के भाग-1 के आइटम-5 में आवश्यक पूर्तियॉ भी पूर्ण कर लेवें।

www.rajteachers.com

अनुलग्नक – 19

EVM तथा VVPAT से मतदान सम्पन्न करवाने वाले मतदान केन्द्रों हेतु आवश्यक सामग्री सूची :–

क्र0सं0	सामग्री / वस्तुएँ	मात्रा
1	कन्ट्रोल यूनिट	1
2	बैलट यूनिट	1 अथवा संख्या अनुसार (नोटा शामिल करते हुए)
3	VVPAT	1
4	मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17क)	1 / आवश्यकतानुसार
5	मतदाता पर्चियॉ	आवश्यकतानुसार
6	मतदाता सूची की चिह्नित प्रति	1
7	मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति	3
8	मतदान में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की सूची (फॉर्म 7।)	1
9	निविदत्त मत (टेन्डर वोट) हेतु मत पत्र	20
10	CSV सूची (यदि कोई हो)	1
11	प्रत्याशियों /अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर की छाया प्रति	1
12	अमिट स्याही	10 cc की दो शीशी
13	कन्ट्रोल यूनिट हेतु एड्रेस टैग	5
14	बैलट यूनिट तथा VVPAT हेतु एड्रेस टैग	5
15	स्पेशल टैग	3
16	EVM हेतु ग्रीन पेपर सील	4
17	स्ट्रिप सील	3
18	एरो क्रोस युक्त रबर की मोहर	1
19	स्टैम्प पैड	1
20	पीठासीन अधिकारी हेतु धातु की मोहर	1
21	माचिस	1
22	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
23	सुभिन्नक चिन्ह युक्त रबर मोहर	1
24	मतदाता पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों का आयोग का आदेश	1
25	फॉर्म	
i	प्रत्याशियों की सूची	1
ii	चुनौती दिये गये मतों की सूची (फॉर्म 14)	2
iii	दृष्टिबाधित तथा अक्षम मतदाताओं की सूची (फॉर्म 14।)	2
iv	निविदत्त मतों की सूची (फॉर्म 17ठ)	2
v	दर्ज मतों का रिकॉर्ड	10
vi	प्रयुक्त पेपर सील का रिकॉर्ड	2
vii	चुनौती मत शुल्क प्राप्ति रसीद बुक	1
viii	थानाधिकारी को पत्र	4
ix	मतदान प्रारम्भ तथा समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (भाग I से V)	2
x	मतदाता की आयु सम्बन्धी घोषणा	2
xi	घोषणा उपरान्त मत देने वाले / घोषणा से इन्कार करने वाले मतदाताओं की सूची	4 / 4

www.rajteachers.com

xii	दृष्टिबाधित एवं अक्षम मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा	10
xiii	मतदान अभिकर्त्ता हेतु प्रवेश अनुमति	
xiv	पीठासीन अधिकारी हेतु अतिरिक्त 16 बिन्दु का रिपोर्ट प्रपत्र जो निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक/निर्वाचन अधिकारी को जमा किया जाना है	
xv	विजिट शीट	
xvi	चुनाव उपरान्त दस्तावेज तथा सामग्री जमा कराने हेतु रसीद	2
26	लिफ़ाफ़े	
i	छोटे लिफ़ाफ़े हेतु (संवैधानिक लिफ़ाफ़े) (SE-8)	
ii	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति हेतु (SE-8)	
iii	मतदाता सूची की अन्य प्रतियों हेतु (SE-8)	
iv	निविदत्त मत पत्रों तथा निविदत्त मतदाता सूची हेतु	
v	मतदान प्रारम्भ तथा समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु	
vi	दर्ज़ मतों के रिकॉर्ड हेतु (फॉर्म 17C) (SE-5)	
vii	चुनौती मतों की सूची हेतु (SE-5)	
viii	अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त कागज की सीलों हेतु (SE-5)	
ix	मतदान अभिकर्त्ताओं के नियुक्ति पत्र हेतु (SE-6)	
x	दृष्टिबाधित एवं अक्षम मतदाताओं की सूची हेतु (SE-5)	
xi	पीठासीन अधिकारी की डायरी की रिपोर्ट हेतु (SE-6)	
xii	चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र हेतु (SE-5)	
xiii	रसीद बुक तथा जब्त राशि हेतु (SE-6)	
xiv	सहायक द्वारा की गई घोषणा हेतु (SE-5)	1
xv	अन्य छोटे लिफ़ाफ़ों हेतु (SE-7)	1
xvi	मतदाता हस्ताक्षर वाले मतदाता रजिस्टर हेतु (17-A) (SE-8)	1
xvii	अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों/ कागजों हेतु (SE-5)	1
xviii	छोटे लिफाफों हेतु (SE-8)	1
xix	पीठासीन अधिकारी के संक्षिप्त रिकॉर्ड के लिए लिफ़ाफ़ा नियम 40 के अन्तर्गत (SE-6)	
xx	सादा लिफ़ाफ़े (SE-7)	2
xxi	सादा लिफ़ाफ़े (SE-8)	35
xxii	अप्रयुक्त मत पत्रों हेतु (SE-7)	1
xxiii	अन्य कागजों/दस्तावेजों हेतु जिन्हें निर्वााचन अधिकारी सील लिफ़ाफ़े में रखने का निश्चय करे	1
xxiv	अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफ़ाफ़ा (SE-7)	1
xxv	अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफ़ाफ़ा (SE-7)	1
27	साईन बोर्ड्स	
	पीठासीन अधिकारी	
	मतदान अधिकारी	
	प्रवेश	
	निकास	
	मतदान अभिकर्त्ता	
	नियम 30(1) () के अन्तर्गत मतदान केन्द्र के सीमांकन संबंधी	

www.rajteachers.com

	विविध नोटिस	
28	स्टेशनरी	
i	साधारण पेंसिल	1
ii	बॉल पेन	3 नीले तथा 1 लाल
iii	कोरा कागज	8 शीट
iv	पिन	25 नग
v	चपड़ी / मोम	6 नग
vi	मतदान प्रकोष्ठ	
vii	गोंद	1
viii	ब्लेड	1
ix	मोमबत्ती	4
x	पतला धागा	20 मीटर
xi	धातु की पटरी	1
xii	कार्बन पेपर	3
xiii	तेल आदि पोंछने का कपडा	3
xiv	पैकिंग पेपर शीट	3
xv	अमिट स्याही रखने का टीन/प्लास्टिक का डब्बा	1
xvi	ड्राइंग पिन	24 नग
xvii	चेक लिस्ट	2
xviii	रबर बैंड	20
xix	सेलो टेप	1

पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारी को अलग से लौटायी जाने वाली सामग्री की सूची जिसे सेक्टर अधिकारी सीईओ/डीईओ कार्यालय के स्टोर में जमा करवायेगें।

क्र.सं.	सामग्री
1	एरो क्रॉस युक्त रबर की मोहर
2	पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर
3	स्टेशनरी का थैला जिसमें कागज़ात हों
4	स्टाम्प पैड
5	मतदान प्रकोष्ठ के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री
6	धातु की पटरी
7	अमिट स्याही रखने का पात्र
8	समस्त अप्रयुक्त सामग्री

निर्वाचन दल को VVPAT के साथ दी जाने वाली अतिरिक्त चुनाव सामग्री

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा
1	मोटे काले कागज़ का लिफ़ाफ़ा (दिखावटी मतदान की मुद्रित पर्चियों को सील करने के लिए)	2
2	दिखावटी मतदान की मुद्रित पर्चियों वाले काले लिफ़ाफ़े को रखने के लिए	1

www.rajteachers.com

	प्लास्टिक का डिब्बा	
3	प्लास्टिक के डिब्बे को सील करने के लिए गुलाबी पर्चियां	2
4	नियम 49 MA के अंतर्गत मतदाता द्वारा की गयी घोषणाओं के फॉर्म	10
5	VVPAT के प्रयोग की निर्देशिका	1
6	दिखावटी मतदान की पर्चियों पर लगायी जाने वाली मुहर	1

www.rajteachers.com

अनुलग्नक 20

पीठासीन अधिकारी के लिए चैक लिस्ट

मद	किया जाने वाला कार्य	अभ्युक्ति
1.	रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त प्रासंगिक अनुदेशों को प्राप्त करना अपने पास रखना।	क्या प्राप्त कर रख लिये हैं ?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ परिचय करना और उनके साथ निकट संबंध बनाये रखना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
3.	निर्वाचन सामग्री, ASD (अनुपस्थित, विस्थापित एवं विलोपित) मतदाताओं की सूची, मतदाताओं की वर्णानुक्रमक (alphabetical) सूची प्राप्त करना।	क्या यह सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में प्राप्त कर ली गयी है ?
4.	बैलट यूनिट, कण्ट्रोल यूनिट, VVPAT, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति, एरो क्रॉस युक्त रबर की मुहर, ग्रीन पेपर सीलें, मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्चियों, आदि की जाँच करना।	क्या जांच कर ली गयी है ?
5.	मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए पृथक प्रवेश और निकास।	क्या सुनिश्चित कर लिये गए हैं ?
6.	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत मतदाताओं की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
7.	बैलट यूनिट एवं VVPAT को मतदान प्रकोष्ठ में रखने के उपरांत कण्ट्रोल यूनिट के साथ बैलट यूनिट, VSDU (केवल M2 VVPAT के साथ प्रदत्त) VVPAT को जोड़ना। कण्ट्रोल यूनिट व VVPAT को चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
8.	छद्म मतदान संपन्न करवाना और कण्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम का VVPAT की पर्चियों से मिलान करना। 'क्लियर' बटन दबा कर कण्ट्रोल यूनिट को क्लियर करना। VVPAT की पर्चियों के पीछे 'छद्म मतदान पर्ची' की मुहर लगा कर उन्हें काले लिफ़ाफ़े में रख कर लिफ़ाफ़े को प्लास्टिक के डिब्बे में रखना। छद्म मतदान प्रमाण पत्र तैयार करना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
9.	कण्ट्रोल यूनिट के परिणाम भाग पर ग्रीन पेपर सील लगाना। मतदान अभिकर्ताओं को ग्रीन पेपर सील के क्रमांक नोट करने की अनुमति देना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
10.	एड्रेस टैग, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील का प्रयोग कर के कण्ट्रोल यूनिट के परिणाम भाग को सील करना। एड्रेस टैग का प्रयोग करते हुए VVPAT ड्राप बॉक्स को सील	

	करना।	
11.	मतदान के आरंभ में की जाने वाली घोषणा।	क्या कर दी गयी है ?
12.	मतदान के आरम्भ में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के संबंध में आर.पी. एक्ट, 1951 के नियम 128 के प्रावधानों को ज़ोर से पढ़ना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
13.	मतदान अभिकर्ताओं को बैलट यूनिट, कण्ट्रोल यूनिट और VVPAT की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
14.	बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना और मतदाता रजिस्टर (17क) में हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान प्राप्त करना।	क्या भली प्रकार कर लिया गया है ?
15.	कम उम्र के मतदाताओं से आयु-संबंधी घोषणा।	क्या प्राप्त कर ली गयी है ?
16.	पीठासीन अधिकारी की डायरी भरना।	क्या घटने वाली घटनाओं को समय-समय पर अभिलेखन किया जा रहा है ?
17.	विज़िट शीट (आगंतुक पत्रक) में प्रविष्ठियां।	क्या की जा रही हैं ?
18.	नियत समय पर मतदान बंद करना।	क्या ऐसा किया गया ?
19.	फॉर्म 17ग में दर्ज़ किये गये मतों के लेखे की प्रतियाँ मतदान अभिकर्ताओं को प्रदान करना।	क्या ऐसा कर लिया गया है ?
20.	मतदान के अंत में की जाने वाली घोषणा।	क्या कर दी गयी है ?
21.	EVM, VVPAT और निर्वाचन दस्तावेज़ों को सील करना।	क्या अनुदेशों के अनुसार कर लिया गया है ?